खण्ड-221, अंक-5
सोमवार, 13 चैत्र, शक संवत् 1883
(3 अप्रैल, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 221 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्दखेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३२६

अक्षयवर्सिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
इर्तजा हुसैन. श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री

घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री

बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिश्म्बरसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुदन्र पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खाँ, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिव वचन राय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच धुर-धारा निर्णयार्थ प्रयास

१—श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा पर सीमा निर्धारण हेतु इस साल धुर-धारा (Mid Stream) का निर्णय अब तक न हो सका ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां ।

२—श्री गौरीशंकर राय**—क्या यह भी सत्य है कि धुर-धारा का यह निर्णय प्रतिवर्ष रबी की कटाई के पहले हो जाता रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—ज्यादातर पिछले वर्षों में धुर-धारा का निर्णय फरवरी तथा मार्च के महीने में होता रहा है । किसी-किसी वर्ष मई और जून में भी हुआ है ।

३—श्री गौरीशंकर राय**—क्या यह भी सत्य है कि इस साल अब तक उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने बिहार के अधिकारियों को धुर-धारा निर्णयार्थ तिथि निश्चित करने के लिये पत्र तक नहीं लिखा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—घाघरा नदी के धुर-धारा के निर्णयार्थ तिथि निश्चित करने हेतु कलेक्टर, बलिया तथा कलेक्टर, सारन (बिहार) के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा है । गंगा नदी के धुर-धारा के निर्णयार्थ कलेक्टर, बलिया को हाल में ही आदेश दिये गये हैं कि वे बिहार के संबंधित अधिकारियों से तय करके धुर-धारा का निर्णय शीघ्र करा लें ।

४—श्री गौरीशंकर राय**—क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नकर्त्ता ने लिखित तथा मौखिक रूप से एवं सीमा स्थित किसानों ने भी सरकार से धुर-धारा निर्धारण हेतु बहुत पहले से निवेदन किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, कथित निवेदन पर जांच के पश्चात वे आदेश दिये गये हैं जिनका उल्लेख प्रश्न ३ के उत्तर में है ।

५—श्री गौरीशंकर राय**—क्या सरकार को यह सूचना है कि बलिया जिले में हांस नगर ग्राम की ३,००० बीघे जमीन की फसल जो पिछले वर्ष की धुर-धारा के अनुसार उत्तर प्रदेश में थी और इस वर्ष बिना धुर-धारा का नया निणय हुये ही बिहार सरकार ने जब्त कर ली है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, वास्तव में पिछले वर्ष की धुर-धारा के निर्णय के पश्चात् ही ग्राम हांस नगर बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि धुर-धारा का निर्णय रबी की फसल कट जाने के बाद मई, जून में जब होता है तो उसकी क्या उपयोगिता किसानों के लिये या सरकार के लिये होती है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—यह तो राय का सवाल है । मैं जवाब नहीं दे सकता ।

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, क्या यह राय का सवाल है यह तो आपही बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---वह अपनी राय नहीं देना चाहते।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि धुर-धारा का निर्णय इसलिये होता है कि रबी की कटाई के समय किसानों के संघर्ष को बचाया जा सके यदि हां, तो ऐसी स्थिति में रबी की कटाई के खत्म होने के बाद इस धुर-धारा के निर्णय से लोगों को क्या लाभ होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---क्या लाभ होगा यह तो मैं नहीं बता सकता। इसके लिये कोई रूल तो हमारे सामने नहीं है कि फैसला सीजन से पहले ही हो जाय लेकिन अगर किसी वजह से पत्र-व्यवहार में दोनों सूबे के अधिकारियों को देर हो जाती है तो उसके लिये मजबूरी हो जाती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी, इस बात का ध्यान रखते हुये कि मई, जून में निर्णय होने पर किसानों को असुविधा हो सकती है, तो वे इस बात का प्रयत्न करेंगे कि इस संबंध में फैसला मार्च के पहले-पहल कर लिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमारा प्रयास यह रहता है कि जल्दी कर दें।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि घाघरा की धुर-धारा का निर्णय बिहार के पक्ष में था इसलिये उसका पत्र-व्यवहार छपरा के जिलाधीश ने प्रारम्भ कर दिया और जो गंगा की धुर-धारा का निर्णय था और जो उत्तर प्रदेश के पक्ष में था उसके संबंध में आज तक कोई पत्र जिला स्तर पर या प्रदेशीय स्तर पर बिहार सरकार को नहीं लिखा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे जो इत्तिला मिली है वह यह कि कलेक्टर, बलिया घाघरा के संबंध में वहां के कलेक्टर, सारन से खतोकिताबत कर रहे हैं। गंगा के बारे में उत्तर दे दिया गया है कि अब उनकी खतोकिताबत शुरू हो गई होगी।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस साल मई-जून में धुर-धारा का निर्णय हुआ था उसी साल फसलों के संबंध में किस प्रकार निर्णय किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस साल देर में निर्णय जो हुआ है वह उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से देरी हुई है अथवा बिहार सरकार की तरफ से देरी हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं तो अपना ही कसूर बतला सकता हूं। देर हुई है तो हमारी तरफ से हुई है।

श्री गौरीशंकर राय---मैंने किस महीने में यह निवेदन किया था कि सरकार को मिड स्ट्रीम का वेरीफिकेशन करना चाहिये और कलेक्टर को इसके लिये कब लिखा गया और क्या यह सही है कि कलेक्टर को इस प्रश्न के बाद इस के लिये आदेश दिये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, यह ठीक है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष कोई बैठक बिहार के और उत्तर प्रदेश के माल मंत्रियों की हुई थी इस धुर-धारा का निर्णय लेने के लिये जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ सदस्य भी गये थे, भाग लेने के लिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसमें भाग नहीं लिये लेकिन कांफ्रेंस रूम के बाहर रहे।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि हांस नगर ग्राम अब उत्तर प्रदेश में है या बिहार में और पिछले साल के निर्णय के अनुसार हांस नगर ग्राम की ३९०० बीघे भूमि थी जिसमें ८०० बीघा यू० पी० में है, १०० गयी और बाकी ३००० बीघे पर बिहार सरकार ने कब्जा कर लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पार साल के वेरी-फिकेशन के रिजल्ट से ३००० बीघे का रकबा बिहार की तरफ गया था, लेकिन लैंड-रोल उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके पास नहीं भेजा ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि हांस नगर गांव आज भी उत्तर प्रदेश में है ? अगर है तो इस उत्तर का क्या अर्थ है कि पारसाल उस पार चला गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसका अर्थ साफ है । जो मैंने जवाब में कहा, वही इसका अर्थ है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

पंचायत चुनाव में अनियमितता के कारण राज्य कर्मचारियों का निलम्बन

*१---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा) (अनुपस्थित) तथा **श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में १९६१ में होने वाले पंचायत चुनावों में अनियमितता करने के अपराध में कितने सरकारी कर्मचारी किन-किन जिलों में निलम्बित किये गये और कितनों के खिलाफ जांच जारी है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---सन् १९६१ में ४६ मैदानी जिलों में जो पंचायत चुनाव हुये हैं उसमें अनियमितता करने के अपराध में १६ सरकारी कर्मचारी निम्न जिलों में निलम्बित किये गये हैं :---

इटावा	..	..	..	१
इलाहाबाद	..	..	..	१
खीरी	..	..	..	१
गोंडा	..	..	..	१
गोरखपुर	..	..	..	१
देवरिया	..	..	..	२
पीलीभीत	..	..	..	३
फैजाबाद	..	..	..	१
बदायूं	..	..	..	१
बुलन्दशहर	..	..	..	३
सहारनपुर	..	..	..	१

कुल ५८० सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच जारी है ।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों के खिलाफ किस प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें सरकार के पास आयी हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो शिकायतें हैं वह अधिकांश में तो मतदान अध्यक्षों के विरुद्ध मतपत्रों में गड़बड़ी करना तथा सदस्यों के निर्वाचन में हेर-फेर करना, आदि से संबंधित हैं। जो संख्या मैंने दी है उसमें पंचायत मंत्रियों का जिक्र नहीं है क्योंकि वे सरकारी अधिकारी नहीं हैं।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत के जो तीन अधिकारी हैं उनके क्या पद हैं और वे कौन हैं?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, लम्बी सूची है, देखने में देर लगेगी, माननीय सदस्य मेरे कमरे में आकर देख लें।

कानपुर में आवारा कुत्तों की अधिकता

*२---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार को पता है कि कानपुर में इस समय लगभग बीस हजार आवारा कुत्ते हैं और उनकी संख्या दिन-प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है तथा गत छः महीनों में वहां चौदह हजार कुत्ता काटे के केसों के परिणामस्वरूप नागरिकों का जीवन बड़े खतरे में पड़ गया है? यदि हां, तो उसने उनकी सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की?

श्री कैलाशप्रकाश---यह सही है कि एक विशाल नगर होने के नाते कानपुर में कुत्तों की संख्या अधिक है। परन्तु गणना न होने के कारण सही संख्या बताना कठिन है। यह ठीक नहीं है कि कानपुर में गत छः महीनों में चौदह हजार कुत्ता काटे के केसों के परिणामस्वरूप नागरिकों का जीवन बड़े खतरे में पड़ गया है। सन् १९६० में उर्सला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल के ऐन्टी रेबिक सेंटर में कुल ३,७६५ कुत्ता काटे के केसों का इलाज हुआ। नगर-महापालिका, कानपुर अवारा कुत्तों को पकड़ने के लिये सजग है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उर्सला अस्पताल में जो ३ हजार कुछ केसेज भर्ती किये गये, इनके अलावा अन्य अस्पतालों में कुत्ते काटे के कितने केसेज भर्ती हुये?

श्री कैलाश प्रकाश---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। सम्भवतः कुत्ते काटे का इलाज तो केवल इसी अस्पताल में होता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो उत्तर दिया कि नगरपालिका सजग है, तो सजग होकर वह क्या कार्यवाही कर रही है और क्या सरकार नगरपालिकाओं को कुछ ऐसे सुझाव देगी जिससे कि कुत्ते से काटे जाने वालों की संख्या कम हो जाय?

श्री कैलाश प्रकाश---महापालिकाओं ने पहला काम तो यह किया है कि सब लोगों को यह नोटिस दे दिया है कि जिनके पास कुत्ते हैं वे लाइसेंस लें और जो लोग लाइसेंस नहीं लेंगे उनके कुत्ते पकड़े जा सकते हैं और उनको मारा जा सकता है। महापालिकाएं इस तरह का भी प्रयत्न कर रही हैं कि जो कुत्ते अवारा फिरते हों उनको कोई दवाई देकर मार दिया जाय। उसने कुछ कुत्ते पकड़ने वाले जल्लादों का भी प्रबन्ध किया है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---यह जो ३ हजार कुछ की संख्या बताई गयी है वह कितने दिनों की है?

श्री कैलाशप्रकाश---यह तो उत्तर में स्पष्ट बताया गया है कि सन् १९६० की।

श्री बाबूराम (जिला बरेली)---यह जो तीन हजार कुछ केसेज अस्पताल में भर्ती हुये इनमें से अच्छे कितने कसेज हुए और मृत्यु कितनों की हुई?

श्री कलाशप्रकाश---इसके लिये सचना की आवश्यकता है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ३,००० से अधिक जो मरीजों की संख्या है उसमें कुछ पागल कुत्तों के काटे हुये लोगों की संख्या कितनी है ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह भी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या माननीय मंत्री जी जीव रक्षा को ध्यान रखते हुये जो कुत्ते पागल हो जाते हैं उनके इलाज कराने की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---हां, पागल आदमियों के इलाज कराने की व्यवस्था तो है। (हंसी)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह जो आवारा कुत्ते इलाहाबाद और लखनऊ में भी इतनी संख्या में हैं उनके लिये कोई कुत्ता घर या श्वान घर बनाने की कृपा करेगी जिससे जनता सुख की सांस ले सके ?

हंसी---(उत्तर नहीं दिया गया)

[३ अप्रैल, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लखनऊ में भोजनालय निरीक्षक नियुक्त करने का सुझाव

*१---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में सार्वजनिक भोजनालयों (होटलों) की सफाई की दृष्टि से निरीक्षण के लिये सरकार की ओर से जो निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं, उनमें से कितने निरीक्षक लखनऊ शहर में नियुक्त किये गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---सरकार की ओर से भोजनालयों की सफाई की दृष्टि से निरीक्षण हेतु लखनऊ में कोई निरीक्षक नियुक्त नहीं किया गया है।

श्री मदन पांडेय---इस बात को देखते हुये कि लखनऊ में भोजनालयों की व्यवस्था स्वास्थ्यकर नहीं है, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि एक निरीक्षक यहां नियुक्त करे जो देखता रहे कि स्वास्थ्यकर कंडीशंस भोजनालयों में हैं या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश---नगर महापालिका में आलरेडी सैनिटरी इंस्पेक्टर्स नियुक्त हैं और वह जहां और सफाई को देखते हैं, वहाँ होटलों की सफाई को भी देखते है और जो सूचना प्राप्त हुई है उससे ज्ञात हुआ है कि करीब करीब ६०० इंस्पेक्शंस लखनऊ में इन सैनिटरी इंस्पेक्टर्स के द्वारा होटलों के हुये हैं।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी के पास इस आशय की कोई रिपोर्ट है कि यह इंसपेक्शन होने के बाद फिर भी उन भोजनालयों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश---मेरी जानकारी में व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी बात नहीं है। माननीय सदस्य की जानकारी में यदि हो तो कृपा कर मुझे लिख कर दें, मैं पता लगवाऊंगा।

इलाहाबाद में शुद्ध पेयजल न मिलने की शिकायत

*२---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार को इलाहाबाद शहर के लिये उपलब्ध पेयजल की अशुद्धता के बारे में हाल ही में सूचनायें प्राप्त हुई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सही है कि प्रश्न जब किया गया है, २९-११-६० को, उसके कुछ ही समय पहले एक शिकायत इस आशय की प्राप्त हुई थी और उसके आधार पर वहां के जल-कल का पानी लेकर उसकी जांच करायी गयी थी? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसकी रिपोर्ट क्या थी ?

श्री कैलाशप्रकाश---शिकायत प्राप्त होने पर उत्तर तो मैंने दे दिया। लोगों को जो जल दिया जाता है उसके लिये कोशिश की जाती है कि वह शुद्ध हो और यदा-कदा उसका परीक्षण और निरीक्षण भी किया जाता है। जो जल पाया गया वह शुद्ध और स्वास्थ्यकर पाया गया।

श्री मदन पांडेय---क्या नवम्बर महीने में भी इलाहाबाद के पेय जल की कोई जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री कैलाशप्रकाश---बार-बार की जांच की तो अलहदा अलहदा मेरे पास रिपोर्ट नहीं हैं, किन्तु यह रिपोर्ट जरूर है कि जो जांच हुई हैं उनका नतीजा यह निकला है कि पानी जो दिया जाता है वह संतोषजनक है।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच हुई थी, उनके नतीजे को देखते हुये उसको शुद्ध करने का कोई खास प्रबंध किया गया ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने निश्चित बतला दिया कि शुद्ध ही है। अब उसको क्या शुद्ध करवायें ?

*३---**श्री मदन पांडेय**---[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

*४-५---**राजा यादवेंद्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर), **श्री गोविन्दसिंह विष्ट** तथा **श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)---[५ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ४७-४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

स्टेट बेयर हाउसिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों को मकान भत्ता देने पर विचार

*६---**श्री शमसुल इस्लाम** (जिला एटा)---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्टेट बेयर हाउसिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों को मकान भत्ता दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---स्टेट बेयर हाउसिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों को मकान भत्ता नहीं दिया जाता है। मकान भत्ता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री शमसुल इस्लाम---क्या किसी बात पर विचार करने के लिये कोई मुद्दत मुकर्रर है कि इतने अर्से में विचार हो जायगा ?

श्री मंगलाप्रसाद---बहुत जल्द विचार हो जायगा।

*७-८---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---[१७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*९---**श्री जगपतिसिंह** (जिला बांदा)-[१७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०-११---**श्री तेजबहादुर** (जिला आजमगढ़)---[हटा दिये गये।]

लखनऊ में जनसंघ अधिवेशन के कारण दयानिधान तथा झंडा वाला पार्क खराब हो जाने की शिकायत

*१२—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार के पास इस आशय की शिकायतें आई हैं कि दिसम्बर १९६० में लखनऊ में होने वाले जनसंघ के अधिवेशन के पंडाल, डेलीगेटों के कैम्पों, रसोईघरों व टट्टियों की व्यवस्था कई पार्कों में किये जाने के परिणामस्वरूप पार्कों के नष्ट-भ्रष्ट हो जाने और वहां लोगों की तफरीह बन्द हो जाने के कारण जनता को बड़ी असुविधा हुई ? यदि हां, तो उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री लक्ष्मणराव कदम—माननीय मंत्री जी को पता है कि उक्त अधिवेशन में डेलीगेटों के ठहरने का दयानिधान, अमीनुद्दौला, विक्टोरिया, बटलर पार्क और बारादरी में प्रबंध किया गया था और टट्टियां, रसोईघर आदि बनाये गये थे, जिसकी वजह से वे पार्क नष्ट हो गये और जनता में बड़ा असन्तोष फैला ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, कुछ पार्कों को लेने के लिये दरख्वास्त दी गई थी लकिन वह स्वीकार नहीं हुई। हां, २ पार्क, एक अमीनुद्दौला पार्क जिसे झंडेवाला पार्क भी कहते हैं, और दूसरा दया निधान पार्क जो लालबाग में है, इन्हें प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी उन्हीं शर्तों पर जिन पर साधारणतया औरों को दी जाती है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इन पार्कों में, खासकर दयानिधान पार्क में, उसके पहले और बाद को भी सर्कस लगे हैं जिससे बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, मैंने भी लगे देखे हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी को पता है कि दयानिधान पार्क में कभी सर्कस और कभी नुमायश लगने से फूल पत्ती नष्ट हो जाते हैं और क्या इसके लिये सरकार कुछ विचार कर रही है कि यह न हो ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह बात तो ठीक है कि इनसे पार्क को हानि होती है, किन्तु इनकी जरूरत भी होती है। लखनऊ में और स्थान उपलब्ध न होने के कारण उसे प्रयोग में लाना पड़ता है।

इलाहाबाद जिले में रिक्शा लाइसेंस

*१३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में नगरपालिका द्वारा कितने रिक्शों को १९५८-५९ व १९५९-६० में लाइसेंस दिये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद नगर महापालिका ने १९५८-५९ में ४९३१ तथा १९५९-६० में ४३१४ रिक्शों को लाइसेंस दिये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने कोई आदेश इलाहाबाद महानगरपालिका को भेजे हैं कि नये लाइसेंस रिक्शा के लिये न दिये जावें ?

श्री कैलाशप्रकाश—आदेश तो यह गये हैं कि रिक्शाओं में १० फीसदी कमी प्रति वर्ष क्रमिक रूप से कर दी जाय। महापालिकायें स्वयं तय करती हैं कि वे इसकी पूर्ति कैसे करें।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी को पता है कि इसी सदन में महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में एक बार घोषणा की थी कि हमारे प्रदेश में रिक्शा चलाना बन्द कर दिया जायगा और क्या सरकार इस विचार को अब भी रखती है ?

श्री कैलाशप्रकाश---आदेश गये हुये हैं कि स्वास्थ्य को हानिकर होने के कारण रिक्शा चलाना बन्द किया जाय किन्तु उससे उपस्थित समस्याओं को देखते हुये ये आदेश दिये गये कि कम से कम १० प्रतिशत इनकी संख्या में प्रति वर्ष कमी की जाय। मुझे याद पड़ता है कि मैंने पहले भी कहा था कि समस्त नगरपालिकाओं और महानगरपालिकाओं में इसका पालन नहीं हो रहा है चूंकि उनकी आन्तरिक कठिनाइयां हैं और कैन्टूनमेंट बोर्डों की नीति निर्धारित नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---ये आदेश कब भेजे गये हैं और इनका पालन किन-किन महापालिकओं ने किया ?

श्री कैलाशप्रकाश---ये आदेश तो, जहां तक मुझे याद पड़ता है, सन् ५५ या ५६ में भेजे गये थे। नगरपालिकाएं और महापालिकाएं उनका पालन करने का प्रयत्न भी कर रही हैं। आन्तरिक कठिनाइयों के कारण व कुछ हाईकोर्ट और अदालतों में मुकदमे जाने के कारण वह चीज पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पा रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हुये कि हाईकोर्ट ने यह फैसला नगरमहापालिकाओं के खिलाफ किया था कि वे रिक्शा के लाइसेंस पर रोक नहीं लगा सकती हैं चूंकि व्यापार पर रोक लगाना अनुचित है ? तो अब मंत्री जी कौन-सा उपाय इनकी संख्या कम करने का काम में लाने जा रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस बात की ख्वाहिश है कि रिक्शा का चलाना बन्द हो। इससे जो समस्यायें उपस्थित होती हैं उन पर नगरपालिकाएं और महापालिकायें विचार करके जैसी उसकी युक्ति का उपचार होता है वह करती हैं।

प्रतापगढ़ में गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था के लिये प्रार्थना

*१४---**श्री रामकिंकर** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रतापगढ़ की नगरपालिका ने गन्दे पानी को निकालने की (drainage system) की कोई योजना सरकार के पास भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं ।

*१५---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---[१७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

छोटे कर्मचारियों के गृह निर्माणार्थ आजमगढ़ नगरपालिका को अनुदान

*१६---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री २० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में जो ऋण स्वीकृत कर के दिया गया है उसका उपयोग उसी वर्ष में न करने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश---आजमगढ़ नगरपालिका ने सरकार से प्राप्त धन का उपयोग केवल गृह निर्माण कार्य में ही किया है, अन्य किसी कार्य में नहीं ।

*१७---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ८६,००० रु० में से केवल ४३,००० ० ही धन व्यय करने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश--८६,०००रु० के कुल स्वीकृत ऋण में से नगरपालिका को अभी तक सरकार ने केवल ७६,००० रुपये ही दिये हैं जिसमें से नगरपालिका ने ४३,०००रु० व्यय करके १५ मकानों का निर्माण किया है। शेष मकान जिस भूमि पर बनने हैं, वह भूमि अभी नगर-पालिका को प्राप्त नहीं हुई है। फलस्वरूप शेष धन का उपयोग अभी तक नहीं हो सका है और वह नगरपालिका के पास सुरक्षित है।

*१८--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ६ मकानों में कौन-कौन सज्जन रहते हैं और उक्त मकानों को अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--इन मकानों में एक मुन्सिफ, एक डिप्टी कलेक्टर, एक जिला अस्पताल के डाक्टर, एक सूचना अधिकारी, एक सहायक पंचायत आफिसर, एक महिला अध्यापक तथा एक कलेक्ट्रेट का सहायक रहते हैं। एलाटमेन्ट के समय यह सभी व्यक्ति अल्प-आय-वर्ग के अन्तर्गत थे। अर्थात् सबकी वार्षिक आय ६,००० रुपये तक थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह भूमि नगरपालिका को कब तक प्राप्त हो जायगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--कब तक प्राप्त हो जायगी, यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन उसके लिये काफी प्रयास किया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मंत्री जी ने जो तालिका दी है वह केवल ७ मकानों के बारे में दी है लेकिन मैंने जो सवाल किया था उसमें ६ के बारे में पूछा था, तो बाकी दो मकानों में कौन रह रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश--१५ मकान हैं, जिनमें से ६ मकानों में नगरपालिका के अल्प-वेतन भोगी कर्मचारी रह रहे हैं। शेष ६ मकानों में से ८ में क्लेक्टरी और जजी के अधिकारी रहते हैं और एक मकान में राष्ट्रीय बालिका विद्यालय की अध्यापिका रहती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतायेगी कि नगरपालिका के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को ऋण देकर मकान बनवाने की व्यवस्था की गयी थी, फिर बड़े-बड़े अफसरों को उनमें रखने की क्या जरूरत आ पड़ी ?

श्री कैलाशप्रकाश--क्योंकि इन लोगों के पास भी मकान नहीं थे और रहने की दिक्कत थी।

श्री रामसुन्दरपांडेय--क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रही है कि नगरपालिका के छोटे कर्मचारियों को भी स्थान मिल सके ?

श्री कैलाशप्रकाश--यह विचार तो है कि जो मकान खाली हों तो वे नगरपालिका के कर्मचारियों को, यदि वे चाहते हों, दिये जांय।

सिलनी और टोंस के संगम के निकट पुल की आवश्यकता

*१९--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में सिलनी और टौंस नदी के संगम के समीप पुल बनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश--अभी तक कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई।

*२०—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि इस पुल के सम्बन्ध में जिला नियोजन समिति अथवा अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ द्वारा प्रस्ताव भी पारित किये गये थे ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां।

*२१—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या इस पुल के निर्माण के लिये अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, मांग की थी। उस प्रार्थना-पत्र को सामने रखते हुए सरकार ने अंतरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ को १२,५०० रु० का विशेष अनुदान वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में स्वीकार किया है।

पंचायतराज विभाग, जिला गोंडा में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारी

*२२—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में पंचायतराज विभाग में ३० दिसम्बर, १९६० को निम्नलिखित पदों पर कितने अधिकारी व कर्मचारी काम कर रहे थे और प्रत्येक में अनुसूचित व पिछड़ी जाति के अलग-अलग कितने-कितने अधिकारी व कर्मचारी थे तथा प्रत्येक पद के लिये कितनी शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है :

(१) सहायक पंचायतराज अधिकारी,
(२) पंचायत निरीक्षक (इन्स्पेक्टर),
(३) पंचायत सेक्रेटरी,
(४) पंचायत चपरासी,
(५) पंचायत लिपिक।

श्री कैलाशप्रकाश—वांछित सूचना इस प्रकार है :

क्रमांक	पद का नाम		पदों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	पिछड़ी जाति की संख्या	निर्धारित शैक्षिक योग्यता
१	सहायक जिला पंचायत अधिकारी	...	१	—	—	निर्धारित नहीं है।
२	पंचायत निरीक्षक	..	१२	—	—	इन्टरमीडिएट
३	पंचायत सेक्रेटरी ..	..	२६५	१०	२०	हाई स्कूल
४	पंचायत चपरासी ..	..	१२	—	१२	साक्षर
५	पंचायत लिपिक ..	..	१३	—	—	हाई स्कूल

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि पंचायत निरीक्षक, पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत लिपिक जिनमें हरिजनों का कोटा पूरा नहीं है, उनको पूरा करने की कृपा करेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस सदन में कई बार कहा जा चुका है कि यह चेष्टा तो रहती ही है ।

श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार बतायेगी कि इस सदन में जो बात कही जाती है, उसका पालन नीचे के अधिकारी करते हैं या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह तो माननीय सदस्य को ज्यादा मालूम होगा ।

खलीलाबाद को टाउन एरिया घोषित करने की प्रार्थना

*२३---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह कस्बा खलीलाबाद, जिला बस्ती को टाउन एरिया घोषित करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं ।

श्री राजाराम शर्मा---जब खलीलाबाद की आबादी १० हजार के ऊपर है तो उसे टाउन एरिया न घोषित करने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश---टाउन एरिया बनाने के लिये जो जो परीक्षण किया जाता है उसमें वहां के निवासियों की भी राय ली जाती है । तो उन सब चीजों को देख कर यह मुनासिब नहीं समझा जाता कि वहां टाउन एरिया बनायी जाय ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि वहां की ग्राम सभा तथा उस कस्बे की और जो जन-संस्थायें या दल हैं उन सब की ओर से सरकार के पास इस बात की सर्वदा मांग रही है कि इस कस्बे को टाउन एरिया घोषित कर दिया जाय ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध निर्णय क्यों किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---मांग यह की गयी थी कि एक तो यह गांव खलीलाबाद है और इसके निकट ही और दो गांव हैं उन दोनों गांवों को भी मिला दिया जाय, लेकिन वे दोनों गांव नहीं मिलना चाहते हैं । अब खलीलाबाद जो है वह अकेला रह जाता है । खलीलाबाद की आमदनी सन् ५४-५५ में दिखलायी गयी है ४४६ रु० ७ आने और सन् ५६-५७ में दिखलायी गयी है २६ रु० १० आने ६ पाई । खलीलाबाद की गांव सभा भी वहां टाउन एरिया बनाने के पक्ष में नहीं है । लेकिन यह बात सही है कि वहां से कुछ लोगों की यह मांग आयी कि वहां टाउन एरिया बन जाना चाहिये ।

श्री होरीलालयादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १० हजार की आबादी वाले गांवों की सफाई और रोशनी का क्या प्रबन्ध है ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस प्रदेश में बहुत से ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी १० हजार से ज्यादा है और वहां गांव सभायें, गांव पंचायतें चल रही हैं, तो गांव पंचायतें ही इसका प्रबन्ध करती हैं ।

विलेज हाउसिंग प्लान के अन्तर्गत अनुदान का व्यय

*२४---**श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विलेज हाउसिंग प्लान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना धन प्राप्त हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश---९२,५५,४०० रु० ।

*२५--श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त धन प्रदेश के किन-किन जिलों में व्यय किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--उपर्युक्त धन प्रदेश के ४२ जिलों में व्यय किया गया जिसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

इसके अतिरिक्त रूरल हाउसिंग सेल पर भी धन व्यय किया गया ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५३ पर)

पंचायत मंत्रियों के पद स्थायी करने की प्रार्थना

*२६--श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर) तथा श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में काम करने वाले पंचायत-मंत्रियों के पदों को सरकार ने स्थायी कर दिया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं ।

यह पद गांव पंचायतों के हैं। अतः सरकार के द्वारा इन्हें स्थायी करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पंचायत-मंत्रियों को सरकार ने हमेशा ही अस्थायी रखने का विचार कर लिया है या निकट भविष्य में इनको कुछ स्थायित्व देने वाली है ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, मैं निवेदन कर चुका हूं कि पंचायत-मंत्रियों के पद सरकारी नहीं हैं, वे पंचायतों के हैं, इसलिये सरकार द्वारा उनके स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब पंचायत-मंत्री सरकारी नौकर नहीं हैं तो वह गांव सभाओं को अनुदान देकर उनको स्थायी कराने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, इसमें कठिनाई यह है कि प्रत्येक गांव सभा का कोई एक मंत्री नहीं है, एक मंत्री को कई गांव सभाओं का काम करना पड़ता है । अब विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था सामने है, जो विधेयक इस सदन में पारित हुआ है उसके अनुसार जो कुछ भी व्यवस्था होगी, उस वक्त उस पर देखा जायगा ।

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि इन पंचायत मंत्रियों और ग्रामसेवकों के पद अमलगमेट कर के एक कर दिये जांय और इन दोनों के काम को एक से ही कराया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, इस पर विचार किया गया था लेकिन अभी हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों को अलग ही रखना चाहिये ।

श्री रघुवीरराम--क्या सरकार यह जो पंचायत-सेक्रेटरी हैं इनको सरकारी सेवा में मानने पर अपनी तरफ से विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--अगर मैं उनके प्रश्न को ठीक समझा हूं तो उनको अभी सरकारी कर्मचारी बनाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

*२७--श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)--[१७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२८—श्री भगौतीप्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—[१७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२९—श्री राजाराम शर्मा—[हटा दिया गया ।]

पंचायत-मंत्रियों के पद स्थायी करने की प्रार्थना

*३०—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह पंचायत-मंत्रियों को ग्राम सेवक की ट्रेनिंग दिला कर स्थायी पद पर नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पंचायत-मंत्री हाई स्कूल, इन्टर या बी० ए० पास हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं उन को ग्राम सेवक बनाने में प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—पीछे तो एसा हुआ कि जो योग्य पंचायत-मंत्री थे और विकास विभाग को जब विलेज लेविल वर्कर्स की आवश्यकता पड़ी तो उन योग्य मंत्रियों को ट्रेनिंग देकर उन स्थानों पर नियुक्त किया गया ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी का इस तरफ ध्यान गया है कि गोविन्द सहाय कमेटी ने सिफारिश की है कि इन पदों का एकीकरण कर दिया जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, जब किसी प्रश्न पर विचार किया जाता है तो उसके जितने पहलू होते हैं सब पर विचार कर के किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब पंचायत-सेक्रेटरियों की नियुक्ति यहां से होती है और वेतन भी सरकार के खजाने से दिया जाता है तो कौन-सा कारण है कि सरकार उनके पदों को स्थायी नहीं करती ?

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय सदस्य को मालूम होगा कि जो वेतन इन पंचायत सेक्रेटरियों को दिया जाता है वह प्रदेशीय सरकार के बजट से ग्रामसभाओं को अनुदान के रूप में मिलता है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इन पंचायत राज कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुये और उनको प्रोत्साहन देने के लिये नई योजना में कौन सा उपाय है और वह कैसे स्थायी किये जायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—मुझ को भी उनसे सहानुभूति है और जैसा कि मैंने निवेदन किया और इस सब बात को एक योजना, विकेन्द्रीकरण को जो एक स्कीम विकास कार्य आदि के लिये चलने वाली है और जिसका कि एक बिल इस सदन से पारित हो चुका है और अभी दूसरे सदन में है, वह योजना लागू होने पर इन सब बातों का एक शुद्ध और स्पष्ट रूप निकल सकेगा ।

हसेरन ब्लाक में अपने घर के निकट काम करने वाले पंचायत-मंत्री

*३१—श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में हसेरन ब्लाक में कितने ऐसे पंचातय मंत्री हैं जो अपने निवास स्थान से २५ मील दूरी से कम पर काम कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—चार ।

*३२---श्री द्वारिकाप्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त मंत्री अपने निवास स्थान से कितनी-कितनी दूरी पर काम कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---उपर्युक्त पंचायत मंत्री अपने निवास स्थान से ५, ८, १५ तथा १६ मील की दूरी पर काम कर रहे हैं ।

श्री द्वारिकाप्रसाद---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी आदेश होते हुये भी ५ से ८ मील की दूरी पर पंचायत मंत्री क्यों हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---सरकारी आदेश जो दिया गया था वह यह था कि साधारणतः पंचायत-मंत्रियों को २५ मील की दूरी पर अपने निवास स्थान से नियुक्त करना चाहिये । किन्तु विशेष परिस्थिति में, यदि कोई योग्य पंचायत मंत्री हों, बहुत अच्छा कार्य करते हों तो उनको उससे छूट दी जा सकती है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बतायेगी कि यह पंचायत-मंत्री जी अपने घरों के नजदीक कार्य कर रहे हैं उनके संबंध में क्या सरकार ने यह रिपोर्ट मंगा ली है कि कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं और कौन सी विशेष योग्यताएं हैं जिनके कारण वा वहां हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं, सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई है । माननीय सदस्य की जानकारी में यदि कोई ऐसी बातें हों और यदि वह कृपा करके मुझे लिख दें तो उन चीजों की जानकारी उसी पृष्ठ-भूमि में की जा सकती है । बाकी आदेश यही था कि जो पंचायत मंत्री अच्छा काम कर रहे हों उनको वहां के जो डी० पी० ओ० हैं वह छूट दे सकते हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब यह पंचायत मंत्री सरकारी मुलाजिम नहीं हैं तो इनकी नियुक्ति, तबादले वगैरह पंचायत के ऊपर क्यों नहीं छोड़ना चाहती ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसमें जहां तक नियुक्ति का संबंध है वह तो एक कमेटी के द्वारा सूची बनती है जिले में और जहां तक तबादले का संबंध है, यह माननीय सदस्य भी शायद नहीं बता सकते कि एक पंचायत कैसे तबादला कर सकती है । कठिनाई इसमें यह है कि एक पंचायत-मंत्री को अभी कई पंचायतों को देखना पड़ता है इसलिये उसका प्रशासकीय नियंत्रण पंचायत राज विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा होता है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे कि जब पंचायत मंत्री अल्प वेतन भोगी अधिकारी हैं तो सरकार ने किस आधार पर यह निर्णय लिया कि उनको २५ मील के दूर रहना चाहिये और क्या ऐसा निर्णय पंचायतराज अधिकारी आदि बड़े अफसरों के लिये भी लिया गया है या केवल इन मंत्रियों के लिये ही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह सही बात है कि सरकार को भी अल्प आय वाले लोगों के साथ पूरी सहानुभूति है लेकिन उससे भी बड़ा उत्तरदायित्व सरकार का यह है कि जिस काम के लिये उनको नियुक्त किया गया है वह काम ठीक से हो । बहुधा इस बात की शिकायतें आईं कि जो पंचायत मंत्री अपने घर के निकट रहते हैं वह दौरे भी नहीं करते और काम भी ठीक से नहीं करते, बहुधा घर पर पड़े रहते हैं । केवल बाहर से ही शिकायतें नहीं आईं बल्कि जो पंचायतराज विभाग के मुख्य अधिकारी हैं और ऊंचे स्तर के अधिकारी हैं उनके भी अनुभव में यह बात आई कि काम में कुछ कोताही होती है । तो फिर लाचारी हुई कि अपने उत्तरदायित्व को देखते हुए इस तरीके का निर्णय किया जाय और आदेश दिया जाय । लेकिन उसमें यह छूट थी कि जो पंचायत-मंत्री अच्छा काम करते हैं, जिनसे उस क्षेत्र का बहुत हित हो सकता है, उनके लिये छूट दी जा सकती है ।

श्री गोरीशंकर राय—क्या यह सही है कि हाल में, जो २५ मील का हुक्म था उसके बारे में सरकार के यहां बहुत सारे लोगों ने यह सिफारिश की है और लिखा है कि २५ मील की कैद हटाई जाय, उसके बाद काम में एफीशियेंसी बढ़ी नहीं बल्कि घटी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—शायद ऐसे कोई आवेदन आये होंगे, मेरे सामने तो अभी वह आये नहीं हैं।

*३३-३४—**श्री मुक्तिनाथ राय**—[१७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

लखनऊ जिले से पंचायत चुनाव अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*३५—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष पंचायत के गत आम चुनाव के सम्बन्ध में लखनऊ जिले से चुनाव अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें किस-किस गांव सभा से सरकार को प्राप्त हुई हैं और मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस सम्बन्ध में लखनऊ जिले में चुनाव अधिकारियों के विरुद्ध कुल मिला कर ३३ शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये जिन में से १३ प्रार्थना-पत्र गलत ढंग से नाम निर्देशन-पत्र स्वीकार करने के संबंध में, १२ प्रार्थना-पत्र गलत ढंग से नामनिर्देशन-पत्र खारिज करने के संबंध में, ४ प्रार्थना-पत्र नामनिर्देशन पत्र लेने से इन्कार करने के सम्बन्ध में, ३ प्रार्थना-पत्र मतदान के समय की गई अनियमितताओं से संबंधित तथा एक सामान्य शिकायत के थे। यह शिकायती प्रार्थना-पत्र क्रमशः निम्न गांव सभाओं से प्राप्त हुये थे :—

१—मोदा
२—खुर्रमनगर
३—लोनहा
४—रसूलपुर टिकनियांमऊ
५—दौना
६—जगदीशपुर बुजुर्ग
७—कुसमौरा हलुआपुर
८—कासिमपुर बिरूहा
९—मऊ
१०—चन्द्रावल
११—थरी
१२—शाहपुर मझगवां
१३—गौरा
१४—खाण्डे देव
१५—अगहिया
१६—बरकतावाद
१७—माती
१८—कुसमरी
१९—पत्हरी
२०—सालेहनगर (२ प्रार्थाना-पत्र)
२१—खड़ौहा
२२—तिरूआ
२३—खेसरावां
२४—गौरभीतडिडौली
२५—दसदोई (२ प्रार्थना-पत्र)
२६—पुरनिया (२ प्रार्थना-पत्र)
२७—खरीका
२८—करीमाबाद
२९—बड़ागांव तथा
३०—दखिनाशेलरपुर

*३६—**श्री रामशरण यादव** (अनुपस्थित)—सरकार ने इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रथम प्रकार के १३ प्रार्थना-पत्रों पर पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा १२ ख-ख के अन्तर्गत निर्वाचन निदेशक (पंचायत) द्वारा विचार किये जाने के पश्चात् समुचित आदेश प्रदान किये गये।

दूसरी प्रकार के १२ प्रार्थना-पत्रों पर जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा विचार करने के पश्चात् समुचित आदेश प्रदान किये गये ।

तीसरी प्रकार के ४ प्रार्थना-पत्रों को जिला मैजिस्ट्रेट ने प्रमाण के अभाव में तथा चुनाव फल घोषित हो जाने के कारण खारिज कर दिया।

चौथे तथा पांचवें प्रकार के चारों प्रार्थना-पत्रों में प्रार्थियों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा कराये जाने पर आरोप निराधार पाये गये।

गोरखपुर जिला सहकारी बैंक में गड़बड़ियों की जांच

श्री मंगलाप्रसाद—अध्यक्ष महोदय ३७, ४१, ४२ तथा ४३ प्रश्न एक ही तरह के हैं इसलिये अगर सब ले लिये जायं तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, ले लीजिये।

*३७—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को गोरखपुर से कोई पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ है जिसमें जिले के सहकारी बैंक तथा सहकारी फेडरेशन के प्रबन्ध संचालक तथा संचालक मण्डल द्वारा की गई अनियमितताओं तथा आर्थिक गोलमाल पर प्रकाश डाला गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र की प्रतिलिपि तथा उस पर की गई कार्यवाही सदन के सम्मुख रखेगी?

*४१—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या फरवरी, १९६० में गोरखपुर जिला सहकारी बैंक की गड़बड़ियों के सम्बन्ध में जांच कराई गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार उस रिपोर्ट की प्रमुख-प्रमुख बातें सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी?

*४२—क्या सरकार उक्त जांच के सम्बन्ध में उक्त बैंक के प्रबन्ध-संचालक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को प्रमुख-प्रमुख बातें सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगी?

*४३—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त जांच रिपोर्ट पर डिप्टी रजिस्ट्रार गोरखपुर ने भी अपना कमेंट दिया था? यदि हां तो क्या सरकार उक्त कमेंट की खास-खास बातें सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगी?

श्री मंगलाप्रसाद—जो सूचना इन प्रश्नों के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है वह पर्याप्त नहीं है अतः अतिरिक्त सूचना और एकत्रित की जा रही है। मैं चाहता हूं कि इसके लिये थोड़ा वक्त और दिया जाय। यह मामला ऐसा है कि जिस पर सूचना जरा काफी एकत्रित करके आप के सामने रखी जाय। इसकी वजह यह है कि हम गये थे गोरखपुर तो कुछ वहां के अफसरों से बातचीत की थी तो मालूम हुआ कि जो सूचना पहले आई थी उसमें कुछ थोड़ी गलती थी। इसलिये मैं समझता हूं कि सूचना पूरे तौर से एकत्रित हो जाय। मसला जरूरी है और आप के सामने आये तो मुकम्मल तौर पर आये तो ठीक है, वर्ना यह मुनासिब नहीं होगा कि कोई बात कह दी जाय रिपोर्ट पर और सूचना दूसरी आये।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि २९-११-६० से यह प्रश्न आप के दफ्तर में है और अब तक साढ़े चार महीने होने आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है कि यह नहीं मालूम हो सका कि यह पत्र किसका था?

श्री मंगलाप्रसाद—पत्र किसका था यह तो मालूम है लेकिन पत्र में जिन चीजों पर शिकायत की गई है अगर वही लिख दिया जाय तो बहुत से लोगों को शिकायत का सवाल पैदा हो जाता है। इसलिये वह सही वाकया है इसके लिये जांच करना आवश्यक है इस से पहले कि सब वाकयात आपके सामने रखे जायं।

निर्विरोध पंचायत-चुनाव

*३८—**श्री राजेंद्रसिंह** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने प्रतिशत प्रधानों के चुनाव निर्विरोध हुये और कितने प्रतिशत सदस्यों के चुनाव निर्विरोध हुये हैं।

श्री कैलाशप्रकाश—प्रदेश के ४६ मैदानी जिलों में जो निर्वाचन हुये हैं उनमें प्रधानों के ४२.३ प्रतिशत तथा सदस्यों के ५४.६ प्रतिशत निर्विरोध चुनाव हुये हैं?

देवरिया जिले में पंचायत चुनावों के संबंध में शिकायत

*३९—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को देवरिया के किसी विधायक का ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत है कि गत पंचायत चुनाव में देवरिया जनपद में अवैधानिक कार्य एवं धांधलियां की गयीं?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, श्री उग्रसेन सदस्य विधान सभा का पत्र प्राप्त हुआ था।

*४०—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री उक्त पत्र में आरोपित तथ्यों की जांच करा कर सम्बन्धित कर्मचारियों को उचित दण्ड देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश—आवश्यक जांच कराई गई पर शिकायत सिद्ध न होने के कारण किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करना उचित न समझा गया।

कोआपरेटिव, संघ हरचन्दपुर का बकाया धन

*४४—**श्री गर्जेंद्रसिंह** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव संघ, हरचन्दपुर, जिला इटावा की कितने रुपये की डिग्रियां किन-किन व्यक्तियों पर हैं?

श्री मंगलाप्रसाद—नीचे लिखे व्यक्तियों पर उनके नाम के सामने दी गई धनराशि की डिग्रियां हैं:

	रु०	न०	पै०
१—श्री मंगू खां	३५		,,
२—श्री छिद्दू सिंह	२२८		,,
३—श्री मुकुट सिंह	२२८		,,
४—श्री अतीउल्ला	४,४०५		६८

*४५—**श्री गजेंद्र सिंह** (अनुपस्थित)—यदि अभी तक डिग्रियां नहीं हुई हैं, तो जिन लोगों पर संघ का रुपया है उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है? किन-किन व्यक्तियों पर कितना-कितना रुपया उक्त संघ का है?

श्री मंगलाप्रसाद—एक सूची मेज पर रखी है जिसमें उपरोक्त चार व्यक्तियों के अतिरिक्त उनके नाम हैं जिन पर संघ का बकाया है। बकाये की रकम और की गई कार्यवाही उनके नाम के सम्मुख दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५ पर)

*४६-४८—श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली)—[हटा दिये गये ।]

गाजियाबाद मास्टर प्लान में भूमि हस्तगत करने के संबंध में शिष्टमंडल की मांगें

*४९—श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद, जिला मरठ के किसानों के डेपुटेशन ने २३ अगस्त, १९६० को मुख्य मन्त्री से जो भेंट गाजियाबाद में ३६,००० एकड़ भूमि Master Plan, Ghaziabad के लिये acquire न करने के सम्बन्ध में की थी उस विषय पर सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—भूतपूर्व मुख्य मंत्री से गाजियाबाद के किसानों का एक पुटेशन मिला था।

किसानों की शिकायतों पर सरकार विचार कर रही है।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उस डेपुटेशन ने कौन-कौन-सी मांगें उप-मंत्री से की थीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—मुख्यतः यह मांग थी कि उनकी भूमि को अर्जित करने के लिये जो विज्ञप्ति जारी की गयी है उसे वापस ले लिया जाय।

श्री तेजासिंह—गाजियाबाद का डेवलपमेंट करने के लिये जो मास्टर प्लान बनाया गया है तो उस प्लान के सम्बन्ध में क्या उनकी यह भी मांग थी कि उनका नुमाइन्दा भी रखा जाय एक्जिक्यूटिव में ?

श्री कैलाशप्रकाश—विशेषतौर से मुझे यह मालूम नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—जो डेपुटेशन सरकार से मिला था उसने यह भी मांग की थी कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास कम भूमि है अगर उनकी भूमि ले ली जाय उस योजना में तो उनको मुआविजे के बजाय भूमि दी जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, जब कभी भूमि अर्जित की जाती है तो भिन्न-भिन्न तरीके से उपचार और उपाय के सुझाव आते ही रहते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—जिस भूमि के अर्जन के बारे में यह प्रार्थना आई है कि भूमि अर्जित न की जाय तो सरकार ने उस पर क्या विचार किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—सम्भवतः इस सदन में मैं पहले भी बतला चुका हूं। गाजियाबाद—दिल्ली के निकट दिल्ली का बहुत विस्तार हो रहा है और उस विस्तार तथा विकास का असर गाजियाबाद पर भी पड़ रहा है। कुछ इंडस्ट्रीज गाजियाबाद में भी खुल रही है। इसलिये यह विचार हुआ कि गाजियाबाद के लिये भी एक मास्टर प्लान बनाना चाहिये जिससे उस नगर का विकास ठीक तरीके से हो सके। मास्टर प्लान का ड्राफ्ट बनाया जा चुका है। उसको प्रकाशित किया जा चुका है क्योंकि इस दौरान में वे लोग जिनके पास पैसा है वे वहां के किसानों की भूमि को थोड़े पैसे पर खरीद रहे थे और मास्टर प्लान के बनने में दिक्कत होती थी। इसलिये जो भूमि मास्टर प्लान के अन्तर्गत मसविदे में है उसको नोटिफ़ाई कर दिया गया कि यह भूमि ली जायगी। मास्टर प्लान के ऊपर एतराज़ात सुन लिये गये हैं और जब वह अन्तिम हो जायगी तब इस चीज़ के ऊपर कि कौन-सी भूमि की किस को आवश्यकता होगी और उस सिलसिले में क्या किया जाय अन्तिम निर्णय किया जा सकेगा।

*५०—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री उग्रसेन—[१७ अप्रैल, १९६१ के लिय स्थगित किया गया।]

अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजनान्तर्गत झांसी कोआपरेटिव बैंक से ऋण वितरण

*५१—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में नये मकानों के बनाने के लिये १९५८–५९, १९५९–६० व १९६०–६१ में कोआपरेटिव बैंक द्वारा कर्ज देने के लिये कितना-कितना रुपया एलाट किया गया था तथा कितना-कितना दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश— अल्प आयवर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण देने के लिये उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा जिलेवार कोई एलाटमेन्ट नहीं किया जाता है। हां उक्त बैंक द्वारा झांसी जिले के लोगों को १९५८–५९ में २५,५,५०० रु० १९५९–६१ में ४,५०० रु० तथा १९६०–६१ में ३१ दिसम्बर, १९६० तक ७,२०० रुपया दिया गया।

*५२—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त वर्षों में उपर्युक्त बैंक के पास वहां से कितने-कितने प्रार्थन-पत्र आये थे और उनमें से कितने-कितने प्रार्थियों को उन्हीं वर्षों में रुपया दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—झांसी जिले से १९५९–६० में उक्त बैंक के पास १७,००० रुपये के ऋण के लिये ३ प्रार्थना-पत्र आये थे, जिनमें से १२,००० रुपये के दो प्रार्थना-पत्र जून, १९६० में स्वीकृत हो गये थे। ऋण की दो-दो किस्तें प्रार्थियों को जनवरी, १९६१ तक दी जा चुकी हैं। तीसरी किस्त मकान छत तक बन जाने की सूचना तथा जिला सहकारी आफिसर की सिफारिश प्राप्त होने पर दी जायेगी। तीसरे प्रार्थी को कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि उसका प्लान नगर एवं ग्रामनियोजक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

१९५८–५९ तथा १९६०–६१ में ३१ दिसम्बर, १९६० तक झांसी जिले से उक्त बैंक के पास ऋण के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये थे, उनमें से कितने विचाराधीन हैं और कितने खारिज कर दिये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, मैं तो उत्तर दे चुका कि १९५८–५९ में ३१ दिसम्बर तक वहां कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया। सन् १९५९–६० में तीन प्रार्थना-पत्र आये थे जिनमें से दो मंजूर कर लिये गये और एक नामंजूर।

न्याय पंचायतों के परिसीमन पर विचार

*५३—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस समय पंचायती अदालत क्षेत्रों का परिसीमन किया जा रहा है? यदि हां, तो किस प्रकार ?

श्री कैलाशप्रकाश—न्याय पंचायतों के परिसीमन का मामला अभी विचाराधीन है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायतों का चुनाव परिसीमन की कार्यवाही समाप्त हो जाने पर होगा या कब होगा ?

श्री कैलास प्रकाश—जी हां, परिसीमन तो पहले कर लेना ही होगा और उसके पश्चात् ही न्याय पंचायतें बनेंगी।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायतों का सीमा निर्धारण किसके द्वारा किया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस सम्बन्ध में सुझाव मागे जाते हैं जिलाधीश से और कभी-कभी ब्ला क कमेटीज से भी परामर्श लिया जाता है । किन्तु मै यह निवेदन किया चाहता हूं कि यह प्रश्न अभी विचाराधीन है । इस वजह से विशेषकर यह प्रश्न उठा था कि जो विलेज लेविल वर्कर्स हैं और पंचायत सेक्रेटरी हैं उनका सीमा क्षेत्र एक कर दिया जाय, किन्तु उसमें कुछ पंचायत सेक्रेटरियों की संख्या बढ़ती है । अब आज कल को देखते हुये पंचायत सेक्रेटरियों की सीमा बढ़ायी जायगी या नहीं यह भी एक प्रश्न विशेषकर है । नहीं बढ़ायी जायगी तो कोई विशेष परिसीमन परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अगर बढ़ायी जायगी तो परिसीमन में परिवर्तन करना होगा । ये सब विषय अभी विचाराधीन हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब तक नये सिरे से न्याय पंचायतों का चुनाव नहीं होगा तब तक इस बीच में कौन सी न्याय पंचायतें काम करेंगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—अभी तो वह न्याय पंचायतें बनी हैं ।

*५४-५५—**श्री लायकसिंह चौधरी** (जिला मैनपुरी)—[१७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५६—**श्री शिवप्रसाद नागर**—[१७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५७-५८—**श्री इस्तफा हुसैन** (जिला गोरखपुर)—[१० अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५९-६०—**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)—[१७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

सलेज फार्म, लखनऊ में अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट

*६१—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को सलेज फार्म, लखनऊ में अनियमितताओं के सम्बन्ध में मुख्य नगर अधिकारी द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट इस वर्ष प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—सरकार को मुख्य नगर अधिकारी के उस आदेश की प्रति प्राप्ति हुई है जो इनके द्वारा सलेज फार्म की अनियमितताओं के सम्बन्ध में कलेक्शन सुपरिन्टेन्डेन्ट के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक जांच के फलस्वरूप पारित किया गया है । इस आदेश में सलेज फार्म के प्रशासन की निम्नलिखित अनियमितताओं पर प्रकाश डाला गया है:—

(१) सलेज फार्म के १३६२ से लेकर १३६४ फसली तक के डिमांड तथा कलेक्शन रजिस्टरों पर हस्ताक्षर नहीं किये गये ।

(२) उपर्युक्त अवधि के सलेज फार्म के एलाटमेंट रजिस्टरों की जांच नहीं की गई और न उन पर हस्ताक्षर किये गये ।

(३) उक्त वर्षों में सलेज फार्म का एक बड़ा क्षेत्र बिना उपयोग में पड़ा रहा।

(४) असामियों से जिनको भूमि खंड पट्टे पर दिये गये थे कुबूलियत या इकरारनाम नहीं लिखवाये गये ।

---

*नोट—तारांकित प्रश्न ५३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

(५) १३६२ से १३६४ फसली तक तमाम बकाया मांगों (arrear demands) का डिमान्ड तथा कलेक्शन रजिस्टर में नवीकरण नहीं किया गया (not carried forward) जिसका परिणाम यह हुआ कि नगरपालिका, लखनऊ की १,६१,५७४ रु० ३२ नये पैसे की धनराशि मियाद बाहर हो गई और वसूल न हो सकी ।

मुख्य नगर अधिकारी के आदेश से यह भी पता चलता है कि उपर्युक्त अनियमितताओं के लिये कलेक्शन सुपरिन्टेन्डेन्ट के अतिरिक्त तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, सलेज फार्म के सहायक अधीक्षक, लिपिक तथा कुछ अन्य कर्मचारी भी उत्तरदायी थे। सिवाय लिपिक तथा कलेक्शन सुपरिन्टेन्डेन्ट के अन्य सभी अधिकारी व कर्मचारी जांच के समय सेवा में नहीं रह गये थे, क्योंकि वे पहले ही रिटायर हो गये थे या नौकरी छोड़ कर चले गये थे। मुख्य नगर अधिकारी ने कलेक्शन सुपरिन्टेन्डेन्ट को केवल आंशिक रूप में ही उत्तरदायी पाया और चूंकि जांच समाप्त होते-होते उनके रिटायर होने का समय आ गया था इस कारण उन्होंने उनको ४ जनवरी, १९६१ को सेवा से निवृत्त कर दिया। साथ ही उन्होंने यह आदेश दिया कि कलेक्शन सुपरिन्टेन्डेन्ट के उत्तरदायित्व के अनुपात के हिसाब से उनके विरुद्ध सरचार्ज प्रोसीडिंग्स चलायी जायं। सलेज फार्म के लिपिक के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में सरकार ने मुख्य नगर अधिकारी को सूचित किया है कि सरकार की दृष्टि में सलेज फार्म के घाटे के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों की कर्त्तव्य पालन में अवहेलना अत्यन्त गम्भीर है, तथा उन्हें यह निदेश दिया है कि वे सभी उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध शीघ्रता से कड़ी कार्यवाही करें।

टनकपुर टाउन एरिया को अनुदान

*६२—**श्री प्रतापसिंह**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने टाउन एरिया, टनकपुर, नैनीताल को नये टाउन के प्लान को लागू करने का आदेश दे दिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

*६३—**श्री प्रतापसिंह**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ मार्च, १९५९ से आज तक टाउन एरिया, टनकपुर को कितना अनुदान सरकार द्वारा दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—१ मार्च, १९५९ से अब तक टाउन एरिया, टनकपुर को जो अनुदान सरकार द्वारा दिया गया वह निम्न प्रकार है:

आर्थिक वर्ष	अनुदान की रकम रु०	किस हेतु
१९५९–६०	२,०००	सड़क सुधार
१९६०–६१	२,०००	,,
१९६०–६१	५,०००	,,

खटीमा टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव तथा नैनीताल में रिक्शा कम करने का आदेश

*६४—**श्री प्रतापसिंह**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खटीमा (नैनीताल) में टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास आया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, जन-गणना अधीक्षक के अनुरोध पर प्रस्ताव पर ३१–३–१९६१ तक के लिये कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। इस तिथि के बाद आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

*६५—श्री प्रतापसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने नैनीताल में जो २५ रिक्शे चलते हैं उनको कम करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, यह आदेश प्रदेश की समस्त नगरपालिकाओं को दिये गये हैं, क्योंकि शासन की दृष्टि से रिक्शों की क्रमिक समाप्ति जनहित में होगी ।

प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि आज हमारे प्रश्न ७, ८ थे और वह २५-२६ दिन के बाद लिये गये और १४ दिन के लिये अब फिर स्थगित कर दिये गये हैं । तो क्या ४० दिन में प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, जबकि १५ दिन में प्रश्नों का उत्तर आ जाना चाहिये था ?

श्री अध्यक्ष—यह तो मैं इसका जवाव यहां नहीं दे सकता हूं । इसकी जो फाइल है वह मेरे कमरे में मिलेगी । प्रश्न क्यों पोस्टपोन हुआ, यह मैं वहीं बता सकता हूं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, दूसरा हमारा निवेदन यह है कि यह बहुत ही महत्व-पूर्ण प्रश्न है और अब स्थगित होने से यह आखिर में आयेंगे तो इन पर अनुपूरक प्रश्न नहीं हो पायगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताला)—अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपके नेत्र सर्वदर्शी हैं, लेकिन आपका चश्मा बीच में आ जाता है तो कैसे आपका ध्यान आकर्षित करें, यह दिक्कत हो जाती है ।

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (समितियों के सभापति तथा उप-सभापति के निर्वाचन की रीति) नियमावली में नगरपालिका (ख) विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू० १४६-ए/११-ख—१०१५-कवाल-६०, दिनांक १० फरवरी, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज.पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

शिक्षा उपमंत्री श्री (रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू० ओ० २४१/१-क—१२२-डी-५७, दिनांक १ मार्च, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० पर राज्यपाल महोदय की अनुमति २९ मार्च, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया ।

---

*छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ पर राज्यपाल महोदय की अनुमति २९ मार्च, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

बहेड़ी (जिला बरेली) चीनी मिल में मजदूरों की हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार जिस विषय को मैंने स्वीकार किया है, वह इस प्रकार है कि—"राज्य के बरेली जिले में बहेड़ी स्थित चीनी मिल के मजदूरों द्वारा सन् १९५१ ई० सीजन के बोनस तथा अन्य मांगों के बार-बार मांग करने पर मिल मालिकों तथा सरकार द्वारा ध्यान न दिये जाने के कारण की जाने वाली हड़ताल में सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप, नेताओं की गिरफ्तारी तथा मजदूरों पर लाठी चार्ज के कारण राज्य के समस्त चीनी उद्योग के मजदूर वर्ग में जो चीनी उद्योग वेतन मण्डल की सिफारिशों के लागू न किये जाने के कारण पहले से ही असंतुष्ट हैं भयंकर क्षोभ व्याप्त हो गया है तथा स्थिति ने औद्योगिक शान्ति की दृष्टि से विस्फोटक रूप धारण कर लिया है। अतः मैं उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अनुसार सरकार तथा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं"।

इसके ऊपर आप कब वक्तव्य देंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—तीन दिन में।

श्री अध्यक्ष—शुक्रवार को आप दे दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

मथुरा जिले के भूरीसिंह कांस्टेबिल को थानेदार रकाबगंज द्वारा गोली से मारे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—श्री टीकाराम पुजारी ने जो प्रश्न २८ मार्च, १९६१ को सदन में उपस्थित किया था कि ९ मार्च, १९६१ को रकाबगंज, आगरे में ड्यूटी पर नियुक्त श्री भूरीसिंह कांस्टेबिल को थानेदार रकाबगंज द्वारा गोली मारे जाने आदि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

***शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)**—अध्यक्ष महोदय, आगरा के रकाबगंज थाने पर कांस्टेबिल भूरीसिंह मार्च ८–९, १९६१ की रात को १२ से ३ बजे तक संतरी की ड्यूटी पर तैनात था। ४१० बोर का मस्केट तथा ३५ राउन्ड कारतूस उसके पास थे। हेड कांस्टेबिल श्रीराम उस समय अपने दफ्तर का काम खत्म करके थाने के दफ्तर में सो रहा था। लगभग २–५५ बजे रात को उसने गोली की आवाज सुनी और बाहर निकल कर देखा कि कांस्टेबिल भूरी सिंह बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ दर्द से कराह रहा है और खून बह रहा है। मस्केट जमीन पर पड़ा हुआ था। हेड कांस्टेबिल श्रीराम ने बैरेक में मौजूद सब सिपाहियों को तत्काल बुलाया और एस० ओ०, रकाबगंज श्री के० के० सिंह के पास खबर भेजी। खबर पाते ही वे तुरन्त अपने क्वार्टर से बाहर आये और भूरीसिंह से घटना के बारे में पूछा तो भूरीसिंह ने केवल यह बताया कि उसने स्वयं गोली मार कर खुदकुशी कर ली है। एस० ओ० ने तत्काल फ्लाइंग स्क्वाड लाने के लिए फोन किया। उसी रात को ३–१५ बजे फ्लाइंग स्क्वाड थाने पर आ गया और भूरीसिंह को कुछ सिपाहियों के साथ सरोजनी नायडू अस्पताल के एमर्जेंसी वार्ड में पहुंचाया गया। एस० ओ० ने डी० एस० पी० (सिटी) और एस० एस०

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप यादव]

पी० को भी फोन से उसी समय सूचना भेज दी। डी० एस० पी० (सिटी) तुरन्त ही अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में खून से लथपथ कमीज कान्टेबिल भूरीसिंह के शरीर से उतारते समय कमीज की जेब से एस० ओ० श्री के० के० सिंह के नाम भूरीसिंह द्वारा लिखा गया एक पत्र मिला जिसमें उसने लिखा था कि वह जो कुछ कर रहा है अपनी बेवकूफी से कर रहा है। डी० एस० पी० (सिटी), थाना रकाबगंज के एस० ओ० और अन्य पुलिस कर्मचारी अस्पताल में ९ मार्च को सुबह ९ बजे तक रहे। सुबह साढ़े ६ बजे एस० डी० एम० फतेहाबाद ने भूरीसिंह का डाइंग डिक्लेयरेशन रेकार्ड किया जिसमें भूरीसिंह ने स्वयं अपने आपको गोली से मारने का इकरार किया और यह कहा कि उसकी किसी पुलिस कर्मचारी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने मजिस्ट्रेट को खुदकुशी करने का कारण बताने से इनकार किया। डाक्टर ने आपरेशन करके शरीर से गोली निकाली और यह आशा थी कि कांस्टेबिल की जान बच जायेगी।

दूसरे दिन १० मार्च को सुबह भूरीसिंह की स्त्री अस्पताल पहुंची और उसके बाद ही भूरीसिंह का भाई, उसका पिता और ससुर भी अस्पताल पहुंच गये और उन्होंने भूरीसिंह को जा कर देखा और करीब तीन दिन उसके साथ वहां रहे। तीन दिन रहने के बाद भूरीसिंह के बाप अस्पताल से चले गये और भूरीसिंह की स्त्री और ससुर वहीं रहे। अचानक भूरीसिंह की हालत ज्यादा खराब हो गयी और डाक्टरों की कोशिश के बावजूद भूरीसिंह की मृत्यु १५-३-६१ को शाम को ४-४० पर आपस्ताल में हो गयी। भूरीसिंह की स्त्री और ससुर शव को ग्राम ऊंचागांव, जिला मथुरा ले जाना चाहते थे, इसलिए पंचायतनामा तैयार करके शव को मृतक की स्त्री व ससुर के सुपुर्द कर दिया गया।

यह सही नहीं है कि भूरीसिंह सिपाही को एस० ओ० रकाबगंज ने शूट किया। यह भी सही नहीं है कि एस० ओ० ने भूरीसिंह की मृत्यु हो जाने पर पोस्ट मार्टम नहीं होने दिया। सही स्थिति यह है कि भूरीसिंह की स्त्री तथा ससुर ने मृत्यु के बाद प्रार्थना की कि शव को गांव ले जाने की इजाजत उन्हें दे दी जाय। डी० एस० पी० (सिटी) ने पंचायतनामा तैयार हो जाने के बाद शव उनको दे दिया, क्योंकि उनकी राय में मृत्यु में किसी बात का संदेह नहीं था और उन्हीं के आदेश से शव भूरीसिंह की स्त्री व ससुर को दिया गया था।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब भूरीसिंह कांस्टेबिल का तबादला अछनेरा थाने से रकाबगंज थाने को हुआ तो वह थानेदार भी अपना तबादला करवाकर रकाबगंज थाने में आये, इसका क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न इससे तो पैदा नहीं होता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार भूरीसिंह ने अपनी बेवकूफी से खुदकुशी की, तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की कि उसने बेवकूफी से खुदकुशी क्यों की, सिवा इसके कि उससे पूछा, इसके अलावा और कोई जांच की ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)---वैसे तो जैसा मैंने कहा कि जो बेवकूफी हो गई उसके लिये फिर और एन्क्वायरी करने की जरूरत अफसरान ने नहीं समझी, लेकिन अगर माननीय पालीवाल जी और माननीय टीकाराम जी को कोई ऐसी बात मालूम है कि जो इस समय वे नहीं कह सकते या और कोई बात उनके दिल में है तो वह मुझे बतलाने की कृपा करेंगे तो मैं जांच करा लूंगा, लेकिन जो रिपोर्ट हमारे पास आयी है उसमें कोई फाउल प्ले मुझे मालूम नहीं पड़ता।

श्री टीकाराम पुजारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूरीसिंह का भाई जो फौज में रहता है वह आया था और उसको नहीं मिलने दिया और न लाश का मुआयना करने

दिया, इसकी सरकार किसी बड़े अफसर से जांच करायेगी और कौन-सी भीतरी रंजिश थी कि जिसकी वजह से यह हुआ और बाद में यह खुदकशी करने की बात बनाई गई इसकी भी जांच करायेगी ? वह गोली रिवाल्वर की थी या राइफल की थी, इसकी भी जांच कराकर सरकार डाक्टर से रिपोर्ट मांगेगी ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मित्र की पूरी बात तो सुन नहीं पाया। लेकिन इतनी बात कह सकता हूं कि जो हमारे पास रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की आयी है वह इतनी साफ है कि उससे यह नहीं जाहिर होता कि वहां उनके भाई को, उनकी स्त्री को या उनके बाप को या ससुर को मिलने से इनकार किया गया। वह उनसे बराबर मिलते रहे और उनकी स्त्री और ससुर तो बराबर आखिरी वक्त तक, प्राणान्त तक अस्पताल में रहे। इसके अलावा डी–वाई० एस० पी० रोज अस्पताल में जाते रहे और उनसे बात करते रहे, लेकिन भूरीसिंह ने कभी कोई इशारा फाउल प्ले का डी–वाई० एस० पी० से नहीं किया।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दुर्घटनाग्रस्त इस तरह की मृत्यें होती हैं उसमें पोस्ट मार्टम कराना जरूरी है, तो इस मामले में उनकी स्त्री के कहने से ही पोस्ट मार्टम क्यों नहीं कराया गया ?

श्री चरणसिंह—उनकी स्त्री के कहने की वजह से पोस्ट मार्टम नहीं हुआ यह बयान तो गवर्नमेन्ट की तरफ से नहीं हुआ। यह तो डी–वाई०एस०पी० ने ही जरूरी नहीं समझा, क्योंकि कोई फाउल प्ले की आशंका उनको नहीं थी इसलिये पंचायतनामा से ही लाश दे दी गई।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अभी कुछ महीने पूर्व आगरे ही में एक भूतपूर्व क्रांतिकारी, जो मैनपुरी के परगनाधीश थे उन्होंने सूसाइड किया और जब उनकी मृत्यु हो गई तो सरकार से प्रार्थना की गई थी कि ये पुराने क्रांतिकारी थे इनका पोस्ट मार्टम न कराया जाय, लेकिन सरकार ने उस प्रार्थना को ठुकरा दिया और आज इस सुसाइड में पोस्ट मार्टम नहीं कराया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो वह कहते हैं कि किसी ने मारने का चार्ज इसमें किया ही नहीं। आप दूसरे मामले को कह रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का केस वह भी था। उन्होंने भी स्वयं सुसाइड किया था और इसमें भी स्वयं सूसाइड हुआ है। तो उसमें सरकार ने प्रार्थना स्वीकार नहीं की। मैं स्वयं गया था और मैंने कहा कि ये पुराने क्रांतिकारी हैं और चिट्ठी भी उनकी जेब से निकली थी, लेकिन उनका पोस्ट मार्टम कराया गया। तो इस मामले में पोस्ट मार्टम क्यों नहीं कराया गया, क्या पुलिस का केस था इसलिये ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझको यह मालूम हुआ है कि जिस मैनपुरी के केस का माननीय मित्र जिक्र कर रहे हैं उसमें फौरन उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें छः दिन बाद मृत्यु हुई है। उसका डाइंग डिक्लेरेशन हुआ है और उसके जिस्म से खत मिला है। इसलिये ६ दिन बाद मृत्यु होने के बाद और उसकी वाइफ और ससुर के कहने पर डी–वाई०एस० पी० ने मुनासिब नहीं समझा कि पोस्ट मार्टम कराया जाय।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, उसमें भी तीन दिन बाद मृत्यु हुई थी। माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वह मैनपुरी से आगरे गये और तीन दिन बाद उनकी मृत्यु हुई।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूरीसिंह कांस्टेबिल उसी थाने पर पहले थे जिस पर रकाबगंज थाने के थानेदार थे?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ऐक्सीडेंटल डेथ में पोस्ट मार्टम कराना कानून के अन्तर्गत लाजिमी है? मैं मान्यवर, आपकी इजाजत से माननीय मंत्री जी की सूचना के लिये अर्ज कर दूं कि गांधी जी का पोस्ट मार्टम न किया जाय इसके लिये रात के साढ़े नौ बजे आर्डिनेंस निकाला गया था। तो ऐक्सीडेंटल डेथ के लिये जब पोस्ट मार्टम कराना लाजिमी है तो इसमें क्यों नहीं कराया गया?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने एवीडेंस ऐक्ट सन् १९२५ में पढ़ा था। तब से नहीं पढ़ा है। मुझे नहीं मालूम कि क्या है।

कानपुर में आग लगने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब सर्वश्री भुवनेशभूषण शर्मा, गोविंदसिंह विष्ट तथा रामस्वरूप वर्मा द्वारा दिनांक ३१ मार्च, १९६१ को दी गई सूचना पर कानपुर के दाल मंडी बाजार में हुये भीषण अग्निकांड तथा संबंधित अधिकारियों की लापरवाही आदि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत स्वायत्त शासन मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—मान्यवर, दिनांक २८, २९ की रात को २.५० मिनट पर एक सज्जन, जिसने अपना नाम श्री मुरलीधर बताया, ने टेलीफोन नम्बर २३६६० से क्षेत्रीय फायर स्टेशन, लाटूश रोड को सूचना दी कि दालमंडी नयागंज में आग लगी है, गाड़ी जल्दी भेज दी जाय। सूचना के प्राप्त होते ही २.५१ बजे फायर स्टेशन आफिसर श्री मोहम्मद शफी एक वाटर टैंकर तथा एक टोइंग वेहेकिल ट्रेलर पम्प यूनिट लेकर घटनास्थल के लिये प्रस्थान हो गये और ३,४ मिनट में घटनास्थल पर पहुंच गये। पहुंचने पर उन्होंने आग को प्रचंड रूप धारण किये हुये पाया। उन्होंने पहुंचते ही वाटर टैंकर से २ शक्तिशाली पानी के जेटों को, जिधर आग बढ़ती जा रही थी, चालू करवाया और साथ ही साथ पम्प यूनिट को पास वाले हाइड्रेन्ट पम्प पर से चालू करने का आदेश दिया। पम्प यूनिट तुरन्त हाइड्रेन्ट पर ले जाया गया और हाइड्रेन्ट की चूड़ियों को पूर्णरूप से खोल दिया गया। परन्तु दुर्भाग्यवश उसमें से पानी नहीं मिला। कोई समय न खोकर वे अपने एक आदमी को वहां तैनात करके और उस पम्प यूनिट को लेकर पास के बहते हुये नहर में लगाने के लिये ले गये। नहर रोड के स्थल से १५ फीट नीचे बह रही थी। बड़ी कठिनाइयों और अड़चनों को झेलते हुये उन्होंने भारी पम्प को फेंसिंग के उस पार ढकेलवाया और उस वजनी पम्प को बड़ी सावधानी के साथ नीचे उतरवा कर उसे पानी में लगाकर चालू किया और उससे २ लाइनों में पानी देकर पानी को २ अच्छे जेटों को प्राप्त करके उन्हें आग की तेज प्रगति को रोकने की भरपूर चेष्टा में संलग्न हो गये।

इसी बीच किसी सज्जन ने कप्तान महोदय, शहर को आग की भीषणता से अवगत कराया तथा और भी आग बुझाने वाली मशीनों की मांग की। एस०पी०सिटी ने चीफ फायर आफिसर को तुरन्त हेडक्वार्टर फायर स्टेशन, फजलगंज में सूचना दी। चीफ फायर आफिसर को फोन करने के पश्चात् उन्होंने एक टेलीफोन फायर स्टेशन, कर्नलगंज को भी ३.५ मिनट पर किया और हुक्म दिया कि वहां का भी वाटर टैंकर आग पर भेज दिया जाय। ३.६ मिनट पर उनके आदेशानुसार वाटर टैंकर घटनास्थल पर पहुंच कर तुरन्त काम करने लगा। इसी प्रकार सूचना पाते ही चीफ फायर आफिसर, फायर स्टेशन आफिसर, फजलगंज तथा क्रिव (Crew) को लेकर जीप फायर इंजिन से ३.५ बजे घटनास्थल को प्रस्थान किया और ८, १० मिनट के बीच में वह टनास्थल पर पहुंच गये। पहुंचने पर उन्होंने देखा कि ३ जेट वाटर टैंकर से वे २ पम्प

चल रहे हैं और काम बड़ा सन्तोषजनक हो रहा है। अब उन्होंने तुरन्त ही जीप फायर इंजिन को भी पास वाले हाइड्रेन्ट पर लगाने के लिये आदेश दिया। यह वही हाइड्रेन्ट था जिसे कुछ क्षण पहले पानी न पाने के कारण फायर स्टेशन आफिसर, श्री मोहम्मद शफी, नहर पर अपना पम्प लेकर चले गये थे। नहर पर जाने के पूर्व मोहम्मद सफी ने अपने एक आदमी द्वारा ३.५ मिनट पर फायर स्टेशन आफिसर, कर्नेलगंज के पास सूचना भिजवा दी थी कि पानी नहीं मिल रहा है लिहाजा वाटर वर्क्स व जोन पम्पिंग स्टेशन से तुरन्त खुलवाया जाय। ३.१५ पर जीप फायर इंजिन घटनास्थल पर पहुंचा तो उस समय उपर्युक्त अधिकारी ने बताया कि हाइड्रेन्ट इधर है और उसमें अभी पानी चल पड़ा है। फायर स्टेशन आफिसर, फजलगंज ने जीप फायर इंजिन को उस हाइड्रेन्ट पर तुरन्त लगा कर एक अधिक शक्तिशाली जेट २ मिनट के अन्दर ही प्राप्त कर लिया जो कि आग पर चीफ फायर आफिसर के आदेशानुसार एक विशेष स्थान पर चालू किया गया। इसी प्रकार सूचना प्राप्त होने के समय २.५० बजे से लेकर ३.१७ बजे तक के अन्दर यानी २७ मिनट के अन्दर ही यू० पी० फायर सर्विस की मशीनें घटनास्थल पर पहुंच करके, मशीनों को पानी के साधनों पर लगा कर के, और हौज पाइपों को बिछा करके, ६ शक्तिशाली जेटों की सेवायें जनता की जान माल की रक्षा हेतु उपलब्ध करने और आग को ६ मोर्चों पर घेर करके इस हद तक लाचार कर दिया कि आग जहां तक कि पहुंच चुकी थी उसको आगे न बढ़ने दिया और उसको अपने काबू में ले लिया.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं, आपके दफ्तर में जो रिपोर्ट आती है उसमें सदन को क्या कहना है और सदन के अन्दर वक्तव्य में किन चीजों को कहना है, इन सब बातों को एडिट करके आप यहां पर यह वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। आप सब रिपोर्ट को ही पढ़ रहे हैं कि अमुक ने क्या किया और अमुक ने क्या कार्यवाही की, जैसी कि रिपोर्ट स्थानीय अधिकारियों ने भेजी है।

श्री कैलाशप्रकाश—मैं इसलिये इसको ऐसा कर देता हूं कि माननीय सदस्यों को प्रश्न करने पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष—कौन किस प्रकार वहां पहुंचा, इसकी क्या आवश्यकता है।

श्री कैलाशप्रकाश—आग लगने की सूचना जब मिली तो आग बुझाने का काम शुरू हो गया था। आग लगने की सूचना २.५० पर पहले मिली। तुरन्त वहां कार्य चालू हो गया और ३ बज कर १७ मिनट तक वहां जेट वाटर टैंकर चलने लगे। यही विशेष बात थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—डिटेल देने से माननीय सदस्यों को सन्तोष होता है। आपने तो ऐसी रूलिंग दे दी कि उनको रोक ही दिया।

श्री अध्यक्ष—वह संक्षेप में बतला रहे हैं।

श्री कैलाशप्रकाश—यह सही नहीं है कि सी० ओ० डी० की गाड़ी पानी लेकर वापस लौटा दी गई, वह सी० ओ० डी० की यूनिट जब घटनास्थल पर पहुंची तो उस समय तक आग पर काबू पा लिया गया था।

एक यह भी बात है कि इस आग में एक जले हुये मनुष्य का पिंजर आग बुझने के बाद मौके पर मिला। यह जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है कि यह जला हुआ पिंजर किस आदमी का है। न इसकी अभी तक शिनाख्त हो सकी है। किसी आदमी के गायब होने की भी इत्तिला अभी तक पुलिस को नहीं मिली है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वाटर वर्क्स को जिस समय टेलीफोन किया कि पानी नलों में नहीं चल रहा है तो उसके पौन घंटे तक हाइड्रेन्ट नहीं खुले?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, यह सही नहीं है। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, ३ बज कर १७ मिनट पर उस हाइड्रेंट में पानी प्राप्त होकर जेट ने काम करना शुरू कर दिया था।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्रीजी को इस बात की जानकारी है कि वहां के प्रतिष्ठित लोगों ने पानी के लिये जब वाटर वर्क्स के सुपरिन्टेन्डेन्ट को फोन किया तो उनके नौकर ने उत्तर दिया कि वह अभी सो रहे हैं और वे इतनी जल्दी नहीं उठ सकते?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि आग लगने की सूचना जब २ बजकर ५० मिनट पर मिली तो उसके बाद २.५६ पर शफी अहमद वहां पहुंच गये और ३ बजकर १७ मिनट पर हाइड्रेंट ने काम करना शुरू किया। तो २७ मिनट तक वाटर वर्क्स ने वहां खुद सूचना नहीं दी और कर्नेलगंज से सूचना क्यों भिजवाई?

श्री कैलाशप्रकाश—३ बज कर १७ मिनट पर जेट ने काम करना शुरू कर दिया था। पहले जो इंजिन वहां पर काम कर रहा था, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, उसके हौज पाइप नहर में डाल दिये गये थे और वह नहर से काम कर रहे थे। अब उस हाइड्रेंट में पानी आने के पश्चात् उसको इस्तेमाल करने की जरूरत थी। जब यह दूसरा इंजिन पहुंचा तब यह उस हाइड्रेंट में लगाया गया जिसमें पानी आ रहा था। तो निश्चित रूप से यह कहना कि हाइड्रेंट में पानी किस समय आना शुरू हुआ, संभव नहीं है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस दैवी आपत्ति से जो कानपुर के निवासी पीड़ित हैं उनको कौन-कौन-सी सहायता सरकार की ओर से दी गयी है?

श्री कैलाशप्रकाश—अभी तो कोई विशेष सहायता नहीं दी गयी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—शफीक अहमद साहब ने स्वयं वाटर वर्क्स को सूचना क्यों नहीं दी कि पानी नहीं आ रहा है? मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने खुद क्यों नहीं कहा कि पानी की व्यवस्था की जाय, कर्नलगंज स्टेशन की मार्फत इस तरह की सूचना क्यों भिजवायी?

श्री अध्यक्ष—वह क्या बतलायेंगे इस बारे में।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि फायर ब्रिगेड ने जब नहर में अपना पाइप डाला तो पहले वह काम नहीं कर रहा था और उसी समय सी० ओ० डी० आदि की गाड़ियां आयीं और उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे आग बुझाने में, तो उनसे कहा गया कि यह आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, माननीय सदस्य की सूचना सही नहीं है। सी० ओ० डी० की गाड़ी उस समय पहुंची जब कि आग वहां बुझाई जा चुकी थी और जब वे पहुंची तो उन्होंने देख ही लिया कि यहां अब आग बुझाने की कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरी बात यह कि वह पानी लेकर आयी थीं। उनके पास गाड़ी ही नहीं है कि जो पानी लेकर आतीं। तो वह सवाल उठता ही नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि लगभग २५ मिनट तक जो सी० ओ० डी० की गाड़ियां आयी थीं उनमें और इनमें झगड़ा होता रहा और इसी वजह से आग ज्यादा प्रचंड हो गयी और उसे बुझाने में देर लगी?

श्री कैलाशप्रकाश—मेरी सूचना यह है जो मैंने निवेदन की। यदि माननीय सदस्य के पास अतिरिक्त सूचना हो, उनकी व्यक्तिगत जानकारी हो और वे मुझे विशेष रूप से उसे लिखकर देंगे, तो मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को महसूस करते हैं कि शफीक अहमद साहब जब फायर स्टेशन से रवाना हुए, उनको यह चाहिये था कि सुपरिन्टेंडेंट, वाटर वर्क्स को वे इत्तला दे देते हाइड्रेंट खोलने के लिये, फिर उसके बाद रवाना होते ?

श्री अध्यक्ष---यह तो राय का सवाल है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां जो रिकांस्ट्रक्शन होगा उसके लिये क्या सरकार नगर महापालिका को आदेश देगी कि वह पक्के मकान वहां बनाये और वह पुराने रहने वालों को ही एलाट किये जायं ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस सम्बन्ध में नगर महापालिका का जो सुझाव आयेगा उस पर विचार किया जायगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---इस बात को देखते हुए कि कानपुर की जन-संख्या बहुत अधिक बढ़ गयी है और आये दिन इस प्रकार की घटनायें होती रहती हैं, वहां कोई उचित व्यवस्था इसके लिये करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---आये दिन ऐसी घटनायें होती हैं और आग बुझाने की व्यवस्था अपर्याप्त है, यह दोनों चीजे ही मुझे ठीक नहीं मालूम होतीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इसके कुछ दिन पहले एक मिल में आग लग गयी थी और एक आदमी भी मर गया था, यह दूसरी घटना है, तो इसको देखते हुए वे क्या कुछ विशष प्रबन्ध करने पर विचार करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---जो इन्तजाम है वह तो है ही। कभी-कभी दुर्भाग्यवश आग लग जाती है, लेकिन जो सूचना मैंने सदन को दी है उससे स्पष्ट है कि आग बुझाने का पर्याप्त प्रबन्ध वहां है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे कि यह आग आकस्मिक आग थी, जिसमें १५, २० लाख रुपये का नुकसान हुआ है और इससे जो लोग पीड़ित हैं उनको रिहैबिलिटेशन ग्रा ट, या अनुदान, या सहायता, या अन्य किसी किस्म की रिलीफ देने की बात पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जो नुकसान बताया जा रहा है, हमारी सूचना के अनुसार उतना नुकसान नहीं हुआ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---कितना हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश---उसके ठीक-ठीक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

भूमि संरक्षण मंडल के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। भूमि-संरक्षण मंडल के लिये सर्व श्री (१) जगन्नाथ प्रसाद (खीरी), (२) मलखान सिंह (अलीगढ़), तथा (३) चन्द्रिका प्रसाद (रायबरेली), निर्विरोध चुने गये हैं, क्योंकि शेष सदस्यों ने अपने नाम वापस ले लिये।

कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन की मीटिंग स्थगित होने के बारे में सूचना

श्री अध्यक्ष---एक दूसरी सूचना मुझे यह देनी है कि आज शाम को ५ बजे के बाद कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन की एक आम बैठक होने वाली थी और उसमें यह विचार करना था कि उसकी सदस्यता कायम रहे या नहीं रहे। चूंकि इसमें माननीय

[श्री अध्यक्ष]

मुख्य मंत्री का भी रहना जरूरी था और वे आज यहां हैं नहीं, और मैं लोकसभा के अध्यक्ष से भी इस बारे में परामर्श करना चाहता था, इसलिये वह बैठक आज नहीं होगी और वह ११ अप्रैल को होगी। तबतक मैं उनसे परामर्श भी कर लूंगा। आज बैठक नहीं होगी।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—
अनुदान संख्या २०—शिक्षा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब शिक्षा सम्बन्धी अनुदान पर माननीय धनुषधारी पांडेय अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, आजकल विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की ओर मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिला रहा था। श्रीमन्, जब तक विद्या मन्दिरों में राजनीति रहेगी, तब तक यह भी मानी हुई बात है कि वहां पर अनुशासनहीनता भी रहेगी। तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप विद्या मन्दिर के विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता को रोकना चाहते हैं तो उसके लिये यह जरूरी है कि आप जो वहां की मैनेजमेंट कमेटियां हैं उनके ऊपर यह प्रतिबन्ध लगायें कि उनके विद्यालयों के अध्यापक किसी प्रकार की राजनीति में भाग न लें। उनके लिये यह आदेश दे दिया जाय कि अगर वे राजनीति में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वे विद्या मन्दिरों में न आयें।

इसके साथ ही मैं मैनेजमेंट कमेटियों के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज अधिकांश मैनेजमेंट कमेटियां ऐसी हैं जो यह चाहती हैं कि विद्या मन्दिरों में राजनीति फले-फूले और उनका उल्लू किसी प्रकार सीधा होता रहे, भले ही उनके राजनीति के अखाड़े में उतरने के कारण देश या प्रदेश बरबाद हो। इसलिये उनके ऊपर भी आपको प्रतिबन्ध लगाना चाहिये और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह मानी हुई बात है कि शिक्षा मन्दिरों में अनुशासनहीनता बढ़ेगी, जब अनुशासनहीनता बढ़ेगी तो शिक्षा का स्तर भी गिरेगा और जब शिक्षा का स्तर गिरेगा तो उससे पूरे देश का नुकसान होगा।

अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान बेसिक एजूकेशन बोर्ड की ओर दिलाना चाहता हूं और उनकी भावनाओं की मैं कद्र करते हुए उनसे निवेदन करूंगा, चूंकि उनका ध्यान देहात की हर बात की ओर है, कि बेसिक एजूकेशन बोर्ड में देहात के लोगों का स्थान होना चाहिए। अगर आप देहात की तरक्की चाहते हैं, देहात के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहां के लोगों को बोर्ड में रखना जरूरी है। अगर बेसिक एजूकेशन बोर्ड को संचारित करना है और देश को आगे बढ़ाना है तो जो लोग देहाती जीवन से परिचित हैं उनको बोर्ड में रखना जरूरी है।

आपने १० करोड़ रुपया इस बजट में से प्राइमरी एजूकेशन के लिये रखा है, उसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी को अवश्य धन्यवाद दूंगा कि आपने उस पिछड़े हुए क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिया। अगर प्राइमरी एजूकेशन आगे बढ़ेगी तो देश भी आगे बढ़ेगा।

श्रीमन्, सब से बड़ी चीज, हमारे देश में जब से आजादी हुई, वह यह है कि परीक्षा के दिन इतने लम्बे हो गये, जिसमें परीक्षा में ही ३-४ महीने कट जाते हैं और विद्यार्थियों को फरवरी से ही परीक्षा की तैयारी में लग जाना पड़ता है। जुलाई में स्कूल खुला, एक महीना किताबें खरीदने वगैरह में लग गया और दो एक महीने छुट्टी में जाते हैं। इस तरह से हमारी शिक्षा कितने दिनों चलती है, इसकी ओर ध्यानपूर्वक देखें तो स्पष्ट हो जायगा। इसलिये परीक्षा की अवधि कम की जाय और अगर कम न की जायगी तो पढ़ाई का जो तरीका है और परीक्षा का जो इतना लम्बा समय है इससे विद्यार्थी का जीवन ठीक ढंग से नहीं चलेगा।

---

† १ अप्रैल, १९६१ की कार्यवाही से।

मुझे यह भी निवेदन करना है कि बहुत से स्कूल जो मान्यता प्राप्त हैं, उन स्कूलों को एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनाया गया है। परीक्षार्थियों को अपने स्कूलों से दूर जाना पड़ता है, सैकड़ों लड़के जाते हैं और गर्मी में कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। उनको मैदान में रहना पड़ता है और गर्दो-गुबार और गंदगी में उनको रहना पड़ता है। ऐसी दशा में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर एक मान्यता प्राप्त स्कूल को एग्जामिनेशन सेंटर बनावें।

अब मैं प्रौढ़ शिक्षा की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। प्रौढ़ शिक्षित हमारे देश और प्रान्त के अन्दर बहुत ही कम हैं। आप के पास बहुत से साधन हैं, बहुत से ग्राम-साथी, और सेक्रेटरी हैं, ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० हैं और अन्य अन्य अधिकारी हैं। अगर प्रौढ़ शिक्षा को प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ले लिये होते तो कम से कम एक अदालती पंचायत में जिसमें करीब २५ गांव होते हैं, उनमें से १०-१५ गांव के प्रौढ़ शिक्षित हो जाते। मैं चाहूंगा कि हर एक बी० एल० डब्ल्यू० और सेक्रेटरी को १, १ साल के लिए आज्ञा दें कि एक गांव में प्रौढ़ शिक्षा फैलाएं और अगर इस कार्य को ग्राम-साथी भी करें तो ५ साल के अन्दर सब प्रौढ़ शिक्षित हो जायेंगे। आशा है इस ओर माननीय मंत्रीजी अवश्य ध्यान देंगे।

मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाते हुए निवेदन करूंगा कि प्रान्त के कई एक जिले ऐसे हैं जिनमें शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है और ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां विशेष तौर से कमी है। वहां उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय खोलने का मंत्रीजी का उद्देश्य था, लेकिन गाड़ी चली नहीं। मैं उन पिछड़े हुए क्षेत्रों में बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, पहाड़ी डिवीजन और झांसी डिवीजन का नाम गिनाना चाहता हूं जहां १० मील के अन्दर कोई उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय नहीं है, इसलिये वहां अवश्य खोल जायं। यदि कोई कठिनाई हो तो जूनियर हाई स्कूल को माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित करें। साथ ही साथ मैं मंत्रीजी का ध्यान गोरखपुर यूनिवर्सिटी की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें आज तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत और हिन्दी को लेकर काम चलाया जा रहा है। वह सब से बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिये इस कारण से कि हमारे यहां के शिक्षित लोग बेकार न रहें वहां आप को मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और एग्रीकल्चर कालेज खोल देने चाहिये। जिस वक्त गोरखपुर यूनिवर्सिटी खोलने का विचार हो रहा था तो माननीय पंतजी की बातों में यह बात पायी जाती थी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी को कृषि यूनिवर्सिटी बनायेंगे या कृषि विद्यालय उसमें रहेगा। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी वह मांग और पंतजी की वह वाणी अभी तक बेकार ही रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाते हुए निवेदन करूंगा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मेडिकल, इंजीनियरिंग और कृषि कालेज खोले जायं।

इसके अतिरिक्त जहां तक जूनियर स्कूल और सेंकण्डरी स्कूल्स तक का सवाल है, जब लड़के इन क्लासेज को पास करके निकलते हैं तो उनके सामने नौकरी की बात आती है। इसलिये अगर उसके साथ ही साथ छोटे-छोटे उद्योग भी उनको सिखाये जायं तो हमारे बच्चों का जीवन सफल हो सकता है और गरीबी के कारण जो बच्चे अपनी फीस आदि नहीं दे पाते हैं, वे दे सकेंगे और पढ़ते-पढ़ते कुछ कमाने भी लगेंगे, तो गरीब विद्यार्थियों का इससे बड़ा कल्याण होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और पिछड़े हुए क्षेत्र की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा।

*श्री शिवराम (जिला बिजनौर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। शिक्षा अपने देश के लिये एक बहुत महत्व-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराम]

पूर्ण स्थान रखती है। यदि अपने विद्यार्थियों की शिक्षा अनिवार्य रूप से शिल्प को लेकर दी जाय तो इससे बहुत कुछ देश का हित हो सकता है। यह खुशी की बात है कि सरकार ने इस तरफ अपना कदम बढ़ाया है और इसका ग्रामीण क्षेत्रों में यह असर पड़ा है कि गांवों में रहने वाले अब यह कहने लगे हैं कि स्कूलों में भी बच्चों से मास्टर जी मिट्टी खुदवाते हैं, क्यारियां बनवाते हैं। लेकिन यह एक तरह से अच्छा ही हुआ है, बुरा नहीं।

इस प्रकार की शिक्षा अगर अपने देश में हम तीव्र गति से चलायें तो देश के अन्दर शिल्प विद्या का विकास हो सकता है और बच्चों की बेकारी की मसस्या भी दूर हो सकती है। आजकल का विद्यार्थी पढ़-लिख कर अगर वह नौकरी नहीं पाता तो अपने जीवन को निरर्थक समझता है लेकिन अगर उसको किसी प्रकार की शिल्पविद्या आती है तो नौकरी की तलाश में वह न जा कर स्वतंत्र रूप से किसी उद्योग को चला कर अपनी जीविका उपार्जन कर सकता है। इसलिये यह जो सरकार का विचार है वह बहुत ही उत्तम है।

लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार को प्रारम्भिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। यदि हमारी प्रारंम्भिक शिक्षा ठीक होगी तो हमारे राज्य के जो बालक हैं, वे राष्ट्रनिर्माता होंगे। परन्तु यदि हम अपनी शिक्षा में सुधार नहीं करते हैं तो हमारे सामने अनुशासनहीनता की वैसी ही समस्या बनी रहेगी जैसी कि आज तक देश के अन्दर बनी रही है, हालांकि १२–१३ वर्ष शासन करते हो गये। उनमें अगर अनुशासन नहीं आता, तो इसका कारण क्या है ? हमारे देश की पद्धति यह रही है कि जहां हम इस बात को मानते हैं और हमारा यह मन्त्र है "मातृवान् पितृवान, आचार्यवान् पुरुषोवेद", जहां इस बात की पद्धति रही है कि माता ही प्रथम आचार्य है, वहां आज के माता पिता आचार्य न रह कर यही समझ लेते हैं कि किसी गुरुजी के चरणों में रह कर ही विद्यार्थी सब कुछ सीख लेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज के विद्यार्थी जो विद्या प्राप्त करते हैं, आप सभी जानते हैं कि वे घर के किसी काम-काज में अपने माता-पिता को किसी प्रकार का सहयोग नहीं देते और वे व्यावहारिक जीवन से बिलकुल ही अलग रहते हैं। जहां पहले गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपने घर से अलग रह कर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को उच्च बनाते थे वहां आज उनके जीवन निर्माण की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो अध्यापक हैं वे तबादले के मारे ही परेशान रहते हैं। कहीं तो जिला परिषद् के चेयरमैन किसी शिक्षक का तबादला बहुत दूर कर देते हैं और बहुत से ऐसे शिक्षक भी हैं जो वर्षों से एक ही स्थान पर पड़े हुए हैं और स्कूल के काम के साथ अपनी काश्तकारी भी करते रहते हैं। इस प्रकार की शिकायतें अवश्य रहती हैं कि फलां स्कूल के अध्यापक ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं और उनके तबादले की समस्या लोगों के सामने रात दिन रहती है और अध्यापक भी बराबर परेशान रहते हैं।

जहांतक प्राइमरी शिक्षा की बात है, उसमें हम को समानता लानी चाहिये, लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि उसमें भी असमानता दिखलाई पड़ती है। आज भी इस प्रकार के बहुत से स्कूल विद्यमान हैं जहां सभी वर्ग के बच्चों के साथ हरिजन वर्ग के बच्चों के पानी पीने की समस्या भी हल नहीं हो पायी है। वे एक बाल्टी और एक कुएं से पानी लेकर नहीं पी सकते हैं। बहुत से अध्यापक भी इस प्रकार के हैं जो कहते हैं कि देखो, फलां लड़का फलां वर्ग का है, उससे बाल्टी और गिलास अलग ही रखना। तो मेरा कहना यह है कि जब शुरू में ही इस तरह की असमानता रहेगी तो आगे चलकर समानता कहां से आयेगी। इसलिये हम को इस पर भी अच्छी तरह से विचार करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जहां पर फ्री प्राइमरी एजूकेशन है और कम्पलसरी एजूकेशन है, उन नगरपालिकाओं के अन्दर भी बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां सरकारी सहायता मिलने पर

भी राष्ट्रभाषा हिन्दी को कोई स्थान नहीं है। वहां हिन्दी पढ़ाई ही नहीं जाती। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि या तो सरकार को उन स्कूलों को सहायता देना बन्द कर देना चाहिये या उनके लिये अनिवार्य कर देना चाहिये कि वे राष्ट्रभाषा हिन्दी भी अपने यहां पढ़ावें, अन्यथा इन संस्थाओं को बन्द कर देना चाहिये। इस प्रकार से विभाजन कर के, इस प्रकार से विषमता पैदा कर के उनको सहायता मिलती रही तो फिर अपने देश के बालक कैसे राष्ट्रवादी हो सकेंगे? अपने प्रान्त का तो सारा कार्य विशेष रूपसे हिन्दी भाषा में ही होता है लेकिन बहुत सी संस्थायें ऐसी हैं जिनको सरकार की ओर से सहायता मिलती है वहां इस प्रकार की विषमता इस मामले में दिखलायी पड़ती है।

इसी प्रकार से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी विषमता और अनुशासनहीनता दिखलायी पड़ती है। जबसे सरकार ने इस बात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है कि वहां यूनियन आदि के चुनाव न हों तब से वहां का वातावरण शान्त दिखलाई पड़ता है लेकिन एक समस्या देश के सामने जरूर रहती है कि जहां सरकार यह चाहती है कि शासन में सुधार के लिये और अपने राष्ट्र निर्माण के लिये ऐसे नवयुवक पैदा हो सकें जो राष्ट्र निर्माण के कार्य में सहयोग दें, तो फिर इस प्रकार के वातावरण में यह कैसे सम्भव हो सकता है। यह बात किसी हद तक ठीक भी हो सकती है और किसी हद तक ठीक नहीं भी हो सकती कि जब विद्यार्थी चुनाव के झगड़े में पड़ जाते हैं तो उनकी शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है और न वे चुनाव के कार्य में ही सफल हो पाते हैं। किसी न किसी प्रकार से उनका लगाव चुनाव से हो जाता है जिससे वे अपने जीवन को सुधार की तरफ और विशेष रूप से राजनीति की तरफ ले जा पाते हैं। राजनीति में पड़ कर इस प्रकार के भेदभाव बरतने की नीति उचित नहीं है। अगर हमारी पद्धति सुधर जाय और हमारा अनुशासन सुधर जाय और सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप रहे, तभी ठीक होगा। आज हालत यह है कि कुछ संस्थायें सरकारी तरीके पर चलती हैं और कुछ गैरसरकारी तरीके पर चलाई जाती हैं। अगर एक समान पद्धति सब जगह होगी तो यह बात न रहेगी और उससे अनुशासन बढ़ेगा। इस तरह से एक अनुशासन में बंधकर चलने की परिपाटी पड़ सकती है।

तीसरे, हमारी शिक्षा संस्थाओं में जो आज विभिन्न पद्धतियां प्रचलित हैं उसका एक नतीजा यह भी हुआ है कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में एक प्रकार की धार्मिक शिक्षा या उसके सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है। इसका जब तक कोई एक निश्चित तरीका सब जगह न होगा तब तक उस में एकरूपता नहीं आ सकती। आज हालत यह है कि कहीं किसी तरह की प्रार्थना होती है, कहीं किसी दूसरी तरह की होती है और कहीं तो होती भी नहीं है। धार्मिक शिक्षा आवश्यक कर देना चाहिये जिससे हमारे छात्रों का चरित्र-निर्माण हो सके और हम धर्म के आधार पर देश में अच्छे विद्यार्थी, नागरिक और नवयुवक तैयार कर सकते हैं और तभी शिक्षा का सही लाभ हम उठा सकते हैं। दूसरे देशों के लोगों ने भी शिक्षा के महत्व को समझा है और कुछ लोगों का खयाल है कि हमारे यहां की पुरानी और मौजूदा शिक्षा पद्धति में बड़ा अन्तर है। जहां तक हिन्दी का और मातृ भाषा का सम्बन्ध है, हम देखते हैं कि उसके प्रति बहुत उदासीनता दिखायी देती है। समाचार-पत्रों में हम देखते हैं कि दूसरे देशों तक में हिन्दी के प्रति वहां के लोगों का प्रेम बढ़ रहा है लेकिन हमारे यहां वह और घट रहा है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाय।

जहां आज अंग्रेजी की तरफ़ इतना ध्यान है वहां आज आवश्यक है कि हमारा पूरा ध्यान हिन्दी भाषा की तरफ जाय और उसी के माध्यम से हमारी शिक्षा हो, ताकि हमारे देश के विद्यार्थी हिन्दी भाषा का प्रचार कर सकें और हिन्दी भाषा की उन्नति हो सके। राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिये यह उचित होगा कि राष्ट्र के नवयुवक और विद्यार्थी अपनी भाषा के प्रति प्रेम और सम्मान अपने में पैदा करें, वह समझें कि हमारा अपना राष्ट्र है, उसकी अपनी भी कोई संस्कृति है और उसकी हिन्दी ही मातृ-भाषा है। इससे ही वह अपनी कीर्ति को फैला

[श्री शिवराम]

सकेंगे और अपने उच्च स्थान को संसार में कायम रख सकेंगे लेकिन अगर हमारा ध्यान इस तरफ नहीं होगा और हम स्वयं ही अपनी भाषा की अवहेलना करते रहे तो दूसरे देशों में जा कर हमें नीचा देखना होगा और हम अपने यश को कायम न रख सकेंगे। इसलिये प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक शैक्षिक संस्था में ऊपर से नीचे तक हिन्दी के माध्यम से शिक्षा होनी चाहिये और विश्वविद्यालयों का तो इस तरफ फौरन ही ध्यान जाना चाहिये। इससे हमारे देश में एक शुद्ध वातावरण बनेगा और हम अपने देश को आगे बढ़ाने में अग्रसर हो सकेंगे। शिक्षा ही के द्वारा देश की सारी समस्याओं को सफल और हल किया जा सकता है और इस बड़े देश में समानता लाई जा सकती है और एक सुन्दर विचारधारा प्रस्तुत की जा सकती है। इससे हम एक स्वस्थ वातावरण बनाकर अपने देश के मस्तक को ऊंचा उठा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय यादव जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कल्याणराय (जिला रामपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के विषय में बोलने का अवसर दिया। रामपुर एक बहुत ही बैकवर्ड क्षेत्र है और वहां पर माननीय कमलापति जी त्रिपाठी जा चुके हैं और वहां के बारे में कह चुके हैं कि वहां शिक्षा की बहुत ही कमी है। स्टेट के जमाने में वहां पहले तो हाई स्कूल के अलावा और तालीम ही नहीं थी और मर्जर के बाद वहां पर कुछ तालीम शुरू हुई है। इसलिये वहां शिक्षा की बहुत ही अधिक आवश्यकता है और उस पर खास जोर देने की जरूरत है। वहां जो तहसीलें हैं उनमें सिवा एक जूनियर हाई स्कूल के और कोई स्कूल नहीं है। कम से कम वहां इन्टर कालेज तो हर तहसील में जरूर होने चाहिये। वहां पर मिलक और बिलासपुर ऐसी जगहें हैं जो वहां की खास तहसीलें हैं। वहां तालीम की बहुत आवश्यकता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वहां इस सम्बन्ध में ध्यान दिया जाय। हम लोग हमेशा से पिछड़े हुए रहे हैं और इसलिये पिछड़े रहे हैं कि तालीम के हक में रामपुर की अवस्था बहुत खराब रही है। अगर वहां पर किसी ने तालीम पाई है तो वह बाहर जाकर पाई है जैसे मुरादाबाद में, बरेली में या लखनऊ में। श्रीमन्, रामपुर का नाम तो बहुत ही सुन्दर है लेकिन वहां की हालत बहुत पिछड़ी हुई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर शिक्षा के सम्बन्ध में अवश्य ध्यान दिया जाय।

लड़कों और लड़कियों दोनों के ही कालेज वहां बहुत कम हैं। अब १६ नये स्कूल खुले हैं, लेकिन वहां के ग्रामीण भाइयों के लिये शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, वह लोग इस तरफ बहुत ही कम तवज्जह देते हैं। आज के जमाने में शिक्षा ही ऐसा साधन है जिससे आदमी आगे बढ़ सकता है और तरक्की कर सकता है। जो पढ़े-लिखे नहीं होंगे वह कुछ नहीं कर सकते।

आज चारों ओर से लड़ाई के बादल मंडरा रहे हैं जैसे चीन या और देशों की ओर से। अगर हमारे यहां की एजूकेशन कमजोर होगी तो हम उनका सामना नहीं कर सकते। अगर घर के बच्चों को हम कमजोर बनाएं तो वह कमजोर हो सकते हैं और अगर ताकतवर और उन्नत बनायें तो वह ताकतवर और उन्नत हो सकते हैं। इसलिये हमारी तालीम ऊंचे दर्जे की होनी चाहिये तभी हम उन्नति कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

***श्री अवधेशप्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, आज स्वराज्य के १३ वर्ष उपरान्त मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि इस प्रदेश की शिक्षा जो है वह लक्ष्य विहीन है।

(इस समय १२ बज कर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, अंग्रेजों के जमाने में यह कहा जाता था कि केवल बाबू बनाने के लिये वह हिन्दुस्तान में शिक्षा देते थे। तो हमें यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एक लक्ष्य अंग्रेजों का था बाबू पैदा करने का और उसने बाबू पैदा किये। लेकिन साथ ही यह भी मानना होगा कि जहां कुछ बाबू पैदा हुए वहां कुछ धुरंधर विद्वान भी पैदा हुए। श्रीमन्, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने आधा बाबू भी नहीं पैदा कर पाया है। जहां तक एजूकेशन का संबंध है, हर दिशा में अवनति होती गई है, उन्नति का कहीं नामोनिशान नहीं है।

श्रीमन्, कुछ लोग एक स्वप्न देखा करते हैं—इज्म के इस संसार में चाहे सोशलिज्म हो चाहे कम्युनिज्म हो जिस पर कि लोग लट्टू हैं और उसका २४ घंटे स्वप्न देखा करते हैं उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे एक माननीय दोस्त हैं माननीय गोविंद सहाय जी, उनका यह कहना था कि समाजवाद तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि समाजवाद की बुनियाद स्कूलों में न डाली जाय। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे माननीय मित्र कहां सोच रहे हैं? क्या मैं यह समझूं कि हिटलरशाही आज उनके दिमाग में आई है? जैसे हिटलर यह सोचता था कि जर्मनी के बालक तथा बालिकाओं में जबतक फासिज्म की भावना नहीं भर दी जाती है तब तक वे सुन्दर नागरिक नहीं बन सकते हैं। रूस और चीन में कम्यूनिज्म है यानी तानाशाही है और बच्चों के दिमागों को ठीक करने के स्थान पर वहां बरबाद किया जाता है, उनमें मानसिक दोष लाया जाता है। तो माननीय गोविन्द सहाय जी क्या सोच कर सदन में यह भाषण दे रहे थे?

अधिष्ठाता महोदय, आप इस कुर्सी पर उस समय आसीन नहीं थे जब आपने यह कटमोशन मूव किया था। मैं आपके नाम से सम्बोधित करूंगा कि यादव जी ने कहा कि भारतवर्ष का कल्याण तभी है जब कि रूस का तरीका अपनाया जाय। लेकिन वह दुखद दिन होगा, उस दिन भारत की शिक्षा सदा के लिए लुप्त हो जायगी जिस दिन कि इन अबोध बालकों पर एक आइडियोलाजी जिसको वह समझ नहीं सकते हैं, जिसके लिये हिन्दुस्तान में कभी जगह नहीं थी, उन पर लादी जायगी।

श्रीमन्, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि विश्वविद्यालय विधेयक जब यहां आया करते हैं तो लोग आक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कोलम्बिया तथा हावर्ड यूनिवर्सिटी आफ अमेरिका की बात करते हैं। मैं नहीं समझ पाया कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी सौभाग्य से आक्सफोर्ड में पढ़े हैं तथा हमारे डायरेक्टर आफ एजूकेशन जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं क्या उन्हें यह पढ़ाया गया कि वे इस पोलिटिकल आइडियोलाजी को जरूर अपनायें तभी उनका विकास हो सकता। फासिज्म का युग बीत चुका है और आज भी यह समझा जाता है कि किसी मुल्क का विनाश करना है, तो शिक्षा पद्धति को दूषित कीजिये, उसकी सभ्यता पर कुठाराघात करिये।

श्रीमन्, लखनऊ विश्वविद्यालय जो विद्या का केन्द्र हो, जहां पर मानसिक विकास होता हो, जहां पर एक नागरिक को अपने कर्त्तव्य के पालन के लिये शिक्षा दी जाती हो और जहां से जीवन में एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता हो, उस विश्वविद्यालय का हाल मैं आपको सुनाता हूं। एक विद्यार्थी प्रिमेडिकल टेस्ट में बैठता है और जब उसे यह मालूम होता है कि उसे नम्बर ठीक ढंग से नहीं दिये गये हैं तो वह चांसलर महोदय के पास रिप्रेजेंटेशन करता है। श्रीमन्, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि चांसलर महोदय के पास से यह जवाब जाता है कि उस विद्यार्थी की एक भी आंसर बुक मौजूद नहीं है। अब उसके पास तरीका क्या बाकी है? एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ यह धांधली है। वह विद्यार्थी कहां जाय सिवा इसके कि अनुच्छेद २२६ के शरणागत हो कर हाई कोर्ट का मुंह देखे। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री कभी-कभी यह कहा करते थे कि यह हमारा काम नहीं है कि हम यह बतायें कि शिक्षा का आधार क्या होना चाहिये, या शिक्षा किस उद्देश्य से होनी चाहिये, यह विशेषज्ञों का काम है। तो फिर, श्रीमन् क्या यह अपोजीशन का काम है? ट्रेजरी बेन्चेज पर तो आप बैठे हैं। अगर आप में यह बुद्धिमानी नहीं है तो फिर उन कुर्सियों को छोड़िये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—कुछ आप भी सुझाव दें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—सुझाव देने के पहले पूरी लीला तो वर्णन कर दूं। यह ऐसी चीज नहीं है कि जो पार्टी का इश्यू हो। शिक्षा दलों के ऊपर की चीज है, यह हमारे बालकों के भविष्य का सवाल है।

सेकेंडरी एजूकेशन कमीशन बिठाया जाता है। यह सरकार आती है, उसको साफ कर देती है। यूनिवर्सिटी कमीशन बिठाया जाता है लेकिन देखिये उसके भाग्य में क्या है। क्या मंत्री में यह रुचि नहीं या उनमें वह योग्यता नहीं कि शिक्षा के बारे में कुछ समझ सकें, विशेषज्ञों पर उनका भरोसा नहीं, तो फिर वह कौन-सा मार्ग है जो इस उत्तर प्रदेश में अपनाया जा सकता है जिससे बच्चों की शिक्षा का कोई उचित प्रबन्ध हो सके? मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री भी वही पुराना राग न अलापें। आखिर अपोजीशन क्या करेगा? जब हम कोई सुझाव देते हैं तो आप सुनने के लिये तैयार नहीं होते। फिर वह क्या रास्ता है जिससे इस प्रदेश के ७ करोड़ व्यक्तियों के दुर्भाग्य को बचाया जा सके?

श्रीमन्, हाई स्कूल की परीक्षा इस समय चल रही है। सेंटर्स हैं माडरेटर्स हैं मैथ्स का पेपर है, जो उसके करीकुलम में नहीं था उस तरह के सवाल आ रहे हैं। श्रीमन्, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन करीकुलम के अन्तर्गत सवाल क्यों नहीं आते हैं? सेंटर्स अगर नहीं जानते थे तो मे डारेटर्स क्या कर रहे थे? अगर उनमें इतनी समझदारी नहीं है तो उनको इस जगह पर रहना नहीं चाहिये।

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—गवर्नमेंट थोड़े ही सेट करेगी।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—श्रीमन्, हमारे उपमंत्री को गलतफहमी हो रही है। मैं उतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं लेकिन थोड़ा पढ़ा लिखा जरूर हूं और यह समझ सकता हूं कि गवर्नमेंट के क्या फाशन्स हैं और इंटरमीडियेट बोर्ड के क्या फंशन्स हैं। यह आपका डिपार्टमेंट कान लगा कर सुन ले या जो भी इससे संबधित हैं वे सुन लें।

श्रीमन्, यह संविधान है। फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन आपका डायरेक्टिव प्रिन्सिपल है। एक मर्तबा छठे दर्जे की फीस माफ की जाती है। माननीय राज्यपाल अपने अभिभाषण में यहां कहते हैं कि ८वें दर्जे तक शिक्षा निःशुल्क की जायगी। एक साल बाद वह कन्सेशन भी छीन लिया गया।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह स्पष्ट नहीं हुआ कि छीन क्या लिया?

श्री अवधेशप्रतापसिंह—मैं इस तरह से स्पष्ट करूंगा कि जो जीवनभर स्पष्ट रहेगा। छीनने की बात यह है श्रीमन्, कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस जगह पर कहा है तो वह सरकार की नीति है और यदि सरकार अपनी नीति पर सुदृढ़ नहीं रह सकती है उसको इस जगह पर बैठने का कोई हक नहीं रह जाता है।

आपने मास्टरों की तनख्वाहों में चार रुपये माहवार की वृद्धि अवश्य की है। मैं इस बात को भी मानता हूं कि आज सोलह आने भी कुछ माने रखते हैं। इसलिये आप बधाई के पात्र हैं। आप प्राइमरी स्कूल एक हजार, चार हजार या दस हजार जितने चाहें खोल दें लेकिन मौजूदा जो स्कूल हैं उनके मास्टरों को चार माह से पूर्व डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से वेतन नहीं मिलता है। अब पता नहीं यह जो आपने चार रुपये की वृद्धि की है वह उनको १९६२, ६३, ६४, या ६५ में मिलेंगे या न जाने कब मिलेंगे? मैं इसको नहीं बता सकता। आज प्राइमरी स्कूलो में बच्चों के बैठने के लिये टाट नहीं है। मास्टरों के बैठने के लिये कुर्सी नहीं है, मेज नहीं है। बरसात में जब पानी गिरता है तो एक एक बूंद बच्चों के सिर पर गिरती है। तो ऐसे स्कूलों के खोलते जाने से क्या फायदा है? पहले जो स्कूल खुले हैं उनकी हालत ठीक कीजिये। फिर नये स्कूल खोलिये। जब आप पहले के स्कूलों को ठीक से नहीं चला सकते हैं तो नये स्कूल खोलने से क्या फायदा है? इस

तरह से तो व्यक्तियों में शिक्षा के प्रति कोई आस्था नहीं रह जायगी । शिक्षा वह दी जाय जिससे व्यक्ति में आस्था बढ़े क्या जिस स्टेज की एजूकेशन हमारे बच्चों को दी जा रही है वह हमारे बच्चों के लिये लाभप्रद होगी ?

अब मैं संस्कृत पाठशालाओं के बारे में कुछ बताना चाहता हूं । वह चाहते थे कि मैं कुछ सुझाव दूं । श्रीमन्, अगर आप सुझाव देने की इजाजत दें तो मैं शाम के चार बजे तक सुझाव ही देता रहूं । श्रीमन्, जो पाठशालायें संस्कृत की थीं, अब जमींदार पुराना खराब था, अच्छा था, जो कुछ भी था, लेकिन उसने एक सम्पत्ति इन पाठशालाओं को दे दी थी । आज मैं अपनी रियासत खजूरहट की बताता हूं कि जो सम्पत्ति थी वह माल मंत्री जी ने हज्म कर ली और अब ग्रांट इनएड के मिलने का भी कोई उपाय नहीं है । यह भी कहा जाता है कि इनकी मध्यमा या शास्त्री की उपाधि आपकी डिग्री के बराबर है लेकिन जब वह वहां से निकलता है तो बिचारा अंग्रेजी जानता नहीं है और कोरा पंडित ही रह जाता है । अब आप उससे क्या कहलायेंगे या दान दक्षिणा दिलवायेंगे । आखिर उसका क्या उपयोग करेंगे । मैं इस बात को मानता हूं कि हिन्दी का उत्थान होना चाहिये । लेकिन उर्दू के नाम पर मुस्लिम लीग बने यह नहीं होना चाहिये । इसके साथ ही साथ अंग्रेजी के प्रति हमारी घृणा नहीं होनी चाहिये नहीं तो हमारे बच्चे इंडियन सिविल सर्विस तथा इंडियन पुलिस सर्विस में दिखाई नहीं देंगे । मैं जब देखता हूं कि हमारे मंत्रीजी के बच्चे पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं तो हम भी समझते हैं कि जब उनकी आस्था उनके बारे में नहीं है तो मैं भी गलती को अपनाता हूं ।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि उर्दू के नाम पर हमारे यहां मुस्लिम लीग नहीं बननी चाहिये और अंग्रेजी के नाम पर जो हमारे मित्र असमान छूने लगते हैं और लोहिया साहब जो कुछ भी कहते हैं लेकिन आपकी नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे हम धीरे-धीरे आगे बढ़ें । (व्यवधान) जब तक हिन्दी इक्विवेलेंटस तैयार नहीं कर लेते हैं तब तक अंग्रेजी जरूर कायम रहनी चाहिये । आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग कम्पेटीटिव एग्जामिनेशन में नहीं आ रहे हैं क्योंकि मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन हिन्दी होने की वजह से वह एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो शिक्षा अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि वह २०० करोड़ के बजट में से २१ करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं जो कि सारे बजट का लगभग १० प्रतिशत है । श्रीमन्, मैं इसलिये भी बधाई देता हूं कि इससे पूर्व जो सरकार थी उस सरकार ने जो कुछ किया उस कार्य को कुछ हद तक समाप्त करने की जो चेष्टा की है, दूसरे शब्दों में उसको कंडेम करने के लिये जो प्रयत्न किये हैं, उसके साहस और हिम्मत के लिये भी बधाई देता हूं ।

श्रीमन्, इस सदन ने चार साल से यह मांग की थी कि सरकार एक सेकेन्डरी एजूकेशन रिआर्गेनाइजेशन कमीशन स्थापित करे । यह कहा गया था कि आज प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में कोई सम्बन्ध नहीं है और हमारी माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण नहीं है । इसलिये कोई नये तरीके से शिक्षा पुनर्संगठन की जांच हो । यह इस हाउस ने मांग की थी । माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने इसकी घोषणा की और सेकेन्डरी एजूकेशन रिआर्गनाइजेशन कमीशन बनाया । लेकिन क्या कारण है, क्यों यह समाप्त किया गया, उसके लिये माननीय मन्त्री जी ने कोई विशेष कारण न हमको बताया और न अपने भाषण में ही उसका संकेत किया ।

माननीय मन्त्री जी ने यह कार्य किया कि इस हाउस की हमेशा यह मांग थी और बाहर की भी यह मांग थी कि प्राइवेट डिग्री कालेजों के अध्यापकों का वेतन गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज के समान होना चाहिये । लेकिन हुआ क्या ? श्रीमन, हमारे तीन गवर्नमेन्ट कालेज हैं नैनीताल, रामपुर और ज्ञानपुर में । तीनों हमारे माडेल कालेज हैं । नैनीताल में भारत के ही नहीं बाहर के भी विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त करने आते थे । कहां तो यह मांग थी कि हमारे प्राइवेट

[श्री नेकराय शर्मा]

डिग्री कालेजों के अध्यापकों का वेतन बढ़ा दिया जाय, दूसरी तरफ माननीय मन्त्रीजी ने उन अध्यापकों को जिनको अच्छा वेतन मिलता था और इसलिये मिलता था कि अच्छे ब्रेन के टीचर्स नहीं आ पाते थे, उस वेतनक्रम को उन्होंने खत्म कर दिया और यह कहा कि जो टीचर्स अभी कनफर्म नहीं हुये हैं जो नये टीचर्स होंगे उनको प्राइवेट डिग्री कालेज के अध्यापकों के समान वेतन मिलेगा। यह ठीक नहीं हुआ क्योंकि शिक्षा जगत में यदि अच्छे वेतन न मिले तो वे आई० ए० एस०, पी० सी० एस० में चले जायेंगे।

इस विभाग में १९५२ से एडीशनल डाइरेक्टर की एक पोस्ट थी और उसको पूर्व मन्त्रि-मण्डल ने ज्वाइन्ट डाइरेक्टर कर दिया था इस सरकार ने उसको तोड़ दिया। बड़ी खुशी की बात है। अगर इकोनामिक प्वाइन्ट आफ व्यू से यह पद तोड़ दिया गया है क्योंकि मैंने इससे पूर्व आम बजट की बहस में यह मांग की थी कि जितने भी ऐसे पद हैं, जो सुपरफ्लुअस हैं उनको तोड़ देना चाहिये। लेकिन किसी बात या मोटिव से किसी नाराजगी से, या और किसी कारण से केवल एक ही पोस्ट तोड़ी और मेरी जहां तक सूचना है जो डिप्टी डाइरेक्टर को पे मिलती है उससे डेढ़ सौ रुपया ज्यादा उसको मिलता था। डेढ़ सौ रुपये की एक बड़ी भारी बचत है मैं मानता हूं, लेकिन क्या वही एक सुपरफ्लुअस पोस्ट थी? मैं शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जितना बजट हमने २०-२१ करोड़ का सदन की स्वीकृति के लिये पेश किया है क्या उसमें से आधा बजट तनख्वाहों और टी० ए० तथा भत्तों में नहीं चला जाता।

श्रीमन्, अगर हम वास्तव में इकोनामी करना चाहते हैं. तो इकोनामी करने की बात का यह सदन और मैं सभी स्वागत करेंगे। लेकिन किसी खास वजह से, किसी अन्य मोटिव के कारण यदि किसी पर प्रहार किया जाता है तो जैसा कि मैक्यावली ने कहा था कि मनुष्य एक बार अपने पिता के कातिल को तो भूल सकता है, लेकिन जो रोजी छीनता है उसको कभी नहीं माफ कर सकता। मैं आप के द्वारा बड़े अदब के साथ माननीय मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं बहुत दिन से हमारी मांग थी---शिक्षा के विशारद ही इस विभाग का संचालन करें। माननीय मन्त्री जी आये, बड़ी खुशी की बात है, वह मेरे आचार्य स्वयं रहे हैं, शिक्षा विशारद हैं, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि जिसको शिक्षा से प्रेम हो वही इसका सेक्रेटरी हो, वही डाइरेक्टर हो और उसका डिप्टी मिनिस्टर भी तथा और जो दूसरे पदाधिकारी हैं, वे वही हों जिनका कि शिक्षा से थोड़ा बहुत सम्बन्ध रहा हो। यह नहीं कि आज एफ० पी० डब्लू० डी० का सेक्रेटरी, शिक्षा का सेक्रेटरी बना दिया जाय या कल को दूसरे विभाग का सेक्रेटरी शिक्षा में भेज दिया जाय। इस तरह से शिक्षा की प्रगति हो नहीं सकती। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप रेस्पांसिबिलिटी फिक्स कीजिये। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वे आप तय कर दीजिये और उसके बाद उनसे कहिये कि हमारी यह योजना है हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं, इस योजना को हम पांच या दस वर्ष के अन्दर कार्यान्वित करना चाहते हैं। अगर यह नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सेक्रेटरी से लेकर डाइरेक्टर तक की होगी। आप रेस्पांसिबिलिटी फिक्स कीजिये।

यही नहीं, श्रीमन्, जब नया मंत्रिमण्डल आया तो बड़ी-बड़ी आशायें और उमंगें लेकर आया और बड़ा शोर मचाया गया कि हम विश्वविद्यालयों की शिक्षा और फैली खराबियों में बड़ा आमूल परिवर्तन ला रहे हैं। श्रीमन, एक बिल आ या, इस सदन ने पास किया। लेकिन क्या हमारे विश्वविद्यालयों की समस्या इस बिल से हल हो जायगी? जो उसमें बुराइयां हैं वह इससे दूर हो जायेंगी। कदापि नहीं। एक कमीशन बैठाला गया। उसके सामने सारे मसले थे। क्या उस कमीशन की रिपोर्ट तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी? कारण यह दिया गया कि उसमें समय बहुत लगता। लेकिन क्या एक अन्तरिम रिपोर्ट नहीं मांगी जा सकती थी? और सोच-समझ कर एक अच्छा बिल इस सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था? लेकिन श्रीमन्, जितने भी विधेयक आये, वे पास हुये,

वह एक खास मकसद से, बदले की भावना से और इस तरह से एक अपना प्रभुत्व जमाने के लिये लाये गये। मुझे क्षमा करेंगे, चाहे यह गवर्नमेंट हो, चाहे इससे पूर्व की गवर्नमेंट हो, मैंने इससे पहले भी सन् १९५४ में जब यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक आया था तब भी यह निवेदन किया था कि यूनिवर्सिटियों से आप खिलवाड़ न करें। यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के गुरुजनों के ऊपर आप छोड़ दें, विद्यार्थियों के ऊपर आप छोड़ दें। आप ग्रान्ट्स दें उनको, ब्लाक ग्रान्ट्स दें। लेकिन बाहर के लोगों को चाहे वह एग्जीक्यूटिव कौंसिल में हों, चाहे कोर्ट में हों, सबको वापस कीजिये। मैंने यह भी सुझाव दिया था कि जो यूनिवर्सिटियों में नेपोटिज्म और फेवरटिज्म की शिकायतें नियुक्तियों के सम्बन्ध में हैं उसके लिये एक पब्लिक सर्विस कमीशन यूनिवर्सिटी के लिये स्थापित किया जाय। मैंने एक यह भी सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालयों में परीक्षा का जो सिस्टम है उसको समाप्त करके हम इंटर्नल परीक्षा सिस्टम करें और जो फीस ४०-५० रुपये विद्यार्थियों से परीक्षा के लिये ली जाती है वह बन्द हो। एक तरफ तो समाजवाद की बात की जाय और दूसरी तरफ असमर्थ हर विद्यार्थी से ४० रु०, ५० रु० परीक्षा फीस वसूल की जाय, यह दोनों बातें कुछ संगत नहीं हैं। आज जब हम अध्यापकों की तनख्वाह इतनी बढ़ा रहे हैं तो क्या वजह है कि हम उनसे कापियां न जंचवा सकें और उसके लिये हमको प्रत्येक छात्र से ४०-५० रुपये परीक्षा फीस के रूप में लेनी पड़े। इसलिये यह सिस्टम बन्द किया जाना चाहिये।

इसी तरह से इंटरमीडियेट बोर्ड में जो धांधली चलती है, इग्जामिनरशिप बांट-बांट करके किस तरह से वहां लोग चुनावों में विजय प्राप्त करते हैं, यह आपसे, इस सदन से और माननीय मंत्रीजी से छिपा नहीं है। श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि तोड़िए इस इंटरमीडिएट बोर्ड को और जो आठ विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं उन विश्वविद्यालयों के हिसाब से इन समस्त कालेजों को आठ रीजन्स में बांट दीजिये तथा प्रत्येक रीजन के कालेजों को उस रीजन के विश्वविद्यालय के साथ एफीलिएट कर दीजिये जैसे कि बनारस और अलीगढ़ में है। इंटरमीडिएट बोर्ड को आप शीघ्र तोड़ दीजिये। इससे जो आपस में गुत्थम-गुत्था और ग्रुपबाजी होती है--जो फेवर्स करते हैं रुक सकेंगे। कौन ज्यादा एग्जामिनरशिप और टेबुलेटरशिप बांट सकता है इसके लिये जो होड़ मचती है, ये सब बातें समाप्त हो जायेंगी।

श्रीमन्, यह बहुत जरूरी है, यदि हम करप्शन की बातें करते हैं शिक्षा विभाग में तो माननीय मंत्रीजी जल्दी से इस सम्बन्ध में घोषणा करें या दूसरा कमीशन बनायें नहीं तो कम से कम इंटरमीडियेट बोर्ड को खत्म करके रीजनल यूनीवर्सिटीज जितनी हैं उनमें कालेजेज को एफीलियेट करें और क्षेत्र बांट दें और सारे कालिजों का संचालन करें। परीक्षाओं का प्रबंध भी यही विश्वविद्यालय कर लेंगे।

आज एक तरफ हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं और दूसरी तरफ ऐंग्लो इंडियन स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स। एक तरफ हम वह वर्ग पैदा करते चले जा रहे हैं जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी से और मिलिटरी से जिसका सम्पर्क होगा और दूसरी तरफ हम उनको भी पढ़ा रहे हैं जिनके बैठने के लिये स्थान नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, जिनके लिये कोई साज सामान नहीं है। तो ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दें जो देश प्रेम, राष्ट्रीयता, देश की वेशभूषा से दूर हों। माननीय मंत्रीजी उसके लिये अनुदान देते चले जा रहे हैं, वह उचित नहीं है। इस समाजवाद के युग में प्राइमरी शिक्षा को बढ़ाएं जितनी भी शिक्षण संस्थायें जातीयता के नाम पर हैं, चाहे कायस्थ पाठशाला हो, चाहे ब्राह्मण कालेज हो, चाहे कोई जातीय संस्था हो उसको अनुदान देना बन्द करें। इसका संकेत माननीय गोविन्द सहाय जी ने भी किया था।

श्रीमन्, यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो तो आप देखें कि शिक्षा से हमने किस प्रकार का मानव और किस तरह के विद्वान पैदा किये। हमारी शिक्षा का सारा

[श्री नेकराम शर्मा]

दोष यह है कि चाहे वह अनुशासन पैदा करने के सिलसिले में हो, चाहे राष्ट्र प्रेम पैदा करने के सिलसिले में, चाहे समाजवाद के सिलसिले में, चाहे रोजगार की बात हो, यदि हम देखेंगे तो हम पायेंगे कि इस शिक्षा से न तो हममें राष्ट्र प्रेम आया, न हम समाजवाद की तरफ चले, न हम कोआपरेटिव लाइन्स पर थिंक करने की शक्ति पैदा कर सके। चाहे प्राइमरी एजूकेशन हो, चाहे शिशु शिक्षा हो, करीब डेढ़ करोड़ युवक बच्चे और बच्चियां हमारे प्रदेश में हैं। केवल ४ या ५ हजार शिशुओं की ही शिक्षा का प्रबन्ध है। आपने शिशुओं के ५१ से ६२ स्कूल्स कर दिये, ग्राम में २ हजार और शहरों में ५ हजार का अनुदान दे दिया जब कि ग्रामों में ८० फीसदी लोग रहते हैं तो इतने कम अनुदान से कोई बहुत काम नहीं होने वाला है, प्राइमरी स्कूल्स में आप ३७ लाख विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं। तो जैसा कि माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने भी कहा था कि ६७ या ६८ लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको शिक्षा मिलनी चाहिये वह हम नहीं कर पाये। माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि हम ४२ प्रतिशत प्राइमरी एजूकेशन पर खर्च कर रहे हैं। हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन उसके लिये उससे ज्यादा धन मिलना चाहिये परन्तु आज जो कुछ हो रहा है उसमें प्राइमरी एजूकेशन का सेकेन्डरी एजूकेशन से और सेकेन्डरी एजूकेशन का विश्वविद्यालय एजूकेशन से कोई सम्बन्ध नहीं है। बिना एम के, बिना उद्देश्य के विद्यार्थी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश करते चले जा रहे हैं और पढ़ते चले जा रहे हैं। श्रीमन्, राधाकृष्णन् कमीशन में अपनी रिपोर्ट ने उल्लेख किया है :—

"We must have a conception of the social order for which we are educating our youth. We know what Hitler did in six years with the German youth. The Russians are clear in their minds about the kind of society for which they are educating and the qualities required in their citizens. They tried to remake ma in a new image. Our educational system must find its guiding principle ; in the aims of social order for which it prepares, in the nature of the civilization it hopes to build. Unless we know whither we are tending, we cannot decide what we should do and how we should do it."

हमारी शिक्षा का क्या उद्देश्य हो और सबसे प्रथम हमारे समाज का क्या उद्देश्य हो। उसके लिये हमने समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना की बात कही। अब कुछ दिनों से हमारे प्रधान मंत्री समाजवादी सोसाइटी बनाने की बात करते हैं। उस रचना में विश्वविद्यालयों का क्या योग हो, हमारी एजूकेशनल संस्थाओं का क्या कंट्रीब्यूशन हो, किस तरह से हम आज प्राइमरी के बच्चों को, माध्यमिक स्तर के बच्चों को और विश्वविद्यालय के युवकों को इस तरह की शिक्षा दें कि हम जो एम प्राप्त करना चाहते हैं उस एम तक हम पहुंच सकें, इन सब बातों पर गहराई के साथ विचार करने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, विश्वविद्यालयों के अन्दर जो टेम्पोरेरी लेक्चरार हैं उनको कन्फर्म करने की जरूरत है। वे लेक्चरार आज ७, ८ साल से टेम्पोरेरी चले आ रहे हैं। उनको पता नहीं है कि उनकी सर्विस को कब टर्मिनेट कर दिया जायगा। इसलिये जल्दी से जल्दी इस बात की चेष्टा की जानी चाहिये कि उनकी पोस्ट कन्फर्म की जाय।

दूसरी बात यह है कि हमारे पास धन की कमी है किन्तु जितना हम व्यय कर रहे हैं उस शिक्षा के व्यय को थोड़ा बढ़ायें। हम इतना उसको बढ़ायें कि जो हमारे विधान में यह वचन दिया गया है कि प्राइमरी शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य करेंगे तो उसमें कुछ आगे बढ़ें। उसको हम अभी तक नहीं कर पाये हैं। कश्मीर में विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया गया है। कुछ दूसरी स्टेट्स हैं जहां पर हाई स्कूल तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया गया है किन्तु हमारे यहां छठें तक की ही शिक्षा को मुफ्त किया गया है। पहले ८ वीं तक के लिये कहा गया था लेकिन उसको बाद में वापस ले लिया गया। इसको आगे बढ़ाने के लिये और भी प्रयत्न इस दिशा में होना बहुत जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--अधिष्ठाता महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि प्रजातन्त्र की सफलता के लिये विद्यामन्दिरों में जिस तरह से पढ़ाई-लिखाई का पाठ्य-क्रम निर्धारित होना चाहिये, उसके अनुरूप आज विद्यामंदिर नहीं हैं और सरकार भी उस तरह से परिणत करने में बिलकुल असफल सिद्ध हुई है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि देश में अंग्रेजी राज्य के मुकाबले में जहां विद्यामन्दिरों की बाढ़आई है उसी के मुकाबले में ठीक लिखाई पढ़ाई का स्तर भी बड़ी तेजी के साथ गिरा है। इस तेजी के साथ गिरावट को रोकने का प्रयास सरकार की तरफ से जो कुछ भी हुआ हो। लेकिन नतीजा सरकार के पक्ष में नहीं रहा बल्कि पहले से नीचे की तरफ गिरावट होती चली जाती है। मैं समझता हूं सरकार के इस दिशा में उद्देश्यविहीन होने के कारण ही शिक्षा के सम्बन्ध में यह गिरावट होती चली जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में उसका उद्देश्य सामने आना चाहिये और उसी उद्देश्य के अनुरूप विद्यामंदिरों को बनाये और लिखाई-पढ़ाई और साधन सुलभ होने चाहिये ।

श्रीमन्, आप यह भी जानते हैं कि जहां उत्तर प्रदेश की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ती चली जाती है उतनी ही बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश निरक्षर भी होता चला जाता है। एक छोटा सा प्रदेश काश्मीर तो अपने यहां एम० ए० तक की पढ़ाई को मुफत् कर सकता है लेकिन अपनी प्रदेशीय सरकार दसवीं क्लास तक मुफत करने में अपने को असमर्थ मानती है। श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब हाफिज साहब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने इस सदन में एलान किया था कि हम अगले वर्ष से आठवीं तक की पढ़ाई मुफत कर देंगे लेकिन यह सरकार उनके एलान पर आज कुछ भी ध्यान देने के लिये तैयार नहीं है। इस सदन के अधिक सदस्यों को जानकारी है कि छठे तक जो फीस माफ की गई है उसकी प्राप्ति का जो तरीका है वह बहुत ही खराब है। हमको जहां तक जानकारी है वह यह कि छठे तक की फीस की माफी की पूर्ति दो साल पहले की लड़कों की संख्या पर की जाती है। मैं नहीं समझता कि पिछले दो साल की तादाद पर जो फीस माफी की पूर्ति दी जाती है उससे किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। जो अध्यापक इस साल पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह में कमी होती है और श्रीमन्, आपको जानकारी होगी, आजमगढ़ की बात कहता हूं, मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था और धन्यवाद दूंगा इसलिये कि उन्होंने कुछ कोशिश की, डेढ़ लाख रुपया केवल आजमगढ़ में २५, २६ तारीख तक ६ठे क्लास की तथा हरिजन छात्रों की फीस माफी का बकाया था। डेढ़ लाख रुपया जिले की संस्था का सरकार पर बकाया हो और फिर सरकार यह चाहे कि अध्यापक ठीक से पढ़ायें, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। ऐसे अध्यापकों से उम्मीद नहीं करनी चाहिये कि वे भूखे रह कर विद्यामंदिरों में लड़कों को पढ़ायेंगे ।

श्रीमन्, आप यह भी जानते हैं कि अपने प्रदेश में हायर सेकेन्डरी स्कूल के अध्यापकों की बड़ी दुर्गति है। यदि मैं इस बात की डिटेल में जाऊं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक ही बात इस सिलसिले में मुझे निवेदन करना है। उतने ही लड़कों को पढ़ाने वाले, राजकीय स्कूलों से ज्यादा अच्छी संख्या में लड़कों को पास कराने वाले, अध्यापकों का वेतन, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के मुकाबले, कम है। इसका कारण क्या है? अगर सरकार कहती है कि उसके पास साधन नहीं हैं तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि राजकीय स्कूलों में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उनका वेतन भी कम किया जाय, उनका मंहगाई भत्ता भी कम किया जाय। अगर सरकार इस काम को नहीं कर सकती तो वह समाजवाद चाहती है, ऐसा कहना उसे खत्म कर देना चाहिये। क्या यही सरकार का समाज-वाद है? उतने ही शिक्षित, उतनी ही योग्यता से पढ़ाने वाले एक अध्यापक को कम वेतन

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

मिले, कम मंहगाई भत्ता मिले, दूसरे को ज्यादा मिले, यह असमानता ही क्या समाजवाद है ? यह समाजवाद का मजाक है ।

श्रीमन्, आप देखें कि हायर सेकेन्डरी स्कूल का अध्यापक या जूनियर स्कूल का अध्यापक पढ़ाई लिखाई में किसी उस सरकारी नौकर के मुकाबले में जो अन्य विभागों म काम कर रहा है, कम योग्य नहीं है । उनकी योग्यता में अधिक अंतर नहीं है लेकिन तनख्वाहों में महान् अंतर है । मैं एक उदाहरण दूंगा । हाई स्कूल पास कर के जे० टी० सी० की और नार्मल की ट्रेनिंग लेता है दो साल तक एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक और उस के मुकाबले में है ग्राम सेवक जिसने केवल डेढ़ साल की ट्रेनिंग ली है । ग्राम सेवक की तनख्वाह है ११० रुपया जब कि उस मास्टर की तनख्वाह होती है ६० रुपया । आजमगढ़ में तो जे० टी० सी० पास मास्टर प्राइमरी स्कूलों में रखे गये हैं, वहां के पुराने चेयरमैन और वर्तमान उपाध्यक्ष ने अध्यापक से लिखा लिया है कि वे ४८ रुपये पर ही यह नौकरी स्वीकार करते हैं । अगर वे ४८ रुपया लेते हैं तो उनको वहां जगह मिलती है नहीं तो नहीं । यह क्या मजाक है ? अगर इस प्रकार की बातें शिक्षा संस्थाओं में होती रहीं तो मैं नहीं समझता कि हमारे देश में कैसे समाजवाद आ सकेगा और जो सरकार का विश्वास है कि इन अध्यपकों द्वारा समाजवाद कैसे पूरा हो सकेगा ?

एक तरफ श्रीमन्, आप देखें कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की दशा क्या है और गैर सरकारी जो माध्यमिक विद्यालय हैं उन की दशा क्या है । हर जिले में एक, दो हायर सेकेन्डरी स्कूल या डिग्री कालेज हैं सूबे भर में, सिवाय आजमगढ़ को छोड़ कर, लेकिन उनके लड़कों की तादाद, अध्यापकों की तादाद को देखते हुए जो सहायता देती है सरकार भवन निर्माण के लिये, पुस्तकालय के लिये, विज्ञान और कृषि के लिये, उसे देख कर हंसी आती है ? पता नहीं सरकार किस दृष्टि से, किस विचार से उन स्कूलों को सहायता प्रदान करती है ।

इस बजट में एक नयी मद भी स्वीकार हुई है और उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने अब तक जो एक खराब परिपाटी चली आ रही थी कि जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल नहीं होते थे उनको कोई ग्रान्ट नहीं दी जाती थी, उसको अब खत्म करके इस बजट में उनके लिये भी ग्रान्ट देने का प्राविजन किया गया है । अब उन स्कूलों को भी सहायता दी जायेगी । किन्तु इसमें एक बात और है जिसकी ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह कि जो लोग उन संस्थाओं के संचालक होते हैं और जिनकी कुछ ऊपर तक पहुंच होती है, वह सहायता उन्हीं लोगों को मिल जाती है और ऐसे ही लोग उसमें कामयाब होते हैं । जिन लोगों की कोई पहुंच नहीं होती उनको कोई सहायता नहीं मिल पाती है । मैं सरकार से इसके लिये यह अनुरोध करूंगा कि उसमें जो यह तरीका इस नये बजट में अपनाया है उसको वे सख्ती के साथ अपनायें ।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं । केन्द्रीय सरकार से भी हमको भवन निर्माण आदि के संबंध में सहायता मिलती है और प्रदेशीय सरकार भी देती है । कभी-कभी ऐसा होता है कि केन्द्रीय सरकार जिनको सहायता देती है उनको प्रदेशीय सरकार भी दे देती है । भवन निर्माण के लिये ३५ हजार रुपये की सहायता केन्द्रीय सरकार से मिलती है । प्रदेशीय सरकार भी ५ हजार, १० रुपए हजार के करीब देती है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी केन्द्रीय सहायता मिलती है वह प्रदेशीय सरकार द्वारा ही वितरित की जानी चाहिये । मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि तीन स्कूलों को ३५-३५ हजार रुपये की सहायता केन्द्रीय सरकार से मिली । उन्हीं स्कूलों को प्रदेशीय सरकार ने भी सहायता प्रदान की और बहुत से ऐसे स्कूल जिनको वास्तव में सहायता की जरूरत थी नहीं मिल पायी । अगर केन्द्रीय सहायता जो दी गयी थी, वह भी प्रदेशीय सरकार द्वारा दी जाती तो ऐसा न होता । अगर ऐसा होता है कि केन्द्रीय सहायता जो मिले वह भी प्रदेशीय सरकार द्वारा दी जाये तो इससे बहुत लाभ होगा ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि आज जूनियर और प्राइमरी स्कूलों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां इन स्कूलों के बढ़ाने की जरूरत है वहां इस बात की भी नितान्त आवश्यकता है कि जो संस्थायें पहले से चली आ रही हैं वे संस्थायें पहले साधन सम्पन्न हों। श्रीमन्, आप जानते हैं आज इन पाठशालाओं की क्या हालत है ? हम लोग भी पहले जब जूनियर स्कूल में पढ़ते थे तो सातवें दर्जे की फीस साढ़े १२ आने थी आज सवा २ रुपये लिय जाते हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे एक दो मिनट और दिये जायं। आज पढ़ाई इतनी महंगी होती जा रही है कि लोगों के लिये अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। हर साल किताबें बदल दी जाती हैं और इस कारण हर साल लड़के उनमें फेल होते देखे गये हैं। आज किताबें, कागज और फीस काफी मंहगी हो गयी है। इसके अलावा श्रीमन्, आपको मालूम है कि देहातों में ८० फीसदी स्कूल ऐसे हैं जहां भवन ही नहीं हैं। जाड़ों में तो काम चल जाता है मगर गर्मी और बरसात के दिनों में वे पाठशालायें बंद रहती हैं और कागज में केवल खानापुरी हो जाती है। कागज में वे खुले रहते हैं, लेकिन ८ महीने बन्द रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि प्राइमरी स्कूलों के बच्चे हाई-स्कूल में जब जाते हैं तो वे अच्छे नम्बर प्राप्त नहीं कर पाते। उनके लिये हाई स्कूल में अच्छे नम्बर प्राप्त करना नामुमकिन है। श्रीमन्, इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो केन्द्रीय कम्पटीशन है उसमें उत्तर प्रदेश का स्तर सबसे नीचा होता चला जा रहा है। कारण उसका यह है कि पढ़ाई-लिखाई के साधन सुलभ नहीं किये जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों की हालत यह है कि लड़के धूल में बैठते हैं, ब्लैक-बोर्ड तक नहीं है। मास्टर चारपाई पर बैठता है। कोई साधन नहीं, साधन-विहीन और भवन-विहीन मास्टर और लड़के हैं, इसीलिए पढ़ाई-लिखाई का स्तर गिरता जा रहा है।

पाठशालाएं खोली जायं, लेकिन उनको साधन-सम्पन्न बनाया जाय। एक बात और कहने के बाद मैं समाप्त करूंगा। मकतब और संस्कृत पाठशालाओं की हालत बड़ी दयनीय है। सरकार का इरादा है कि उर्दू भाषा बढ़े, संस्कृत भाषा का विकास हो, लेकिन मकतब और संस्कृत पाठशालाओं की तरफ ध्यान जरा भी नहीं है, यह बजट के पढ़ने से मालूम होता है। जहां काशी संस्कृत विद्यालय को २ लाख रुपया दिया जा सकता है, वहां जब हम आजमगढ़ गये ३०–३१ तारीख को तो हमने देखा कि जिन संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों को हर साल डिस्ट्रिक्ट ग्रांट ४-५ सौ रुपया मिलती थी, इस साल कुल ६५ रुपया मिली। वहां अध्यापकों में चर्चा थी कि हम लोगों का हिस्सा विश्वविद्यालय को दे दिया गया। आज संस्कृत पाठशालाओं और मकतबों की हालत बड़ी दयनीय है और मुझे विश्वास है कि कोई ऐसा रास्ता मंत्री जी जरूर निकालेंगे जिससे अपने प्रदेश में जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को महंगाई भत्ता न मिलने से जो गुरुजनों में असंतोष फैला हुआ है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)––अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो शिक्षा संबंधी अनुदान उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी देश, राष्ट्र या नये समाज की जो रचना है जो निर्माण है उसकी आधारशिला वहां की शिक्षा ही होती है। इसको मानते हुए इस बात की हमें जरूर खुशी है कि पिछले १४–१५ सालों में हमारे प्रदेश ने शिक्षा की दिशा में काफी प्रगति की है। यदि हम बजट को देखें तो जहां हमारा बजट १९४५-४६ में सिर्फ २ करोड़, ५७ लाख, ४६ हजार का था, वह इस वर्ष २१ करोड़, १२ लाख से कुछ ज्यादा का हो गया है। इसी प्रकार से मान्यवर, यदि हम संस्थाओं को देखें तो संस्थाओं में भी, चाहे वह प्राइमरी स्कूल हों, जूनियर हाई स्कूल हों या हायर सेकेंडरी स्कूल, डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटी हो, सब में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन इसके साथ ही साथ यदि हम अनुपात में जायं कि किस प्रोपोर्शन में प्रदेश में प्रगति हुई है,

[श्री नवलकिशोर]

तब मुझे महसूस होता है कि जितनी प्रगति १९४५–४६ के बाद ५ सालों में हुई है उसके अनुपात में इधर १० सालों में प्रगति काफी और पर्याप्त नहीं है।

मिसाल के तौर पर, आपकी आज्ञा से तीन आंकड़े पेश करना चाहता हूं। जहां तक लड़कों के स्कूलों की तादाद का संबंध है, १९४५–४६ में २२,५२७ थी, जो कि १९५०–५१ में ३६,४९५ हो गयी। इसके माने यह है कि १४ हजार बढ़ गयी। उनकी तादाद १९५९–६० में ४०,८०१ आयी। ५ साल में १४ हजार और १० साल में ४,००० प्राइमरी स्कूल बढ़े। जहां तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है, प्राइमरी स्कूलों में १९४५–४६ में १३,७०,६९४ विद्यार्थी थे, १९५०–५१ में २०,२७,१२३ हो गये, यानी १४ लाख बढ़ गये और मान्यवर, १९५९–६० में ३७,५२,१८५ हैं। इसके माने यह है कि १० लाख के करीब विद्यार्थी बढ़े ९ साल में, जबकि उधर ५ साल में १४ लाख बढ़ गये। इसी तरह से देखें तो १९४५–४६ में प्राइमरी टीचर्स की संख्या ४०,९४६ थी, १९५०–५१ में ७०,२९९ हुई और १९५९–६० में ९२,८७३ हैं। इससे स्पष्ट है कि इसमें शक नहीं कि हमने प्रगति की और बजट बढ़ाया। इसके लिये तो मैं बधाई देता हूं। मगर यह अवश्य देखने की बात है कि क्या कारण है कि जब ५ साल में हमारा टैम्पो इतना ऊंचा चला गया और बाद में बजट तो दुगुना और ढाई गुना हो गया लेकिन उस अनुपात से विद्यार्थियों तथा स्कूलों की संख्या नहीं बढ़ी? साथ ही साथ यह भी देखना चाहिये कि इस प्रगति की तुलना देश के और प्रान्तों से कैसी है। मान्यवर, जैसा आपने कल अपने भाषण में कहा था, यह स्पष्ट है कि हमारा प्रदेश शिक्षा के मामले में और प्रान्तों से पिछड़ा हुआ है। यह सही है कि हमारी आबादी ज्यादा है और इसलिये हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। उस जिम्मेदारी को निभाना हमारा सबका कर्त्तव्य है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं इसके लिये शिक्षा मंत्री जी को बधाई भी देता हूं कि जहां द्वितीय योजना में सिर्फ १३ करोड़ शिक्षा के लिये था तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४६ करोड़ रुपये का शिक्षा के लिये प्रबन्ध किया गया है उसमें से करीब ४ करोड़ रुपया इस वर्ष प्लान के अन्तर्गत शिक्षा योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं।

दूसरी बात यह भी है कि केवल स्कूल और विद्यार्थियों की संख्या के बढ़ने का ही प्रश्न नहीं है। हमको क्वालिटी भी देखनी है। मैं यह तो नहीं कहता कि इसमें सरकार बड़ी दोषी है, मगर यह एक चिन्ता का विषय जरूर है। हमारे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की तादाद बढ़ती चली जाती है लेकिन हमारे प्रदेश और देश में शिक्षितों का अनएम्प्लायमेंट भी उसी तेजी से बढ़ता चला जाता है। यह भी सही है कि विश्वविद्यालयों से निकले हुये विद्यार्थियों में जीवन की समस्याओं का मुकाबला करने की क्षमता नहीं होती। उनके अन्दर फ्रस्ट्रेशन, निराशा और विवशता होती है। साथ ही साथ उनका नैतिक स्टैंडर्ड भी गिर गया है और अनुशासनहीनता की बात तो हम और आप दिन-रात इस हाउस में कहते ही हैं। हमको उसकी जड़ देखनी है।

मान्यवर, आपने कल जब भाषण दिया था, तो आपने कहा था कि हमारे समाज का जो नया रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, और माननीय गोविन्द सहाय जी ने भी कहा था कि हमारे समाज का जो सोशल ट्रांसफार्मेशन हो रहा है उसके अनुरूप हमारी शिक्षा नहीं है। मैं आपसे १०० फीसदी इत्तफाक करता हूं कि नहीं है। लेकिन उसकी दवा मेरी समझ में नहीं आ पाई। हर शिक्षा का विशेषज्ञ अपनी-अपनी अलग दवा बतलाता है। कोई यूनीफार्म पालिसी हम अपनी इस विषय में अभी तक नहीं बना पाये हैं। इसमें प्रदेशीय सरकार के मुकाबले केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी अधिक है। मान्यवर, मैं इस बात को मान सकता हूं और हमारे कम्युनिस्ट भाइयों के लिये यह कहना आसान है कि आइडियालाजी के नाम पर एजूकेशन का रेजीमेंटेशन होना चाहिये मगर यह बात डिक्टेटरशिप में सम्भव है। हमारे जनतंत्र में तो प्रजा समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट हैं, जनसंघ है और न जाने कितने संघ हैं, कांग्रेस पार्टी भी है और उसके बाद सर्वोदय की बात भी हम कहते हैं। तो कौन सी आइडियोलोजी को लेकर हम अपनी

संस्थाओं में उसका प्रतिपादन करें ? मैं मानता हूं कि हमारी मौजूदा शिक्षा पद्धति हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। मगर फिर भी कोई स्पष्ट रूपरेखा अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। महात्मा गांधी ने बेसिक एजूकेशन में यह बतलाया कि क्राफ्ट के द्वारा विद्यार्थी को मेहनत और परिश्रम के द्वारा शिक्षा दी जाय। उनका मतलब यह नहीं था कि केवल खिलौने बनाना या बुक-बाइंडिंग सिखाई जाय बल्कि वह उसका जीवन से नजदीक का सम्बन्ध जोड़ना चाहते थे। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से बड़े अदब से निवेदन करूंगा कि उनके जितने सरकारी कर्मचारी हैं, मेरा यह विश्वास है कि उनमें से ९८ फीसदी क्या, सेंट पर सेंट का कोई विश्वास, कोई आस्था, बेसिक एजूकेशन में नहीं है न कोई इसकी स्पष्ट रूपरेखा ही उनके सामने है। यह नाममात्र की चीज है। शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात का संकेत किया कि वह बेसिक एजूकेशन बोर्ड की स्थापना करना चाहते हैं जो इस बात को देखेगा कि हमारे यहां बेसिक एजूकेशन कैसी हो और उसका एक्सपैंशन (प्रसार) सही तरीके से कैसे हो। मैं इसका स्वागत करता हूं।

मेरे एक दोस्त ने हायर सेकेंडरी एजूकेशन कमीशन की बात कही। मुझे इस सम्बन्ध में यह तो याद नहीं कि हाउस ने क्या तय किया था, मगर मुझे यह जरूर याद है कि सरकार की तरफ से इस बात का कई दफा वचन दिया गया था कि वह बहुत जल्दी एक कम्प्रेहैंसिव बिल इस बारे में पेश करना चाहती है। मैंने यह समझा कि शायद उसी सम्बन्ध में हायर सेकेंडरी एजूकेशन कमीशन का निर्माण हुआ है। उसे खत्म किया गया और मैं उसके औचित्य पर तो ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं मगर मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। जो कारण उसका मैंने अखबारों में पढ़ा मालूम नहीं कि वह कहां तक बिल्कुल सही है ? मगर यदि ऐसा है तो वह कोई दलील नहीं है। इस दलील से तो यूनिवर्सिटी कमीशन को भी खत्म कर देना चाहिये था। अगर यह समझा गया कि उसकी टर्म्स आफ रैफरेंस बहुत वाइड थीं या वह बड़ा था तो माननीय शिक्षामंत्री जी एक छोटी सी कमेटी बनाकर उसे अधिकार दें कि वह, चाहे नरेन्द्रदेव कमेटी रिपोर्ट हो या मुदालियर रिपोर्ट हो, सबका अध्ययन करके एक कम्प्रोहैंसिव बिल तैयार करके दे जो हाउस के सामने पेश किया जाय।

मेरे साथी और मित्र माननीय नेकराम जी शर्मा ने जो राजकीय डिग्री कालेजों के टीचर्स के ग्रेड्स के बारे में कहा सो मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जो ग्रेड्स टीचर्स के कम किये यह सही कदम उठाया। रामपुर, ज्ञानपुर और नैनीताल में सबसे ज्यादा ग्रेड्स थे और स्केल नैनीताल में सबसे ज्यादा थे। डिस्क्रिमिनेशन था उनके रेट्स में। हमारे सामने एक ही रास्ता है कि या तो हमारे नीचे के स्केल्स को ऊंचा कर दिया जाय या हायस्ट स्केल को कम कर दिया जाय, तभी डिस्पैरीटी (अन्तर) खत्म हो सकती है। तो यह क़दम उठाया सरकार ने, मैं उसे उचित मानता हूं।

जहां तक एडीशनल डाइरेक्टर की पोस्ट की बात है, मुझे याद पड़ता है कि एडीशनल की बात नहीं है, ज्वाइंट डाइरेक्टर की पोस्ट कम करने की बात है। यह इकानामी मेजर है। यों तो मैं उन दोस्तों से सहमत हूं जो यह कहते हैं कि इसके आगे भी इकानामी होनी चाहिये लेकिन जो सरकार ने ज्वाइंट डाइरेक्टर की पोस्ट कम की है उसमें केवल १५० रु० का ही फ़ायदा होने वाला नहीं है बल्कि जो स्टाफ़ उनसे एटैच्ड है उसका भी फ़ायदा होने वाला है। तो इकानामी के लिहाज से वह बात बिल्कुल ठीक है।

माननीय मंत्री जी ने जो २, ३, ४ बातें की हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको उनके लिये बधाई देना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर, हमारे प्राइमरी टीचर्स को ४ रुपये की बढ़ोत्तरी की है, कुछ का डियरनैस एलाउंस बढ़ाया है, ८वें दर्जे तक लड़कियों की फ्री शिक्षा की है और स्त्री टीचर्स के क्वार्टर्स तथा उनको गांव के भत्ते का प्रबन्ध किया है। ये अच्छी बातें हैं और उनका मैं स्वागत करता हूं।

[श्री नवलकिशोर]

इसके बाद चन्द बातें मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती चली जाती है और हमारी शिक्षा बहुत एक्सपेंसिव होती चली जाती है। हाई स्कूल और इंटरमीडियेट का नतीजा हर साल गिरता चला जाता है। गार्जियन्स के सामने एक परेशानी है। अगर हमारी शिक्षा का स्तर गिर रहा है तो इम्तिहान का स्तर भी गिरना चाहिये, वरना जिनके बच्चे फेल होते हैं उन्हें बड़ी परेशानी होती है और उनका पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

एक बात मुझे यह कहनी है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम में हजारों की तादाद में ढोल-मंजीरे स्कूलों को भेज दिये गये। जब मैं बरेली जिला बोर्ड में एजूकेशन कमेटी का चेयरमैन था तो मैंने देखा कि उनको चूहों ने काट कर खत्म कर दिया। मुझे आशा है कि शिक्षा मंत्री जी इस ढोल-मजीरे वाली बात को खत्म करने की कृपा करेंगे।

बेसिक स्कूलों में ग्रान्ट आम तौर से मार्च के महीने में जाती है। जब मैं बरेली में था तो स्कूलों को कई हजार की ग्रान्ट २२ मार्च को भेजी गयी। जो ग्रान्ट इस प्रकार से जाती है उसका ५०–६० प्रतिशत या तो बेकार चला जाता है या उसका उचित उपयोग नहीं होता। इसलिये २८ फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा ग्रान्ट पहुंच जानी चाहिये।

इन्टरमीडियेट बोर्ड के बारे में, जैसा कि नेकराम शर्मा जी ने कहा, बहुत दिनों से यह कहा जा रहा है कि वह बहुत ही अनवील्डी हो गया है। उसका फिर से सही आर्गेनाइजेशन होना चाहिये।

एजूकेशन में एक्सटेंशन तो है लेकिन इन्टीग्रेशन नहीं है आज भी आप देखेंगे कि एजूकेशन का कुछ भाग इन्डस्ट्री के अन्तर्गत है, कुछ इर्रीगेशन, कुछ हाइडल, कुछ एग्रीकल्चर और कुछ मेडीकल विभागों के अन्तर्गत है। मेरी शुरू से ही यह निश्चित राय रही है कि इन सब को एक ही हैड के अन्तर्गत होना चाहिये चाहे वह जनरल एजूकेशन हो या टेक्निकल एजूकेशन हो। इस प्रकार से इन सब का इन्टीग्रेशन आवश्यक है।

आठवीं या दसवीं तक की जो शिक्षा है, मेरी राय में सब को मिलनी चाहिये। लेकिन उसके बाद की शिक्षा मेरिट के हिसाब से बच्चों को मिलनी चाहिये, तभी उनका स्टैन्डर्ड बढ़ सकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नवलकिशोर—हायर सेकेंडरी के लिये तीन साल का कोर्स हो, यह बात बहुत दिनों से चल रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में जल्द निर्णय लेने की कृपा करे, कि वह क्या चाहती है।

इन्टरमीडियेट बिल जो पास किया है उसके द्वारा टीचर्स की सिक्योरिटी बढ़ाने और मैनेजमेंट की पावर्स को कम करने के बारे में अमल किया गया है। उस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरह का नियम बनाये कि इन्टरमीडियेट कालेजेज में नये टीचर्स के एप्वाइन्टमेंट्स के लिये एक मिनिमम स्टैंडर्ड और कम से कम सेकेंड डिवीजन पास होना अवश्य किया जाये।

गांवों में जूनियर हाई स्कूल में कृषि की जो स्कीम चलाई गई थी उसके इवेल्यूएशन के लिये सरकार ने कैलाश प्रकाश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी थी कि वह कामयाब हो रही है या नहीं। उसके बारे में भी शीघ्र ही उसकी सिफारिशें हमारे सामने आनी चाहिये।

टैक्स्ट बुक्स के बारे में भी बहुत सी शिकायतें आती रहती हैं। इसलिये सरकार को उनके छपने के बारे में भी कुछ नियम बना देने चाहिये जिससे वे शिकायतें दूर हो जायं।

एक जमाना था जब एस० डी० आईज० को टनेज दिया जाता था जब कि वे दौरे पर जाते थे। उस समय स्कूल बहुत थोड़े थे लेकिन अब स्कूल बहुत हो गये हैं और ९९·९ प्रतिशत लोग स्कूलों में ही ठहरते हैं इसलिये यद्यपि यह अलाउन्स बहुत थोड़ा ही होगा, लेकिन सरकार इस ओर भी देखे। यह चीज भी आसानी से खत्म की जा सकती है। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी लाइब्रेरीज जूनियर हाई स्कूलों में चल रही हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसेभी देखें।

इसके अलावा हिन्दी समिति जिसके ऊपर हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं इसका ग्रांट पहले शिक्षा के अन्तर्गत ही था लेकिन अब उसको हटा कर सूचना विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है। इसलिये मैं फिर आपके द्वारा और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हिन्दी समिति का स्थान सही तौर पर शिक्षा के अन्तर्गत है।

*श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)--श्रीमन्, इसके पहले कि शिक्षा के विषय में मैं कोई मौलिक सिद्धान्त की चर्चा करूं, यह जरूर कह देना चाहता हूं कि अब किसी मौलिक सिद्धान्त की बात करना कुछ व्यर्थ सा है, क्योंकि सरकार ने स्वयं एक चीज को खत्म करके अपनी इस नीति को स्पष्ट कर दिया है कि वह शिक्षा नीति के बारे में कोई बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। जब सरकार स्वयं इस बात को कहती है कि वह शिक्षा नीति के विषय में कोई बात सुनने के लिये या समझने के लिये तैयार नहीं है तो शिक्षा की दिशा में बात करना, शिक्षा के लक्ष्य की बात करना हमारी समझ में इस सदन के समय का दुरुपयोग होगा।

एक बात जो हमारी तरफ से अभी कही गयी थी जिसका शिक्षा मंत्री जी ने विरोध किया था और जो वास्तव में उनका विरोध सही नहीं था, उसकी तरफ मैं जरूर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इधर से कहा गया था कि राज्यपाल के मुंह से आपने कहलवाया था कि छठें दर्जे तक की फीस माफ कर दी जायगी और लगातार ७वें और ८वें दर्जे की फीस भी जल्दी से जल्दी माफ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इधर से कहा गया कि ७वें और ८वें दर्जे की फीस की माफी अभी तक आपने नहीं दी और यहां तक कि ६ठे की फीस माफी भी आपने बन्द कर दी। इस पर आपने प्रोटेस्ट किया। मैं फिर उसको दोहराता हूं कि पहले जब आप कोई ग्रांट देते हैं एक समय और किसी मद को अलग नहीं देते हैं कि इस मद को ग्रांट दी गयी है, तो मैं समझता हूं कि आप उस ग्रांट को दे रहे हैं और जब आप उस मद को खतम कर दें और जनरल ग्रांट में देकर कह दें कि इसे दिया हुआ समझ लिया जाय, तब तो मैं अपनी बात साफ साफ बतला देना चाहता हूं कि आप धोखा देते हैं और गलत काम करते हैं। आप सीधे-सीधे उन बातों को बतला दीजिये कि आप प्रबन्ध समिति को हुक्म दे रहे हैं कि फलां विद्यार्थी की फीस माफ करो, फलां नौकर के लड़के की फीस माफ करो या फलां की फीस माफ करो और उनके लिये आप अलग ग्रांट दीजिये ताकि आपके ऊपर विश्वास तो कर सकें कि आप ग्रांट दे रहे हैं और अगर आप उनको नहीं देते हैं कह कर भी और यह कह देते हैं कि दिया गया समझ लो और जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो आपकी तरफ से जवाब दिया जाता है कि यह सब गलत है। ऐसी हालत में मुझे तो यह कहने का पूरा अधिकार है कि मैं प्रबन्ध समिति के माननीय सदस्यों से जो कि यहां मौजूद हैं उनसे कहूं कि वे इसके लिये उचित कदम उठावें और प्रबन्ध समितियां सरकार की आज्ञा का पालन न करें जो फीस माफी के सम्बन्ध में उनकी आज्ञा हो। इस तरह से जो ग्रांट सरकार की तरफ से दिया जायगा उसको तो हम डिस्बर्स कर देंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है।

(इस समय २ बज कर ८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

अभी हमारे साथी ने एक बात कही कि शिक्षा में प्रगति हुई है, रुपये में वृद्धि हुई है और लड़कों तथा मास्टरों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, यह बात बिल्कुल भ्रामक है। बिल्कुल गलत बात हमारे सामने रखी गयी है। १९४५ में जब कि गोरी सरकार का जमाना था और उसके जीवन मरण का प्रश्न था उस समय भी शिक्षा पर पूरे बजट का १५ प्रतिशत हिस्सा खर्च होता था और आज जब कि स्वराज्य हुए १३ वर्ष हो गये और हमारी सरकार जो अपने को समाजवादी सरकार कहती है, जो अपने को कल्याणकारी सरकार कहने की घोषणा से थकती नहीं है वह सरकार आज पूरे बजट का १२ प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च कर रही है। और गोरी सरकार और विदेशी कहलाने वाली सरकार सन् ४५ में अपने बजट का १५ प्रतिशत खर्च कर रही थी लेकिन यह फिर भी गर्व और घमंड के साथ कहते हैं कि हम शिक्षा में प्रगति कर रहे हैं और उसका बजट बढ़ता जा रहा है। इस पर, अपनी शिक्षा की इस प्रगति पर, इस नीति पर, इनको शर्म नहीं आती।

अब मैं एक बात और कहूंगा कि सरकार और सबको धोखा दे और अपनी तमाम नीतियों में छल और प्रपंच करे लेकिन शिक्षा में इन चीजों का प्रश्न नहीं आना चाहिये। लेकिन जब यह सरकार विद्या और सरस्वती के साथ ऐसा व्यवहार करती है तो मुझे पुराणों की एक कथा याद आ जाती है और वह कथा इस प्रकार है कि भगवान के ३ रूप बताये गये हैं—ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान के विष्णु और महेश इन दोनों रूपों की तो पूजा होती है लेकिन तीसरा रूप जो उनका ब्रह्मा का है उस की पूजा नहीं होती ऐसा पुराणकार कहते हैं। उसका कारण पुराणकार ने यह बताया है कि एक बार ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ खिलवाड़ की थी। मैं चाहता हूं कि पुराणकारों के इस कथन का यह सरकार और मंत्री जी बार बार मनन करें, वह बार बार सरस्वती और विद्या का अपमान कर रहे हैं। आपको कोई वाइस-चांसलर पसन्द नहीं है तो आप उसके लिये नये नियम और कानून बनाते हैं क्योंकि वह आपके मन का नहीं है। अगर कोई विभागीय आफिसर आपके मन का नहीं है तो आप किफायतशारी का बहाना करते हैं। कहीं पर आप और भी कोई कारण बता सकते हैं, जो आप की गतिविधि को जानते हैं कि जिस ढंग से आप काम करते हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जो यह अफसर कम कर रहे हैं वह आपकी किफायतशारी नहीं है। यह तो चूंकि सीधा काम करने का और कोई ढंग नहीं है इसलिये आप इस तरह से उसको कर रहे हैं।

हमारे भाई ने एतराज किया अध्यापकों पर, गरीब अध्यापकों पर कि वह राजनीति में हिस्सा लेते हैं और वह शिक्षा मंदिरों के पवित्र स्थान को छोड़कर यहां आते हैं, उनको नहीं आना चाहिये। बड़ी अच्छी बात कही है, मैं उसको फिर दोहराता हूं कि वह विद्या मंदिर वाकई पवित्र स्थान हैं उनमें राजनैतिक आदमियों को नहीं जाना चाहिये, उनको कदम नहीं रखना चाहिये। अगर आप यह समझते हैं कि वह राजनीति नहीं है कि मिनिस्टरों को, लड़कों को लाइन में खड़ा करके, फूल मालायें पहनाई जायं और उनका स्वागत कराया जाय लेकिन अगर सदन में शिक्षा के बारे में कुछ कहा जाय तो यह अध्यापकों का राजनीति में भाग लेना हो जाता है और वह आप शिक्षा पसन्द नहीं करते। मिनिस्टरों का और सरकारी हस्तक्षेप का इन शिक्षा मंदिरों में कहां स्थान है? अगर वहां से राजनीति हट जाय तो हमारे शिक्षा मंदिरों की उन्नति हो सकती है। हमारा यह अधिकार है कि हम यहां आकर अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करें, वह बात दूसरी है कि आप हमसे डरते हों, अपने चरित्रबल को देखकर हो सकता है कि आप डरते हों कि अगर अध्यापकों का कोई और नया वर्ग खड़ा हो गया जिस पर जनता को ज्यादा आस्था और श्रद्धा हुई तो आप जैसे राजनीतिज्ञों को कोई खतरा पैदा हो जायगा। अगर ऐसा आप का विचार हो तो मैं आपकी मनःप्रेरणा और धारणा की इज्जत करता हूं। आपको ऐसा डर हो सकता है लेकिन आप हमारे हटाने के लिए लड़कों के स्तर की बात न करें, आप उनके अनुशासन की बात न करें।

अभी एक चीज जो हमारे कांग्रेस के सदस्य ने कही है, समाजवादी हो कर भी उन्होंने कहा है कि शिक्षा नीति स्वतंत्र होनी चाहिये । पता नहीं वह आइडियोलाजिकल शिक्षा चाहते हैं या उच्छृंखल बनाना चाहते हैं और उन्होंने कोई शिक्षा विशारद की रिपोर्ट भी पढ़ी है या नहीं । यह राधाकृष्णन् रिपोर्ट है इसका एक छोटा सा हिस्सा अगर आप देखें तो इसमें यह बताया गया है कि समाज ज्यों ज्यों ऊपर उठता है उसमें मूल्यों का परिवर्तन होता है और शिक्षा का काम है कि वह इन नये मूल्यों को अपनावे और नये मूल्यों को स्थापित करने का प्रयत्न करे । अगर हम नये मूल्यों की स्थापना नहीं होने देते हैं और कहते हैं कि चूंकि हम स्वतंत्र रखना चाहते हैं इसलिये हम किसी संस्कार को विद्यार्थियों के हृदय पर अंकित नहीं होने देंगे तो यह कैसे हो सकता है ? मैं संस्कार की बात नहीं जानता लेकिन हमारे यहां लड़कों को हमेशा गुरुकुलों में इसीलिये भेजते थे कि माता-पिता या सरकार या गुरु जिस संस्कार को उचित समझेंगे उसे विद्यार्थी के दिमाग पर जरूर डालेंगे । अगर हम नहीं डालते हैं तो इसके माने हैं कि हम संस्कार विहीन विद्यार्थी विद्यालय से बाहर भेजते हैं, जिसका कि हमें कोई हक नहीं है । अगर इस अच्छे सिद्धान्त को सोशलिज्म के नाम पर आप टैबू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आपकी शिक्षा नीति की प्रशंसा करें तो आप धोखे में हैं....

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---आप क्या चाहते हैं ?

श्री देवीप्रसाद मिश्र---मैं तो चाहता हूं कि समाजवाद का जो नया मूल्य है उसको आप समझें और लड़कों को समझाएं । अगर आप न समझते हों तो मुझसे समझ लें । नये मूल्यों को सीखना और विद्यार्थियों में संस्कार डालना जनतंत्र की हत्या नहीं है ।

एक बात मैं और कहूंगा । हमने इधर थोड़े दिनों से अध्यापकों के प्रश्न पर बड़ी पदयात्रा की है जैसे कभी कभी आप किया करते हैं अपनी कुर्सी के लिये कि लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ । हमारे निर्देश में यह साफ लिखा गया है कि समान काम के लिये समान वेतन होगा और सरकार बार-बार स्पष्ट घोषणाएं कर चुकी है कि हम समानता का बर्ताव करना चाहते हैं लेकिन तब भी हमारे गैर-सरकारी स्कूलों में जो महंगाई का भत्ता नहीं दिया जा रहा है और अभी अभी चार रुपया १०० रुपये तक पर बेकर जो मजाक उड़ाया गया है उसको समझने के लिये कि कठिनाई क्या है, बार-बार दौड़ने पर केन्द्र ने बताया कि हम तो ५० फीसदी देने के लिये तैयार हैं आपकी सरकार मांग नहीं करती है और हम रुपया देते हैं उसको खर्च भी नहीं करती है, हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हम प्रदेश की सरकार से जबर्दस्ती नहीं कर सकते । हमने उनसे कहा कि हम प्रदेश की सरकार के पास जाते हैं तो वहां पर जो आंकड़े बताये जाते हैं, और आप जो कह रहे हैं, इसमें बड़ा फर्क है । उन्होंने एक सीधा सवाल मुझसे पूछा जिसका जवाब मैं नहीं दे सका । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उसका जवाब देंगे । उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान भर में २० प्रदेश हैं । इनमें से १९ प्रदेश हमसे ग्रान्ट लेकर महंगाई का भत्ता देते हैं । कोई ४५ रुपया, कोई ४० रुपया और कोई ३५ रुपया दे रहा है । तो अब १९ प्रदेश कर रहे हैं अकेले उत्तर प्रदेश में कौन सी खासियत है कि अकेला वही इस काम को नहीं कर पा रहा है ? मैं यह नहीं बता सकता । कोई मंत्री जी इस समय न हों और उनके सहायक कोई हों तो वह बता दें । २० प्रदेश इस देश में हैं । कुछ हमसे गरीब हैं, जंगली हैं, पहाड़ी हैं और रेगिस्तानी भी हैं । वह १९ प्रदेश ४५ रुपये से ४० रुपये तक अपने गैर-सरकारी स्कूलों के मास्टरों को भत्ता दे सकते हैं और केन्द्रीय सरकार से मदद लेकर दे सकते हैं, तो यह बीसवां प्रदेश क्या इस बात का गौरव चाहता है कि हम सबसे अकेले हैं.....

श्री ऊदल---१६ वां नम्बर है इनका ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---आपने याद दिला दिया कि १६ वां नम्बर है इनका । लेकिन मैं आपको करैक्ट करता हूं कि अब १६ वां नम्बर नहीं है । अब तो सिर्फ यह आगे है रेगिस्तानी

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

प्रदेश राजस्थान से, पहाड़ी प्रदेश हिमांचल से और जंगली प्रदेश मध्य प्रदेश से जिनकी पापुलेशन की डैंसिटी ३०० या ४०० से अधिक नहीं है । यहां डैंसिटी ६०० से ज्यादा है । यहीं अधिक शिक्षा होनी चाहिये । ज्यादा डैंसिटी के माने हैं कि शिक्षा की उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिये । ऐसा प्रदेश जिसकी डैंसिटी ६०० से ज्यादा हो वह एक हजार में १७५ आदमियों को शिक्षा दे सके और १० वर्ष के बाद दे सके तो यह शर्म की बात है । आपका स्थान असल में १६ वां भी नहीं है, आपका स्थान सबसे नीचे है ।

अब मैं मंहगाई पर आ रहा हूं । वास्तव में मैं बतला दूं कि अगर रुपये ज्यादा होने का प्रश्न है और आपके पास रुपये की कमी है और आप प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाना चाहते हैं और हमारे डी० ए० का प्रश्न उसमें रुकावट डालता हो तो मैं साफ साफ बतला दूं कि हम डी० ए० नहीं, अपनी तनख्वाह में से भी कटाने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि प्राइमरी अध्यापकों को वह वेतन आप दे सकें जो राजस्थान, महाराष्ट्र तथा बम्बई वाले देते हैं । क्या आपको मालूम नहीं है कि वहां ८०, ९० और १०० रुपये मिलते हैं ? केन्द्र आपसे बिलाना चाहता है । बार बार कहता है कि आप दीजिये । अगर आप देना चाहते हैं तो इन गरीब अध्यापकों का भी उसमें कुछ कांट्रिब्यूशन होगा अगर हमारी तनख्वाह में से लेकर कुछ दे सकें तो दे दीजिये । मैं इसलिये इस बात को कह रहा हूं कि आप इस भ्रम को न फैलायें कि प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा को आप तरक्की देना चाहते हैं, उनका वेतन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपके पास रुपया नहीं है ।

केन्द्र ने सीधे सीधे जवाब दिया कि आप बजट को देखिये । उन्होंने २२ करोड़ रुपया दिया था शिक्षा में खर्च करने के लिये । लेकिन इस प्रदेश ने २२ करोड़ रुपयों में कितना खर्च किया जो उसको केन्द्र ने दिया था शिक्षा में खर्च करने के लिये, वेतन वृद्धि के लिये, शिक्षा में सुधार करने के लिये ? आपने ९ करोड़ रुपया खर्च नहीं किया है, लैप्स होने देते हैं तो क्या यह शर्म की बात नहीं है ? आपको दूसरी जगह से रुपया मिल रहा है, किसी मद में खर्च करने के लिये रुपया मिल रहा है उस रुपये को भी आप खर्च नहीं कर रहे हैं और यह बात कहें कि रुपया हमारे पास नहीं है, किफायतशारी कर रहे हैं, तो वास्तव में आपकी नीयत नहीं है । नीयत नहीं है, यह साफ साफ इसलिये कह रहा हूं कि इस असेम्बली में चार वर्ष पहले हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने बड़े घमंड के साथ घोषणा की थी कि हम मैडिकल फैसिलिटीज अपने अध्यापकों को देना चाहते हैं और उसके लिये १०० रुपये की टोकेन ग्रांट है । पार्लियामेंटरी भाषा में यही समझा जाता है कि टोकेन ग्रान्ट है साल दो साल में कार्यवाही होगी । लेकिन अभी तक वह टोकेन ग्रान्ट टोकेन ग्रान्ट है । अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । अगर ऐसी ही हालत थी तो चार वर्ष पहले इसकी घोषणा करने की क्या जरूरत थी कि हम टोकेन ग्रान्ट रखें । अब भी वापस कर लीजिये उस टोकेन ग्रान्ट को, हमारे साथ मजाक न करिये ।

मैं कह रहा था कि डी० ए० का प्रश्न बड़ा अहम है और उसकी अहमियत आप भी अनुभव करें । हमारी दशा को जरा आप देखें । हम अपनी दीनता का वर्णन करेंगे । आप १९४७ का जमाना देखें । उस समय हम आजादी की लड़ाई के सिपाही थे । हमने आप ऐसे आदमियों को पैदा किया है । जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था अब वे इन कुर्सियों पर बैठ गये हैं । उस समय हम राष्ट्रीय थे लेकिन १९४७ में स्वतंत्रता होने के बाद उसी दिन हम अराजकीय हो जाते हैं और जो गुलाम स्कूल थे वे राष्ट्रीय बन जाते हैं जिनके लिये महात्मा गांधी ने कहा था कि ये गुलामों की फैक्टरियां हैं और आज वे राष्ट्रीय बन कर आपके प्यारे बन जाते हैं और उनको आप सुख तथा सुविधा देने का प्रयत्न करते हैं । हम जो कह सकते हैं कि हमने इस सदन को चीफ मिनिस्टर्स दिये हैं और हमने आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले कर जो राष्ट्रीय होने का गौरव प्राप्त किया था उन्हीं को आज आपने अराजकीय करार दे दिया । अगर आप हमें डी० ए० न दे सकें, कुछ न दे सकें तो कम से कम जो गौरव हमें प्राप्त था उसे वापस कर दीजिये, इतना तो आप कर सकते हैं । स्वतंत्रता संग्राम के हम

सेनानी थे और उसमें हमारा कांट्रिब्यूशन था और उस समय हम गुलाम नहीं थे लेकिन आज हम अराजकीय हैं ।

मैं इस बात को इसलिये कह रहा हूं कि दो, तीन समस्यायें हमारे सामने आई हैं । एक तो टीचर पालिटीशियन का नारा बड़ी तेजी के साथ हमारे साथियों ने उठाया है । वह मौलिक चीज है । हमें अधिकार प्राप्त है कि आपकी शिक्षा नीति का हम खंडन करें । हर एक माता और पिता को बतायें कि तुम्हारे लड़के बरबाद किये जा रहे हैं और सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति से बरबाद किये जा रहे हैं । हम अध्यापक नहीं रहेंगे जिस दिन हम आपकी शिक्षा नीति का वर्णन दूसरे के सामने नहीं करेंगे । अभी तक हमने इसको किया नहीं है । आप तो अभी घबरा गये-जब हमने यही रास्ता अपनाया कि सदन में आकर कहें कि आपकी शिक्षा नीति गलत है । मैं नहीं जानता कि उस दिन आपका रवैया क्या होगा अगर ३०-४० हजार अध्यापक---हो सकता है कि उनकी आवाज पतली हो---निकल कर मैदान में आ जायं और गरीब और हीन किसानों को यह बतलाने का प्रयत्न करें कि तुम जो रुपया दे रहे हो वह सब बरबाद हो रहा है, तुम्हारे बच्चे हमेशा के लिये बरबाद किये जा रहे हैं और वह तब तक बरबाद होते रहेंगे जब तक तुम शिक्षा में जबरदस्ती परिवर्तन न कराओगे । यह हमारा अधिकार है, हम शिक्षक हैं । अगर आप समझते हैं कि यह भी अधिकार हमें नहीं मिला है, यह भी स्वतंत्रता हमें नहीं है कि इसको कर सकें तो उसको साफ बता दीजिये ।

कम्युनिज्म और सोशलिज्म पर हमला करने के साथ-साथ इसको भी बता दीजिये कि यह अधिकार हम आपको नहीं दे रहे हैं और आप इस अधिकार का जब प्रयोग करते हैं तो आप टीचर पालिटीशियन हो जाते हैं । मैं इस बात को इसलिये कह रहा हूं कि आपकी डी० ए० की नीति से असन्तुष्ट हो कर के अभी कल इस लखनऊ नगरी में प्रान्त भर के अध्यापक एकत्रित हुये थे और उन्होंने बहुत छोटे और सीधे प्रस्ताव पास किये हैं । उन्होंने यह नहीं मांगा है कि आप उनको डी० ए० दीजिये । उन्होंने यह मांगा है कि उनके साथ समानता का बरताव होना चाहिये । समानता वे चाहते हैं अंग्रेजी स्कूलों से । अगर आप समझते हैं कि आपके पास अक्ल सिर्फ यही है कि एक को घटाने या दूसरे को बढ़ाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, यह आपका काम है । आप किसी को घटा कर बराबरी ले आना चाहते हैं या किसी को बढ़ा कर बराबरी के दर्जे पर पहुंचाना चाहते हैं । जब तक आप कुर्सी पर हैं तब तक आपका यह कर्त्तव्य है और आप इसको निभाइये। अगर आप कहते हैं कि हम नहीं निभा सकते हैं तब तो बात दूसरी होगी। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मैं सिर्फ पांच मिनट का और समय आपसे चाहूंगा । (लाल बत्ती बुझा दी गयी ।)

एक बात मैं और कह दूं कि कम से कम शिक्षा के बारे में आप जो कुछ करना चाहते हैं वह ठोस काम करिये । प्रचार का रास्ता आप बहुत अख्तियार कर चुके हैं, अब प्रचार करने से काम नहीं चलेगा। यह बात मैंने इसलिये कही कि इत्तफाक से जब मैं बोल रहा था तो हमारे सामने यह पुस्तिका आ गयी जो हमारे प्रान्त की शिक्षा की प्रगति देती है ।

अभी तक दर्जा ३ और ४ के विद्यार्थियों की पुस्तकों में मैंने देखा था कि चूंकि वे नीरस विषय नहीं पढ़ सकते इसलिये उनके समझने के लिये इस तरह के चित्र बना कर दे दिये जाते हैं ताकि उन चित्रों से लुभा कर वे अपनी नीरस पुस्तकों को भी पढ़ सकें । यह पहली बार हमारा अनुभव हुआ है कि इस पुस्तिका के अन्दर भी चित्रावली दी गयी है और बड़े सुन्दर सुन्दर चित्र किसी चित्रकार से बनवा कर दिये हैं ताकि विधायक, ये जो आंकड़े दिये हैं, इनको समझ सकें । इसका अर्थ भी मैं समझ सकता अगर वास्तव में इस चित्रकार ने स्वाभाविक और प्राकृतिक चित्र देने का प्रयत्न किया होता । प्रारम्भ में पाठशाला के दो विद्यार्थी पोशाक पहने हुये चले जा रहे हैं । यह स्वाभाविक चित्र नहीं है । अगर फोटो लिया होता आपने किसी प्राइमरी पाठशाला का तो आपको एक झोपड़ी मिली होती जिसमें २५ जगह छेद होते, बैठने के लिये कहीं टाट और पट्टी नहीं होती, एक कुर्सी होती जिसके तीन या दो पाये होते, उस पर बैठने वाला एक नरकंकाल होता और

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

इर्दगिर्द चिथड़े और गन्दे कपड़ों में लिपटे हुये २०-२५ माटी के पुतले होते । यह फोटो होता अगर वास्तव में आप चित्र देने की अहमियत को जरा भी समझते । लेकिन आप नहीं समझते और चित्र देकर विधायकों को लुभाने का प्रयत्न आपने किया है । लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आप करते हैं और जिस चीज को आप इस्तेमाल करते हैं तो चित्रकार भी आपके साथ व्यंग करता है और मजाक करता है । इस चित्रकार ने भी आपके साथ बहुत बढ़िया मजाक किया है । इस पुस्तक के पृष्ठ १० पर देखिये कि अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है और श्यामपट पर पढ़ा रहा है । उस श्यामपट पर "क्यू" लिखा हुआ है । इस चित्र का क्या अर्थ है ? इसको जरा समझने का प्रयत्न कीजिये । इसका अर्थ है कि आपने जो शिक्षा के लिये प्रयत्न किया है वह कुछ नहीं है बल्कि जीरो है । इसका दूसरा अर्थ मनोविज्ञान से संबंध रखता है । वह आई क्यू से बतला रहा है कि आप कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन आपका आई क्यू जीरो है यानी आपकी बुद्धि का मापदंड जीरो है । इसको समझने का प्रयत्न कीजिये । मैंने तमाम पुस्तक छान डाली लेकिन कहीं पर मुझे अंग्रेजी का नाम निशान नहीं मिला । केवल इसी अध्यापक के श्यामपट पर "क्यू" लिखा हुआ मिला । इसलिये मैंने समझा कि चित्रकार भी समझदार है इसलिये वह अंग्रेजी में मजाक करना चाहता है ।

विद्यार्थियों के स्तर की बात हमारे साथियों ने की है और लड़कों के फेल होने की बात कही है । लेकिन दोनों को मिलाने का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया है । मैं आपको अध्यापक होने के नाते विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने दिमाग साफ कर लीजिये । आज के विद्यार्थी का स्तर किसी विषय में आप लोगों के जमाने से कम नहीं है । आप अपनी पुरानी कापियों को निकाल लीजिये । मैं दावा करता हूं, आप उनको मेरे सामने लाइये और मैं आज के विद्यार्थियों की कापियों को देखकर साबित कर सकता हूं कि वह आपसे ज्यादा योग्य है, प्रवीण है, सिर्फ एक बात में कम है कि आपका संसर्ग अंग्रेजों से था इसलिये आप अंग्रेजी जानते थे । लेकिन वह स्वतंत्र है, अंग्रेजी नहीं जानता है । इसलिये आज तीन लाख की संख्या में विद्यार्थी फेल होते हैं और आप फेल करते चले जा रहे हैं । यह आप क्या मजाक कर रहे हैं ? आपके करोड़ों रुपये इसलिये बरबाद हो रहे हैं कि आप गलत भाषा की नीति का प्रयोग कर रहे हैं ।

एक तर्क दिया गया है कि अगर अंग्रेजी की शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे बच्चे आल इंडिया सर्विसेज में कैसे जायेंगे ? एक ने तो विरोध किया था कि हमें बाबू नहीं बनना है । लेकिन इधर कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो केन्द्र में कैसे जायेंगे ? मैं आप से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हिन्दी प्रान्तों को सोचना है । अगर कहीं होड़ लगाना चाहते हैं कि अंग्रेजी पढ़कर केन्द्र की परीक्षाओं में बैठेंगे और दूसरे सूबों से बराबरी करेंगे तो मेहरबानी करके अपनी शिक्षा नीति को बदल दीजिये । यह गलती न करें कि छठवीं क्लास से अंग्रेजी शुरू करें और पहले दर्जे से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दें । इसलिये मैं कह रहा हूं कि आपके लखनऊ में ही ऐसे विद्यालय खुले हैं जहां नीचे से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाती है और अपने यहां छठी क्लास से शुरू कर रहे हैं । कांग्रेसी भाई समझ रहे हैं कि मैं उनकी बात कह रहा हूं । मैं उनकी बुद्धि की तारीफ कर रहा हूं कि आप छठी क्लास से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और हौसला यह है कि केन्द्रीय सरकार की सर्विसेज में अपने बच्चों को भेजें तो कैसे आपके बच्चे मदरास और बम्बई के बच्चों का मुकाबला कर सकेंगे ?

मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपके ऊपर हिन्दी की जिम्मेदारी है । अगर आप चन्द नौकरियों के पीछे अंग्रेजी को लादे रखेंगे तो देश का बड़ा भारी नुकसान करेंगे । अगर आप नौकरियों के ही चक्कर में हैं तो अपनी जनसंख्या के अनुसार केन्द्रीय सरकार से क्यों नहीं कहते कि हम अपनी भाषा पढ़ेंगे, दूसरी नहीं पढ़ेंगे । अगर नौकरी देना है तो हमारी जनसंख्या के अनुसार हमारे लिये नौकरियां अलग कर दी जायं । इसकी तो हिम्मत नहीं है । तीन लाख विद्यार्थियों को फेल करते हैं । कहते हैं कि हमारा स्तर गिर रहा है । भाषा नीति नहीं सुधार सकते । भाषा नीति के संबंध में मैं फिर कहूंगा कि आप इस पर फिर से गौर कीजिये ।

दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि अध्यापकों के प्रश्न पर इस दृष्टि से गौर कीजिये कि वह समानता की मांग कर रहे हैं। बहुत दिनों तक वह असमानता का विष बरदाश्त नहीं कर सकते। आप चाहे जितना चिढ़ें या कुपित हों, चाहे जितनी राजनीति की निन्दा करें, चाहे जितना विद्या मंदिरों को बन्द करने का प्रयत्न करें, लेकिन वह बराबरी करके रहेंगे अपने को आपके बराबर कर के छोड़ेंगे। कभी कभी एक बेतुका तर्क दिया जाता है कि गैर सरकारी अध्यापक नीचे श्रेणी के होते हैं, क्योंकि उनका सलेक्शन नहीं होता है। इसलिये जो वह पा रहे हैं वही बहुत है। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने शिक्षा विभाग को देखिये। मैं उसकी निन्दा नहीं कर रहा हूं। शिक्षा विभाग अधिकतर उन आदमियों से सुशोभित किया गया है जो पहले एस० डी० आई० थे। एस० डी० आईज० के बारे में गोरी सरकार की नीति यह थी कि वह उनसे एक शर्तनामा लिखवा लेती थी कि वह शिक्षकों के पदों के लिये दरख्वास्त नहीं देंगे। उस समय की सरकार यह मानती थी कि एस० डी० आई० का कैलिबर नीचा होता है और मास्टरों का कैलिबर ऊंचा होता है। वही एस० डी० आई० तरक्की पाकर शिक्षा विभाग को सुशोभित करते हैं। मैं उनकी निन्दा नहीं करता हूं। वह ज्यादा तरक्की कर गये होंगे लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे ऊपर लांछन लगाने से पहले अपने तईं देख लिया करें कि उनकी योग्यता क्या है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस अनुदान के लिये बधाई देती हूं, जो अनुदान इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

हमारा देश अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा में उतनी उन्नति नहीं कर सका जितनी करनी चाहिये थी। जब हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने जगह, जगह प्रारम्भिक पाठशालाएं तथा कालेज और विश्व विद्यालयों की स्थापना की जिसमें हमारे प्रदेश के नवयुवक और नवयुवतियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

मान्यवर, हमारी सरकार ने हरिजन वर्ग के लिये शिक्षा का काफी प्रबन्ध किया है जो किसी भी सरकार ने नहीं किया। आज हरिजन वर्ग में जो शिक्षा की इतनी तरक्की दिखायी देती है वह हमारी सरकार की देन का ही फल है। हम इसके लिये अपनी सरकार के आभारी हैं।

हमारी सरकार ने बेसिक प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिये चार रुपये वेतन-वृद्धि की है और आठवीं कक्षा तक लड़के, लड़कियों के लिये निःशुल्क शिक्षा की है। इसके लिये भी हम अपनी सरकार के आभारी हैं। लेकिन मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करूं कि जिन बेसिक प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों पर शिक्षा की बुनियाद आधारित है उनकी वेतन वृद्धि कम से कम दस रुपये की जानी चाहिये और हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा की जानी चाहिये। मान्यवर, मैं इस जन प्रिय सरकार से यह आशा करती हूं।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से दूसरा निवेदन यह करना चाहती हूं कि गांव-गांव में बेसिक प्राइमरी स्कूल खोले जायं। दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह गांवों के बीच में एक, एक जूनियर हाई स्कूल खोला जाय जिससे १ से ५ कक्षा तक बालक बालिकाएं अपने गांवों में शिक्षा प्राप्त कर सकें और ६ से ८ कक्षा तक की शिक्षा अपने पड़ोसी गांव से।

मेरा यह भी नम्र निवेदन है कि झांसी गर्ल्स इंटर कालेज में साइंस की कक्षाएं शीघ्र खोलें। झांसी गर्ल्स इंटर कालेज में साइंस कक्षायें न होने से अमीर घराने की बालिकाएं तो इधर-उधर जाकर साइंस की शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं लेकिन गरीब घराने की बालक बालिकाएं साइंस की शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।

[श्रीमती बेनीबाई]

मान्यवर, चौथा मेरा नम्र निवेदन माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा यह है कि पिछले वर्षों में झांसी जिले के निवासियों के अथक परिश्रम से झांसी में एक बुन्देलखन्ड डिग्री कालेज खोला गया था और वह डिग्री कालेज आज बड़ी अच्छी हालत में चल रहा है। लेकिन मान्यवर, दुर्भाग्य है उन डिग्री कालेज के विद्यार्थियों का जिनके लिये कि आज तक वहां होस्टल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिये मान्यवर, उस कालेज में पढ़ने के लिये आने वाले छात्रों को शहर में मकानों के लिये एक बहुत बड़ी जटिल समस्या का सामना करना पड़ता है, अव्वल तो मकान मिलते ही नहीं हैं अगर मिलते भी है तो एलाटमेन्ट से मिलते हैं लेकिन उसमें भी कभी मकान मालिक कमिश्नर के यहां रिवीजन दाखिल कर देता है, कभी मुन्सिफी से स्टे आर्डर ले आता है और कभी हाई कोर्ट में रिट कर देता है। मकान मालिक अगर प्राइवेट तौर पर उन्हें किराये पर मकान देते हैं तो मनमानी किराया लिया करते हैं। इसलिये मान्यवर, उनका चार साल का डिग्री कालज का समय गुजरना भार-स्वरुप हो जाता है। मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगी कि बुन्देलखन्ड डिग्री कालज के लिये होस्टल की व्यवस्था शीघ्र की जानी चाहिये।

मान्यवर, पांचवा मेरा नम्र निवेदन माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके द्वारा यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मऊरानीपुर में गत वर्ष लड़कों के लिये एक नार्मल स्कूल गत जुलाई में खोला गया था, लेकिन अब यह सुना जा रहा है कि अब वह नार्मल स्कूल सरकार ललितपुर ले जा रही है। मेरा आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि वह नार्मल स्कूल उस पिछड़े हुए एरिया से न हटाया जाय और जो सरकार ने ललितपुर में नार्मल स्कूल के लिये बिल्डिंग बनवाई है उसमें गर्ल्स नार्मल स्कूल खोल दिया जाय जो कि मान्यवर, पिछले वर्ष झांसी के लिये स्वीकार भी हो चुका था, लेकिन इमारत न मिलने की वजह से नहीं खोला गया था।

मान्यवर, इसके बाद छठवां मेरा नम्र निवेदन आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह है कि गैर सरकारी कालेजों के शिक्षकों को सरकारी कालेजों के शिक्षकों के बराबर मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाता है। इस समय जो मंहगाई भत्ता गैर सरकारी कालेजों के शिक्षकों को दिया जा रहा है वह औसतन लगभग सात या आठ रुपये कुल पड़ता है जबकि सरकारी कालेजों के शिक्षकों को औसतन लगभग तीस या पैंतीस रुपये पड़ता है। मेरा मान्यवर, आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये आवश्यक है कि गैर सरकारी कालेजों के शिक्षकों को सरकारी कालेजों के शिक्षकों के बराबर मंहगाई भत्ता दिया जाय जिससे कि शिक्षकों की आर्थिक कठिनाइयां दूर हो सकें और समाज में जो एक विषमता की भावना है वह भी दूर हो सके। मान्यवर, एक समान कार्य के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि उनको वेतन भी समान दिया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हुई माननीय शिक्षा मंत्री जी को पुनः आपके द्वारा बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि जो बातें मैंने आदरणीय सदन के समक्ष रखी हैं उन पर माननीय शिक्षा मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक गौर करने की कृपा करेंगे।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चन्द्रजीत यादव जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जिस समय हमारे शिक्षा-शास्त्री वर्तमान शिक्षा मंत्री जी बजट को पेश कर रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी शिक्षा संस्था का कोई वार्षिकोत्सव, कोई जलसा हो रहा है और उसमें उसकी रिपोर्ट वह पेश कर रहे हैं। इस आदरणीय सदन में यह कहना कि हमने इतना रुपया बढ़ा दिया और यह यह कार्य किया, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं मालूम पड़ता। जहां तक मैं समझता हूं हमारी शिक्षा का १२ वर्षों का पिछला इतिहास देखा जाय तो वह असन्तोष, असफलता और अनुशासनहीनता का इतिहास रहा है। जहां तक असन्तोष का सवाल है

असन्तोष अध्यापकों में बढ़ा है। असफलता और अनुशासनहीनता का जहां तक सवाल है वह हमारे विद्यार्थियों में बढ़ी है।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं एक दर्पण पेश करना चाहता हूं जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री देखें कि आया पिछले बारह वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है या नहीं? सन् १९४७ के छात्र और अध्यापक के रिश्ते को अगर देखा जाय तो एक अध्यापक के पीछे २० विद्यार्थी थे और आज एक अध्यापक के पीछे ४० विद्यार्थी हैं। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि नये स्कूल बहुत से खोले गए। अंग्रेजी जमाने में जितने राजकीय विद्यालय थे उसमें एक या दो की वृद्धि तो हुई होगी मगर ज्यादातर विद्यालय प्रदेश में समाजसेवकों के द्वारा खोले गए हैं। मैं तो चाहता था कि मंत्री जी बताते कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में हम कहां पर हैं। लेकिन उन्होंने नहीं बतलाया, इसलिये मुझे यह आवश्यकता पड़ी कि मैं बताऊं।

मान्यवर, आज यू० पी० में केवल १७.५ फीसदी लिटरेसी है, बम्बई में ३९ फीसदी, मद्रास में २३.१ फीसदी, पंजाब में २० फीसदी, वैस्ट बंगाल में २६ फीसदी, ट्रावन्कोर कोचीन में ५८ फीसदी है, और और प्रदेशों के आंकड़े मेरे पास हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में आज १७.५ फीसदी है। जो हमसे पिछड़े हुए प्रदेश हैं वे हमसे कहीं आगे हैं।

मान्यवर, बजट का जहां तक प्रश्न है मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे प्रदेश जो पिछड़े हुए हैं वहां हमसे ज्यादा खर्च होता है। यू० पी० में बजट का १३ फीसदी खर्च होता है एजूकेशन बजट पर। बम्बई में १८.९ फीसदी, मध्यप्रदेश जहां ऐग्रीकल्चरल इकोनामी है और लोग गांवों में रहते हैं १९.५ फीसदी, हैदराबाद में १६.९ फीसदी, बिहार में १६.१ फीसदी और राजस्थान जो हमसे बहुत पीछे रहा है वहां २१.३ फीसदी और केरल में ३७.१ फीसदी। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस चीज में प्रगति हुई है? सिर्फ नये स्कूल खोलने से ही प्रगति नहीं होती। प्रगति हुई है इसमें कि ४१ फीसदी बच्चे पास होते हैं और ५९ फीसदी फेल होते हैं।

मान्यवर, संविधान के आर्टिकिल ४५ में लिखा है जिस दिन से यह संविधान लागू होगा उसके १० साल के बाद १४ साल तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा होगी। क्या आपने इसको पूरा किया है? साथ ही आर्टिक्ल ४६ में लिखा जाता है– यह सरकार नारा तो बहुत लगाती है कि हरिजनों और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को मुफ्त पढ़ाया जायगा, मैं जानना चाहता हूं कि थारू, बोक्सा और जो हरिजनों के बच्चे हैं उनके कितने बच्चों को स्कूलों में ले जाया गया?

मेरे पास अन्य देशों के भी कुछ आंकड़े हैं। इंग्लैन्ड में एजूकेशन ऐक्ट १९४० में लाया गया और वहां एजूकेशन कम्पलसरी और फ्री है। फ्रांस में सन् १९४७ और १९५४ के बीच में कम्पलसरी और फ्री एजूकेशन कर दिया गया है। रूस में कम्पलसरी एजूकेशन है। हमारे देश में काश्मीर में जो हमारे यहां का बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है वहां फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन है। लेकिन हमारे यहां आज क्या हालत है?

इस बजट में कहा गया है कि २४ हजार नये स्कूल खोले जायंगे लेकिन क्वान्टिटी बढ़ा देने से ही क्या शिक्षा में तरक्की होगी या क्वालिटी के बढ़ाने से होगी।

शिक्षा मंत्री जी यह कह रहे थे हमारा एम बेसिक एजूकेशन बढ़ाने का है। मैं उनकी सेवा में पिगट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। पिगट कमेटी सन् १९१३ में बैठी थी और सन् १९११-१२ में हमारे राष्ट्रनायक गोखले जी ने एक प्रस्ताव रखा था और १९१३ में उस कमेटी ने यह कहा था कि हम फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन कर दें। संविधान ने भी यही रखा। लेकिन मैं कहता हूं कि यह न करके आज संविधान का अवमान किया गया है। पिगट के जमाने में थ्री आर्स (3 Rs.) रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक तक ही सीमित था। उन्होंने कहा था

[श्री प्रताप सिंह]

कि दरजा ५ तक का पास आदमी पटवारी बनाया जाय लेकिन आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इस काम को नहीं कर सकता।

गांधी जी ने बेसिक एजूकेशन का नारा दिया। मैं यह चुनौती देता हूं कि एक भी बेसिक स्कूल वे इस प्रदेश में बता दें जहां गांधी जी की कल्पना की एजूकेशन हो। बेसिक स्कूल्स में क्या होना चाहिये? अगर वर्ष, महीने, दिन पढ़ाया जाय तो केवल किताब से नहीं पढ़ाया जायगा उसको दरख्त दिखाये जायेंगे या उंगलियों से भी गिनाया जायगा, अगर गेहूं पढ़ाना है तो उसे बीघा, मन और बांट भी बता दिया जायगा, अगर उसे हंसिया बताना है तो रानीगंज जहां होगा वह बताया जायगा और उससे संबंधित हिन्दुस्तान का नक्शा भी उसके सामने लाया जायगा। कालीन के बारे में बताया जायगा तो मिर्जापुर, और बैलों के बारे में बताना है तो हरियाना सारी चीजें उसे बतायी जायंगी। उत्तर प्रदेश नहीं, लखनऊ में ही वह बता दें, कि किस बेसिक, स्कूल में इस तरह से पढ़ाया जाता है। मैंने बहुत से स्कूलों को श्रीमन्, देखा है। मैं गरबियांग में ७ अक्तूबर को गया था। वहां मैंने देखा कि बेसिक स्कूल की इमारत पर छत नहीं है।

बेसिक शिक्षा का क्या मकसद है उसके समझने के लिये आपके पास कोई पैमाना नहीं है। सरकार उस बेसिक शिक्षा के मकसद को नहीं समझ पाई है। जिस एरिया में चीन के हमले की तैयारी हो रही है उस एरिया के लिये हमने यहां पर मंत्री जी से कहा कि मैं ७ अक्तूबर को वहां पर गया था और देखा कि स्कूल की छत नहीं है, लेकिन मंत्री जी यहां पर जवाब देते हैं कि स्कूल की छत बना दी गई है किन्तु मैंने देखा है कि वहां पर कुछ नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि पिगोट का जो तरीका था वह तो उसका था लेकिन महात्मा गान्धी ने जो बेसिक शिक्षा का मकसद बतलाया था उसको भी यह सरकार यहां पर सफल नहीं कर पाई है। तो फिर मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर क्या उसका मकसद है?

आज विश्वविद्यालयों के अन्दर बड़ी उम्मीद के साथ लड़के पढ़ने जाते हैं। उनके माता-पिता यह आशा करते हैं कि विश्वविद्यालय से निकल कर हमारा लड़का डिप्टी कलेक्टर बनेगा गा और जवाहर लाल बनेगा लेकिन वे विद्यार्थी वहां से निकलकर लखनऊ और नैनीताल की सड़कों पर जब घूमते हैं तो अपने को रिक्शा चलाने वालों से भी गिरा हुआ मानते है। आज के ग्रेजुएट की हालत अच्छी नहीं और वह निराश है। रिक्शा वाला अपनी बीबी का पालन पोषण कर सकता है लेकिन वह ग्रेजुएट नहीं पाल सकता है। उसको आज बहुत असन्तोष है। अखबारों में मंत्री जी ने पढ़ा होगा कि लोग खुदकशी करते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। आज हमारे नौजवान नहीं सोच सकते हैं कि वे किधर जायं। उनके लिये सरकार ने साइकालाजिकल ब्यूरो की स्थापना भी की। उसमें भी यही होता है कि जो लड़का जिधर रुचि रखता है, भेजा जाता था। पर आज जो बायलाजी पढ़ता है उससे कहा जाता है कि तुम अर्थमेटिक लो। जो लड़का अर्थमेटिक पढ़ता है उससे कहा जाता है कि तुम इतिहास लो। यदि इस तरह से बच्चों के लिये कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा तो फिर देश की तरक्की कैसे हो सकती है यह समझ में नहीं आता।

अंग्रेजों ने नार्मल स्कूल चलाये और सी० टी० और एल० टी० पढ़ाई का यहां पर प्रबन्ध किया लेकिन अब उनकी हालत भी क्या है? सभी इस बात को जानते हैं कि टीचर वहीं होता है जिसको कहीं जगह नहीं मिलती है और उसकी रोजी का कहीं प्रबन्ध नहीं होता है। लेकिन फिर भी उनके लिये सी० टी० या एल० टी० का प्रबन्ध नहीं हो पाता है और साथ ही उनको ट्रेनिंग उस तरह की नहीं मिलती जो कि देश के लिये आज जरूरी है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि आज जो नार्मल कालेज है उनको आप राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनायें जिससे लोगों की उस तरफ अधिक रुचि हो। J. T. C. व C. T. के स्थान

पर इन्टरमीडिएट एजूकेशन को इस तरह से रखें कि उस तरफ ज्यादा तादाद में लोग जायं और वहां से निकलने पर किसी काम में लगे। जब आपकी शिक्षा ही उद्देश्यविहीन है तो फिर बेचारे टीचर क्या करें।

आज हालत यह हो गई है कि मास्टर, पटवारी और पुलिस के सिपाही में कोई फर्क नहीं रह गया है और लोग नहीं समझते है कि इनमें कौन बड़ा है। इसका जवाब यही होता है कि पुलिस का सिपाही बड़ा है। अध्यापकों को वह सम्मान और वेतन नहीं मिलता है जो सिपाही या पटवारी को मिलता है। अध्यापक को उतनी भी तनख्वाह नहीं मिलती है जितनी की दरोगा के घोड़े को मिलती है। जो भाई हमारे म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं उनके बराबर भी टीचरों को वेतन नहीं मिलता है। तो फिर किस तरह से वे हमारे देश में भावी नागरिकों का निर्माण करेंगे? मुझे अफसोस है कि सरकार की ओर से प्रारम्भिक शिक्षा की इतनी उपेक्षा की जा रही है।

हमारे भाई नवलकिशोर जी ने कहा था कि कमेटी बना दो। मैं उस कमेटी के बिलकुल खिलाफ हूं। कमेटी का मतलब यही होता है कि उस काम में देर कर दो। आपके यहां एक्सपर्ट मौजूद हैं। उनके जरिये से सदन में बिल लाया जा सकता है। उसमें नीचे के स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक का संबंध जोड़ा जा सकता है किन्तु यहां पर तो भेद भी स्कूलों में बहुत बरता जाता है। जब तक एक मिनिस्टर का लड़का, एक एम० एल० ए० का लड़का या बड़े अधिकारी का लड़का अलग स्कूल में पढ़ेगा और छोटे बड़े स्कूल का भेदभाव रहेगा तब तक अध्यापकों में सुधार नहीं हो सकता है। जब विधान सब के लिये है तो सब स्कूलों में समभाव से व्यवहार होना चाहिये और बराबर ही फीस होनी चाहिये जो कि छोटा आदमी भी दे सके। मैं तो यहां तक कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितनी कमिश्नरी हैं सब जगह विश्वविद्यालय हों ताकि किसी को शिकायत न रहे। पन्त जी चल गये। सरकार ने क्या किया? रैमजे अस्पताल का नाम पन्त जी के नाम रखा जा रहा है। आज तो जरूरत इस बात की है कि नया कोई टैक्निकल स्कूल वहां पर खोला जाय और उसका नाम पन्त जी के नाम पर रखा जाय।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि टेक्निकल एजूकेशन की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। आज वाइस चांसलर आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अफसरों को बनाया जा रहा है इसलिये कि उनके ही बच्चे वहां पढ़ें। यही बातें अगर रहीं तो हम बहुत पीछे ही रह जायंगे। आप दूसरे देशों की ओर देखें, इंगलैन्ड में आज ९० फीसदी विद्यार्थी जनता द्वारा चलाये गये स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन यहां जब हम डेफिसिट ग्रान्ट की मांग करते है और एजूकेशन कमेटी कहती है कि अगर आमदनी और खर्च ज्यादा है, तो वह कमी सरकार पूरी करे, तो हमारे यादव जी सरकार की तरफ से जवाब देते हैं कि हमारे पास तो रुपया ही नहीं है, दें कहां से। जनता के हाथ में जितने स्कूल हैं उनकी कमी को सरकार को पूरा करना चाहिये। मैं भी दो स्कूलों का संचालन करता हूं और जानता हूं कि उनमें किस प्रकार की कठिनाइयां पेश आती हैं। इंटरमीडिएट ऐक्ट पास हुआ और उसके हिसाब से जितनी लोगों ने मांग की क्या उसे आपने पूरा किया? अगर नहीं पूरा किया तो उसका क्या कारण है? माध्यमिक शिक्षक संघ ने मांग की है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ायी जायं। आज जरूरत नहीं है कि यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की तनख्वाहें बढ़ायी जायं, प्राइमरी स्कूल के मास्टर की तनख्वाह आज बढ़नी चाहिये और मेरा सुझाव है कि उनकी बेसिक तनख्वाह १०० रुपया होना चाहिये। आज आप किसी अपर स्कूल के मास्टर को देखिये, ऐसा लगता है कि जैसे वह टी० बी० का मरीज हो। वह आज परेशान है। वह कैसे अपने देश के भावी नागरिकों का उत्तरदायित्व से निर्माण कर सकता है? मेरा सुझाव है कि इन सब बातों को पूरा करने के लिये एक कम्प्रीहेन्सिव बिल लाया जाय।

[श्री प्रतापसिंह]

दूसरे, इंटरमीडिएट बोर्ड को समाप्त करने की बात तो मैं नहीं कहता लेकिन हमारे प्रदेश में बहुत से जिले ऐसे हैं कि जो हालैन्ड और स्विटजरलैन्ड के बराबर है एरिया में और इस लिये इंटरमीडिएट बोर्ड के तत्वावधान में डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन बोर्ड बनाये जाने चाहिये ताकि वह अपना कार्य अलग रख सके। ऐसा नहीं होना चाहिये कि अगर लखनऊ में जनवरी में इम्तहान हो रहा है तो जनवरी में ही नैनीताल में इम्तहान किया जाय। यह परिपाटी अंग्रेजों के जमाने से चल रही है, इसको अब समाप्त होना चाहिये। इसके अलावा ट्रेनिंग कालेजों को समाप्त किया जाय और इंटरमीडिएट कालेजों को डिग्री कालेज जहां जरुरत हो, बनाया जाय। बार्डर एरिया में जितने भी स्कूल हैं, मैंने देखा है कि उनके पास पूरा सामान नहीं है। नक्शे तक उनके पास नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनके लिये आप कब व्यवस्था करेंगे? दूसरे, पीलीभीत में ६ इंटरमीडिएट कालेज हैं, लेकिन डिग्री कालेज वहां खोलने के लिये कोई सहायता सरकार नहीं दे रही है। वहां थोड़ा रुपया जमा है। सरकारी सहायता उसके लिये मिलनी चाहिये। इसके अतिरिक्त बैकवर्ड में सरकार केवल हरिजनों को ही समझती है, लेकिन उसमें थारू और बोक्सा भी आते हैं। मेरी डाइरेक्टर साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि आप एजूकेशन कोड के हिसाब से स्कूल रिकग्नाइज करा लें तो हम ग्रान्ट दें। मेरा सुझाव है कि आपको एजूकेशन कोड की इस धारा को इन लोगों के लिये सस्पेन्ड करना चाहिये और जिन स्कूलों को ये चलाते हैं उनको मदद मिलनी चाहिये।

अन्त में यह निवेदन करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा सुधरे, तो उसके लिये अब्राहम लिंकन ने कहा था कि हाई स्टैन्डर्ड आफ मास एजूकेशन होना चाहिये। हमारे बुजुर्गों की शिक्षा का आपने क्या इन्तजाम किया है? हर कमिश्नरी में एक जनवादी जन-विद्यापीठ होना चाहिये जैसा हल्द्वानी में खुल गया है जिसमें हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो अनपढ़ है, वे शिक्षा पा सकें और जनतन्त्र को चलाने में सहायक हो सकें।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज की शिक्षा का संबंध हमारी रोजाना की जिन्दगी से नहीं है। अगर इस उद्देश्य से आपने शिक्षा नहीं चलायी तो जो २४,००० स्कूल आप खोल रहे हैं उनका कोई लाभ न होगा। अच्छे नागरिकों के लिये आपको उनमें अनुशासन की ओर खास ध्यान देना होगा। ट्रेनिंग कालेज में पहले ४०० विद्यार्थी थे तो एक प्ले ग्राउन्ड था, आज ६,००० विद्यार्थी हैं तो भी एक प्ले ग्राउन्ड है। उनकी एक्टिविटीज की ओर आप कोई ध्यान न दें और कहें कि वे अनुशासनहीन हो रहे हैं, यह क्या है? आज हमारा ग्रेजुयेट सोचता है कि बी० ए० एम० ए० पास करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा।

मैं तो कहता हूं कि टैक्निकल एजूकेशन की ओर ध्यान दिया जाय और जो यह कहा जाता है कि इन्जीनियर्स की कमी है, डाक्टरों की कमी हैं, उसको पूरा किया जाय। आज यह एजूकेशन बहुत मंहगी है, गरीबों के लड़के उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। केवल बड़े-बड़े आदमियों के लड़के ही उस शिक्षा को पा सकते हैं। इसलिये इस शिक्षा को सस्ता कीजिये और आज जो बड़े-बड़े आदमियों के लड़के अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, छोटे-छोटे आदमियों के लड़के अलग, इस चीज को बन्द कीजिये, तभी आपकी शिक्षा में सुधार होगा और देश का सुधार होगा। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू यह कहते हैं कि पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ाया जाय, मगर उनको इसका तर्जुबा नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि आप इन बातों पर गम्भीरता के साथ विचार करें, जिससे शिक्षा का संचालन सुचारु रूप से हो सके।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत मजकूर हूं कि आपने आज मुझे इस महत्वपूर्ण ग्रान्ट पर बोलने के लिये अवसर दिया। असल में यह ग्रान्ट बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रान्ट है और भवन में लोगों ने मुखतलिफ राय इस सम्बन्ध में रखी है और उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। मेरे कुछ दोस्तों का कहना यह है कि शिक्षा की जो पद्धति है,

जो मौजूदा सिस्टम है, उसमें बुनियादी तौर पर तब्दीली की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का मामला इतना नाजुक है कि अगर हम बिला कुछ सोचें समझे, जल्दी में आकर, इसके सिस्टम में कुछ तब्दीली कर दें और खुदानखास्ता वह हमारी जरूरतों के मुताबिक साबित न हुआ और उससे जो हम फायदा चाहते थे वह न हुआ तो शिक्षा की हिस्ट्री में उससे ज्यादा बुरा काम और नहीं होगा।

श्रीमन, वैसे कहने के लिये तो आजकल का फैशन हो गया है और तरह-तरह की बातें कही जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि १०वीं क्लास तक की शिक्षा में टेक्निकल शिक्षा को शामिल कर दिया जाय। मोटे तरीके पर यह चीज जरूर अच्छी मालूम होती है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस चीज पर गौर किया जाय और गौर से देखा जाय तो यह चीज बड़ी नुकसानदेह साबित होगी। जहां तक मैं समझता हूं इससे ज्यादा गलत बात और नहीं होगी कि हम छठी कक्षा से टेक्निकल शिक्षा को शुरू कर दें। यह सही है कि हमें टेक्निकल शिक्षा की जरूरत है और यह भी सही है कि बहुत सारे मामले टेक्निकल एजूकेशन से ही आज हल होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यह ठीक नहीं समझता कि हम आज की एजूकेशन के साथ-साथ, साइड बाई साइड टेक्नीकल एजूकेशन को भी लागू कर दें। इससे फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। यह तो ठीक हो सकता है कि टेक्निकल स्कूलों की तादाद बढ़ा दें, लेकिन यह ठीक नहीं होगा कि उसे आज की एजूकेशन के साथ-साथ जारी करें।

यह भी कहा गया कि हमें शिक्षा के मामले में सोशलिज्म की थ्योरी को इन्ट्रोड्यूस कर देना चाहिये। क्या नावेल आइडिया है? हमारी समझ में नहीं आया कि यह हो कैसे सकता है? हम कैसे इसे कर सकते हैं? आजकल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इकोनामिक्स पढ़ाई जाती है, और उसके साथ हम सोशलिज्म की थ्योरी को कैसे इन्ट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने बराबर ४८ घंटे तक यह सोचा कि हम हिस्ट्री के साथ सोशलिज्म को कैसे इन्ट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका इससे तो कोई सम्बन्ध है ही नहीं। कुछ लोगों का खयाल है कि यूनिवर्सिटियों में जो आज इन्डिसिप्लिन है वह अगर हम सोशलिस्टिक तरीके से शिक्षा दें, तो दूर हो सकता है। किन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आती है और यह भी एक सुझाव किसी साहब का था कि जब हम यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देते हैं गवर्नमेन्ट की तरफ से तो उनकी आटोनामी भी थोड़ी कर्व कर देनी चाहिये। मैं नहीं जानता कि क्या अन्दाजा और क्या कनसेप्शन उन यूनिवर्सिटीज के बारे में उन लोगों का है। यूनिवर्सिटीज हमेशा से फ्री रही हैं और आइन्दा हमेशा फ्री रहेंगी और अगर उनकी आटोनामी को किसी हद तक हम महदूद करने की कोशिश करेंगे तो वह हमारे दुर्भाग्य का दिन होगा।

जहां तक इनडिसिप्लिन का ताल्लुक है, उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि जितने टीचर्स की हमें जरूरत है तालीम देने के लिये यूनिवर्सिटीज में, उतने नहीं दिये जाते हैं, कम दिये जाते हैं। ज्यादा लड़के एक टीचर के सामने होते हैं। दूसरे, हम जो सेलेक्शन टीचर्स का करते हैं वह उम्र के लिहाज से नहीं करते। जहां काब्लियत का लिहाज रखना है, वहां उम्र का भी लिहाज रखना है कि यूनिवर्सिटी के लड़कों को तालीम देने के लिये किस उम्र का होना चाहिये।

इसके अलावा बेसिक एजूकेशन के मुताल्लिक बहुत-सी बातें कही गईं, लेकिन अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने बेसिक एजूकेशन में डिफेक्ट्स निकाले हैं, और बतलाये हैं, उन्होंने न तो यह बतलाया, कि न किताब लिखकर न दूसरे मौके पर, कि आखिर पहली, दूसरी, और तीसरी चौथी कक्षा के लड़कों को किस किस्म की बेसिक एजूकेशन दें। जो पैटर्न आज स्कूलों में चालू है बेसिक एजूकेशन का, उसमें इम्प्रूवमेन्ट की गुन्जाइश है, यह बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन यह कहना कि वह फायदेमन्द नहीं है,या दूसरी तरह की एजूकेशन किस तरह से देनी है, यह मेरी समझ में नहीं आता कि टेन्डर एज के बच्चों को और क्या देना है।

[श्री खूब सिंह]

खेल तमाशे के जरिये से उनको तालीम देना, उनके दिल को बहला रखना, जिससे उनके दिमाग पर प्रेशर न पड़े और सीखते चले जायें ऐसी बेसिक एजूकेशन से फायदा है और होता रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात का अफसोस है और उसमें हमारा गुनाह भी शामिल है, हम उससे बरी-उल-जुम्मा नहीं हैं, वह यह कि जहां तक हायर सेकेंडरी एजूकेशन का ताल्लुक है, जो कमेटीज हैं, जो अपने कालेजों और हायर सेकेंडरी स्कूलों को चलाती हैं उनके अख्तियारात को गुजिश्ता डेढ़ साल के अन्दर हमने महदूद कर दिया है और छीन लिया है। इस वजह से मैं समझा कि एक तरह से डिसेन्ट्रलाइज्ड तरीके को छोड़ कर सेन्ट्रलाइज्ड तरीका अपनाया है और मुकामी लोगों को, जो इंस्टीट्यूशन्स को चलाते हैं, उनकी आजादी को कट कर लिया है। वहां की जरूरत के लिहाज से, वहां की जो प्राब्लेम्स हैं उनको सामने रखकर वह ठीक तरीके से अपनी कमेटीज का इन्तजाम खुद नहीं कर पा रहे हैं, यह बहुत बड़ी कमी है और मैं इस हाउस के आनरेबल मेम्बर्स और गवर्नमेन्ट से इस बात की इल्तजा करूंगा कि वह इस चीज पर फिर से गौर करें। मेरा निजी खयाल है कि कमेटीज को पूरी आजादी अपने निजी मामलात को सही रखने के लिये दी जानी चाहिये और जो कमी की गयी है उसको खत्म कर देना चाहिए। और फिर से उन्हें पूरे अख्तियारात दिये जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहांतक ताल्लुक इस बात का है कि शिक्षा की दिशा में कितनी प्रगति की है, वह जाहिर है। कोई भी शख्स कहे कि हमारे सूबे में जितनी तरक्की करनी चाहिये शिक्षा की, उतनी नहीं की है, यह गलत है। जितने रिसोर्सेज हैं, उनके लिहाज से जो मुमकिन है वह हमने तरक्की की है और जो लोअर प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी तादाद, सेकेन्डरी स्कूलों की तादाद, डिग्री कालेजों की जो नये खुले हैं उनकी तादाद को अगर देखा जाय तो उससे पता लग जायगा कि अपने रिसोर्सेज के मुकाबले में काफी तरक्की की है और नंगी और भूखी स्टेट, जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, जोकि इकनामिकली बैकवर्ड है और कई नुकतेनिगाह से बैकवर्ड है, उसके अचीवमेन्ट्स कम अचीवमेन्ट्स नहीं हैं।

अलबत्ता यह बात जरूरी है कि जहां तक टेक्निकल एजूकेशन का ताल्लुक है हमें और अधिक स्कूल खोलने चाहिये क्योंकि जो आज तक हैं वे हमारी जरूरत के लिहाज से नाकाफी हैं। मैं सरकार से इल्तजा करूंगा कि इस मामले में अपने रिर्सोसिज को काम में लाकर टेक्निकल एजूकेशन की तरफ ज्यादा तवज्जह दे। इससे अनएम्पालयमेंट का मामला भी हल होगा, एक्जिस्टिंग स्कूलों पर जो प्रेशर है वह भी कम हो जायगा, डिसिप्लिन भी अच्छा हो जायगा, एजूकेशन भी अपने ढंग पर अच्छी हो जायगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे मिनिस्टर साहब, जो इस वक्त हाउस में मौजूद हैं इस तरफ तवज्जह देंगे।

जहांतक शिक्षा को लाजिमी करने का सवाल है जितनी जल्दी हो सके तीसरे प्लान के पीरियड में हमें हाई स्कूल तक लाजिमी शिक्षा कर देनी चाहिये। तवक्को यह थी कि दूसरे प्लान में पांचवी क्लास तक शिक्षा लाजिमी कर दी जायगी। लेकिन दुख है कि दूसरी प्लान खत्म हो गई लेकिन हम मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच पाये। इस रफ्तार को देखते हुये हमें मुश्किल मालूम पड़ती है कि तीसरी प्लान में हम १०वीं तक शिक्षा को अनिवार्य कर देंगे। बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिये और अगर हम इस कार्य को कर पाये तो हमारे प्राविन्स का बड़ा भला होगा।

दूसरी बात यह है कि बरेली में यूनिवर्सिटी की सख्त जरूरत है। बजाय दूसरे मुकामों के बरेली ज्यादा मौजू है, क्योंकि वह मेन रेलवे लाइन पर है, क्लाइमेट भी वहां की अच्छी है, उसके चारों तरफ काफी कालेजेज भी हैं। इसलिये हमारी सरकार को बरेली में यूनिवर्सिटी कायम करने का कदम उठाना चाहिये। इन अल्फाज के साथ मैं इस ग्रान्ट की ताइद करता हूं और कटमोशन की मुखालफत करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रजीत यादव ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, आज हमारे प्रदेश और देश में यह विवाद छिड़ा हुआ है कि हमारी शिक्षा कैसी हो। लेकिन मुझे दुख है कि यह सरकार १४ साल के बाद अभी तक यह निर्णय नहीं कर पाई कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर हमारी सरकार चल सके यह निर्णय हो जाय, तो उससे देश का और मौजूदा समाज का बहुत बड़ा कल्याण होगा। आज सरकार जनतन्त्र व समाजवाद के आदर्श की बहुत बात क ती है लेकिन वास्तव में यह समाजवादी सरकार तो है नहीं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आज हमारी शिक्षा प्रणाली जनतन्त्र और समाजवाद के अनुसार है? यदि नहीं है तो अब तक सरकार ने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया? इसी तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली न तो हमारी भावना के अनुकूल है और न जनतन्त्र के अनुकूल है, इसलिये इसपर भी सरकार को विचार करना चाहिये। आज की शिक्षा प्रणाली नवयुवक विद्यार्थियों को वह उत्साह नहीं दे पाती है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनको कोई रोजगार मिल सकेगा। शिक्षा समाप्ति के बाद वे दरवाजे दरवाजे भटकते फिरते हैं, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिये।

आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुराई पैदा हो गई है जिस पर विचार करना आवश्यक है। प्राइवेट स्कूलों की हालत को अगर देखा जाय तो सरकार उनको काफी अनुदान देती है लेकिन मुझे दो-चार स्कूलों के बारे में पता है कि वहां भी पोलिटिक्स के आधार पर टीचर्स रखे जाते हैं। अच्छे टीचर्स वहां नहीं रखे जाते। इसके साथ ही साथ हरिजन बच्चों के फर्जी नाम लिखे जाते हैं। एक दो स्कूलों के बारे में मैंने रिपोर्ट भी की है जिसकी जांच भी हो रही है। इस तरह से फर्जी काम करके सरकार से रुपये वसूल कर लिये जाते हैं। इसके अलावा फर्जी चपरासी दिखलाये जाते हैं। इसी तरह की कई चीजें हैं जिनकी वजह से मैनेजमेन्ट, अध्यापकों और विद्यार्थीयों में भेदभाव की प्रवृति पैदा हो गई है जिसका असर शिक्षा प्रणाली पर भी पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेरे दो-तीन सुझाव हैं जिन पर सरकार गौर करे और हो सके तो उसको लागू भी करे।

पहली बात तो यह कि प्राइवेट स्कूलों में जो अध्यापक रखे जायं उनका चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से हो। इसका नतीजा यह होगा कि स्कूलों में कोई पोलिटिक्स नहीं घुसेगी तथा नीची योग्यता के अध्यापक सोर्स की वजह से नहीं पहुंच सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि प्राइवेट स्कूलों में अध्यापकों को जो तनख्वाह दी जाती है वह भी सरकार द्वारा स्वीकृत तनख्वाह से कम दी जाती है मैनेजमेन्ट दस्तखत तो उनसे स्वीकृत ग्रेड के ऊपर ही करा लेता है, लेकिन अध्यापक के पास पैसा कम ही आता है। इसलिये सरकार को इस फर्जी कामों के ऊपर भी विचार करना है कि उनको किस तरह से बन्द किया जाय।

इसके अलावा परीक्षा लेने के तरीके में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एक ही क्लास के लड़कों की सारे प्रान्त में एक ही तरह की पढ़ाई नहीं होती लेकिन जब परीक्षा के पर्चे आते हैं तो सब के लिये एक ही तरह के होते हैं जिससे जिस विषय को वे पढ़ ही नहीं होते उसका जवाब नहीं दे पाते और इस तरह से वे फेल हो जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस परीक्षा प्रणाली को भी बदलना चाहिये और हर स्कूल के अन्दर विद्यार्थियों के दैनिक पढ़ाई, कार्यक्रम के उनके सामाजिक काम तथा शारीरिक कार्यों का लेखा-जोखा होना चाहिये और तभी उनकी परीक्षा को ठीक से आंक सकते हैं। इसी प्रकार आप देखें कि प्राइमरी शिक्षा के बारे में सरकार की जो नीति है, किताबों के वितरण की वह बहुत ही शोचनीय है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मन्त्री जी से जब यह प्रश्न किया जाता है तो कहते हैं कि यह सरकार अपनी गुटबन्दी को कायम रखने के लिये कुछ नहीं

[श्री ऊदल]

कर रही है और हम बिलकुल निर्दोष हैं। जो पहले की चीजें थीं उनकी ही नकल यह सरकार कर रही है और वह दोषों से बरी होना चाहती है। आज होता यह है कि लाखों रुपये की किताबें छपाई जाती हैं और यहां तक लोगों का फेवर किया जाता है कि एक-एक आदमी को ६—६ लाख का ठेका गत वर्ष में दिया गया है और ऐसे लोगों को दिया गया है जो उनके खास आदमी हैं। इसके सम्बन्ध में एक कमेटी बनी हुई है और एक सज्जन जिनका उस कमेटी से सम्बन्ध था उन्होंने अपने नाम से न लेकर अपनी बीबी के नाम से लिया और इस तरह की चीजें हर साल होती हैं और यह सरकार कहती है कि हम इस दोष से मुक्त हैं। मुझे मालूम है कि आगरा के जो सिटी कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट हैं। उनको इस साल एक लाख रुपये का ठेका किताबों का दिया गया है। आप जानते हैं कि किताबों के लिखने वाले दूसरे होते हैं, वह मजबूर होते हैं। उनकी आर्थिक हालत खराब होती है, वह किताब छपा नहीं सकते और उन की किताबें यह प्रकाशक लोग १००,२००,४०० रुपये में खरीद लेते हैं और गवर्नमेन्ट के लोगों से सौदा कर उनको छपाते हैं। यह सब सरकार की आंखों के सामने होता है। इसका फल यह है कि हमारे प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की और जूनियर हाई-स्कूलों के बच्चों की जो किताबें हैं वह बहुत मंहगी पड़ रही हैं। सरकार इस पर विचार करे। मेरा सुझाव है कि यह किताबें सरकार अपनी ओर से सस्ते मूल्य पर छपाकर बच्चों के लिये दे और जो उनके लिखने वाले लेखक हैं उनको सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया जाय ताकि वह सुन्दर-सुन्दर चीजों को लिख सकें।

इसके अलावा बहुत दिन से इस बात की मांग की जा रही है कि देहाती क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाय लेकिन सरकार हमेशा टालमटोल कर देती है और सारा धन शहरों की तरफ ही केन्द्रित होता जाता है। जिस बजट का मन्त्री जी ने हवाला दिया है उनसे मैं जानना चाहता हूं कि उसका कितना प्रतिशत शहरों के बच्चों के ऊपर व्यय हो रहा है और कितना हिस्सा देहात के बच्चों के ऊपर खर्च हो रहा है, इसको देखा जाय। सरकार की भेदभाव की नीति जैसी दूसरे हर क्षेत्र में है वैसी ही शिक्षा के क्षेत्र में है कि देहात और शहर के साथ भेदभाव बरता जाता है और इसका जितना भी विरोध किया जाय वह कम है।

इसी तरह से लड़कियों की शिक्षा के बारे में बहुत दिनों से मांग है कि उनकी शिक्षा बहुत ही कम है और देहात में उसकी बहुत जरूरत है। हमारे क्षेत्र में ४-५ स्कूल बहुत कोशिश के बाद गत वर्षों में खुले लेकिन आजतक एक जगह भी उनकी इमारत नहीं है। जैसा कि मेरे भाई श्री प्रतापसिंह ने अभी कहा कि प्रधान मन्त्री जी कहते हैं कि लड़कों को पेड़ों के नीचे पढ़ाना चाहिये तो हमारे यहां यही हालत है और जैसा कि माननीय देवी प्रसाद जी ने कहा कि अगर वहां की फोटो ली जाय तो स्कूलों की हालत यह है कि वहां अध्यापकों के पास न कुर्सी है, न मेज है और बच्चों के बैठने के लिये टाट तक की व्यवस्था नहीं है। मास्टर क्या करते हैं? मिट्टी का चबूतरा बनाकर बैठते हैं और धूल में पढ़ाते हैं। बच्चे बोरे और टाट के टुकड़े ले आते हैं। क्या यह असलियत नहीं है? जहां अंग्रेजों के जमाने में एक एक स्कूल में टाट और चौकियां दी जाती थीं क्या आपने उनको नष्ट नहीं कर दिया? बच्चे जो हमारे समाज की बुनियाद और रीढ़ हैं शुरू में ही उनके मनोबल को इतना गिरा देते हैं कि वह आगे बढ़ने का साहस नहीं करते। इसलिये सरकार को इधर ध्यान देने की आवश्यकता है।

हम अनुशासन की बात करते हैं। जब कोई सवाल होगा तो कहा जायगा कि विद्यार्थियों के अन्दर अनुशासनहीनता आ गई है। इस बात पर हम विचार नहीं करते कि शिक्षा का जो हमारा मौजूदा सिस्टम है जो हमारा ढांचा है, क्या उसके जरिये हम विद्यार्थियों को सही ज्ञान दे रहे हैं? जब तक शिक्षा नहीं मजबूत होगी तब तक अनुशासन नहीं आ सकता। अगर अनुशासन को मजबूत करना है तो शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। तभी हम देश के चरित्रबल को और अनुशासन को मजबूत कर सकते हैं।

आज नैतिकता का ह्रास होता चला जा रहा है । आज समाज में व्यक्तिगत चीज़ों को प्रधानता दी जाती है, व्यक्तिगत स्वार्थों को प्रधानता दी जाती है और सामूहिक कार्यों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। क्या सरकार ने कोई इस तरह का कार्यक्रम निर्धारित किया है कि यूनिवर्सिटीज में, कालेजों में या नीचे के स्कूलों में जिससे कि वहां विद्यार्थियों को इस तरह की शिक्षा दी जाय कि वह सामूहिक कार्यों की तरफ, सामूहिक स्वार्थों की तरफ, जनता के स्वार्थों की तरफ, प्रेरित हो सकें। मैं समझता हूं कि इस तरह का कोई कार्य नहीं किया गया है। उन्हें जो आज शिक्षा दी जा रही है, जो वातावरण वहां पैदा किया जा रहा है वह व्यक्तिगत स्वार्थ का है, व्यक्तिगत पदलोलुपता का है। इसलिये भी जरूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किया जाय।

जो हम जनतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था की बात करते हैं, जब तक हम उनके अन्दर इस तरह की प्रवृतियां भरेंगे नहीं तब तक देश का विकास नहीं कर सकते। आज नियोजन के युग में तमाम योजनायें चल रही हैं—विद्युत योजना, कृषि सुधार योजना और सिंचाई योजना वगैरह। तो मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या आज का विद्यार्थी या प्रोफेसर इन योजनाओं से परिचित है ? आज नियोजन के युग में हमारा एक-एक विद्यार्थी और एक-एक अध्यापक हमारी योजनाओं से परिचित होना चाहिये। उन्हें हमारे विकास के कामों से परिचित होना चाहिये जो कि हम हर क्षेत्र में करना चाहते हैं और उन्हें उन चीजों से परिचित होना चाहिये जो कि हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या इन सब चीजों के बारे में कोई पाठ्य–पुस्तिका तैयार हुई ? अगर कुछ प्रगति हुई भी होगी तो वह बहुत थोड़ी है वरना कोई कदम नहीं उठाया गया। इसलिये आज के पाठ्यक्रय में नियोजन और विकास की तमाम योजनाओं से सम्बन्धित, सामूहिक कार्यक्रम से सम्बन्धित, सहकारिता से संबंधित चीजों को रखा जाय और यूनिवर्सिटी से लेकर नीचे के स्कूलों तक उसे पढ़ाया जाना अनिवार्य किया जाय।

इसी तरह से अध्यापकों के बारे में मैं समझता हूं कि मौके दर मौके इस तरह के सेन्टर खोले जांय और उनको देश की वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान कराने के लिये शिक्षा दी जाय। उनके अन्दर अच्छे–अच्छे उपदेश कराये जांय ताकि अपने बच्चों के अन्दर अच्छी शिक्षा तथा अच्छा ज्ञान दे सकें। मैं कहता हूं कि सरकार इन बातों पर सोचे और सरकार ने जो वायदा किया था कि वह ८वीं क्लास तक फीस माफ कर देगी उससे उसे मुकरना नहीं चाहिये और जल्दी से जल्दी ८वीं क्लास तक की फीस उसे माफ करने की घोषणा करना चाहिये।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो शिक्षा के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपकी बहुत अभारी हूं। मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ी हुई हूं और विरोधी दल की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका विरोध करते हुये मैं मन्त्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहती हूं कि मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका १०वां हिस्सा महिलाओं के लिये रखा गया है, जबकि हम दोनों समान हैं। तो यह समझ में नहीं आया कि यह न्याय कहां तक है। फिर मैं देखती हूं कि गांव में जो लड़के मिडिल क्लास में पढ़े हुये हैं वे भी चाहते हैं कि वे भी शादी उस लड़की से करें जो पढ़ी-लिखी हो। इसको मद्देनजर रखते हुये मन्त्री जी ने बहुत कम बजट महिलाओं के लिये रखा है। लिहाजा उसमें वह ज्यादा से ज्यादा रुपया देने की कृपा करें।

दूसरे गांव के अन्दर हर प्रकार के आदमी रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज शहरों में ही खुल रही हैं। गांव में लोग इतने आगे बढ़ नहीं पाये हैं कि वे अपनी लड़कियों को यूनिवर्सिटीज या कालेजेज में शहर में बोर्डिंग में रख कर पढ़ा सकें। पढ़ाना आज कितना अनिवार्य हो गया है यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिये हर एक तहसील में महिलाओं

[श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी]

के लिये एक इन्टरमीडिएट कालेज अवश्य खोला जाय ताकि उसके इर्दगिर्द के लोग अपनी लड़कियों को सुविधा के साथ पढ़ा सकें ।

तीसरे, आज यूनिवर्सिटी के अन्दर लड़के और लड़कियों का एक साथ रख कर पढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ रहा है इसकी सभी को जानकारी है। लड़कियों के कालेज वैसे तो अलहदा जरूर हैं लेकिन साइन्स क्लासेज के लिये भी अलग से व्यवस्था होनी चाहिये।

माननीय मन्त्री को शायद प्राइमरी शिक्षा की हालत का ज्ञान कम हो लेकिन हम लोगों को तो रोजाना उनकी हालत देखने का अवसर प्राप्त होता है। जब नींव इस तरह से कमजोर हो तो इमारत कैसे मजबूत हो सकती है? भारत के जो नौनिहाल पेड़ों के नीचे बरसात, लू तथा गर्मी में पढ़ते हों, वे क्या यह महसूस कर सकते हैं कि उनका देश आजाद है? यूनिवर्सिटियाँ जो रोज नई-नई खुलती जा रही हैं उनकी तरफ थोड़ा कम ध्यान देकर प्राइमरी शिक्षा की हालत जो इतनी गिरी हुई है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देकर उसको आप सम्भालने की कोशिश करें ।

एक बात यह भी है कि शिक्षा का कोर्स इतना बढ़ता जाता है कि बच्चे उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। जितनी पुस्तकें होती हैं उनको आधा भी वे नहीं पढ़ पाते हैं और मास्टर भी नहीं पढ़ा पाते हैं। बीच से पेज छोड़ते जाते हैं और बच्चों को संकेत करते जाते हैं कि इसी में से आयेंगा पर्चे में। लेकिन बच्चे ने याद किया कुछ, और पर्चे में आया कुछ । इस तरह से साल भर की पढ़ाई खत्म हो गई। लिहाजा कोर्स में तब्दीली की जाय।

जितने मेडिकल कालेजेज हैं वे सब शहर में ही खोले जाते हैं। गांव के पास भी खुलें। इस तरफ भी माननीय मन्त्री जी ध्यान दें ताकि गांव के बच्चे भी उसमें पढ़ सकें। यदि आप कहें कि हमें वहां बिजली के साधन उलब्ध नहीं होंगे, तो जब आप गांव-गांव में बिजली ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो यह असम्भव नहीं होगा कि अगर आप वहां मेडिकल कालेज खोलें तो आप को बिजली न मिले। आज का रवैया यह हो गया है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते नहीं हैं बल्कि दोपहर को या शाम को, जब आप देखें, ३---४ लड़के और लड़कियां सिनेमा में मिलेंगे। अगर गांव के पास आप मेडिकल कालेज खोलेंगे तो न वहां उनको सिनेमा मिलेगा और न हजरतगंज की सैर मिलेगी। मैं आशा करती हूं कि ऐसा करने से एक तो हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बन सकेंगे और दूसरे पंचवर्षीय योजना में वे काफी सहायता दे सकेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि आज सरकार जगह-जगह अस्पताल खोलती जा रही है लेकिन डाक्टरों की बड़ी कमी रहती है। अगर देहातों के पास आप मेडिकल कालेज खोलेंगे तो जो लड़के और लड़कियां वहां शिक्षा पायेंगे वे गांवों में रहने से भी इतने ज्यादा भयभीत नहीं होंगे।

इसके अलावा मैं आपके द्वारा मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि आज महिलायें न जाने किस तरह से अपना गुजारा करते हुये अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल करती हैं, मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगी कि लेबर क्लास के बच्चों को दोपहर में पढ़ाने के लिये वे प्रबन्ध करें क्योंकि दिन में तो वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। उनसे अगर कहिये तो वह कहते हैं कि हमारे बच्चों को बच्चे वगैरह खिलाने पढ़ते हैं और मजदूरी वगैरह का काम करना होता है इसलिये हम पढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिये अगर मन्त्री जी लेबर क्लास के बच्चों को दोपहर में पढ़ाने का प्रबन्ध कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज की शिक्षा पद्धति में धार्मिक भावना बिलकुल खत्म होती जा रही है। आज यूनिवर्सिटी या स्कूलों से पढ़ कर लड़के और लड़कियां---- मैं महिलाओं की तरफ ही ज्यादा ध्यान देती हूं---धार्मिक भावना से बिलकुल दूर होती जाती हैं इसलिये पाठ्यक्रमों में कुछ ऐसी तब्दीली की जाय जिससे वे केवल अप-टु-डेट न हो करके

एक अच्छी गृहिणी बनें ताकि अपनी जिन्दगी को अच्छी तरह से बिता सकें। माताओं को शिक्षित करने के लिये ही पढ़ाया जाता है लेकिन आज पढ़ाई ऐसी हो गई है कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इससे तो न पढ़ाना ही अच्छा है । एक युग ऐसा था कि जब वीर अभिमन्यु यहां पैदा होते थे लेकिन आज अगर हम उनसे पढ़ाने के लिये कहते हैं तो वे कहती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिये लेबर क्लास के बच्चों की तरफ मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

इसके अलावा दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जो स्कूलों में इंस्पेक्ट्रेस होती हैं वे बहुत कम इंस्पेक्शन पर जाती हैं। साल में कम से कम दो बार उनको अवश्य इंस्पेक्शन पर जाना चाहिये। मेरे क्षेत्र में दो-एक स्कूल हैं। वहां सिर्फ इम्तहान के समय में मुआयना किया जाता है, बीच में कभी नहीं किया जाता। उनके जाने से मास्टरों का भी पढ़ाने की ओर ध्यान जाता है और यह भी मालूम होता है कि उनके ऊपर भी कोई अफसर है।

एक प्रार्थना मैं और करती हूं कि मन्त्री जी ने लड़कियों के लिये ८वीं कक्षा तक फीस माफ कर दी है लेकिन अगर १०वीं क्लास तक भी उनकी फीस माफ कर दी जाय तो भी मेरे खयाल में थोड़ा ही होगा। इसलिये मन्त्री जी कों महिलाओं की तरफ ज्यादा ध्यान देकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिये।

इतना कहते हुये मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। आज जो अनुदान सदन के समक्ष है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस विषय में कोई दो रायें नहीं हैं कि मानव जीवन में ५ चीजों की आवश्यकता होती है। भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। भोजन में तो रूखा सूखा, घी, दूध कुछ भी खालो काम चल जाता है। इसी तरह से वस्त्र भी मोटा, पतला मामूली और बढ़िया पहना जा सकता है और हर चीज में कमी की जा सकती है लेकिन शिक्षा वह चीज है कि जिसकी मानव समाज में बहुत आवश्यकता होती है। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा है कि बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान है। इसलिये यह अनुदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है और मन्त्री जी ने जो रुपया इसमें रखा है वह मेरी राय में बहुत कम है और उसको बढ़ाया जाना चाहिये।

अब यह कहा जाता है कि रुपया कहां से आये, रुपये की बहुत कमी है। हमारी जो नई योजनायें चल रही हैं, जब तक हम शिक्षा में पिछड़े हुये हैं तब तक इन योजनाओं से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिये इन योजनाओं में कमी करके जो जीवन के लिये आवश्यक चीज है उसमें अधिक खर्चे करें और उस कमी को पूरा करें। हमारे यहां समाज कल्याण पर सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है । समाजकल्याण समाज के कल्याण के लिये ही तो है और शिक्षा से भी देश और समाज का कल्याण होता है इसलिये समाज कल्याण के अनुदान को इसमें जोड़ दिया जाय तो मैं समझती हूं कि कमी पूरी हो जायगी। जो देश उन्नति करते हैं वह पहले अपने नागरिकों को बनाने के लिये ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इसलिये हमें पहले इस ओर ध्यान देना चाहिये और इसके बाद दूसरी लग्जरी की चीजों की ओर ध्यान देना चाहिये। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसमें अधिक से अधिक रुपया देकर शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाय।

इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा में बहुत उन्नति हुई है। प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, कालेजेज, विश्वविद्यालय तथा टेक्निकल स्कूल हमारे यहां बहुत से खुले हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां चतुर्मुखी उन्नति हुई है, लेकिन इनका जीवन पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। हम यदि कोई पेड़ लगाते हैं तो उसकी खूब देखरेख करते हैं और अच्छी खाद तथा पानी देते हैं जिससे पेड़ मजबूत और सीधा खड़ा हो।

[श्रीमती विद्यावती वाजपेयी]

इसी तरहसे हमारे बच्चे हैं। इनको अच्छा बनाने के लिये अच्छी देख-रेख प्रारम्भ में होनी चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षा हमारे लिए बड़ी उपयोगी है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। आज ३९ हजार प्रारम्भिक स्कूल हमारे प्रदेश में हैं और १९०० स्कूल खोलने की योजना ६१—६२ में है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो पुराने स्कूल हैं उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल तो शत प्रतिशत न सही तो ८० प्रति शत ऐसे हैं कि वहां बच्चे नहीं पढ़ सकते। ज्यादातर बच्चे स्कूल की चौपाल में बैठकर पढ़ते हैं। पहले पुराने स्कूलों की ओर ध्यान दिया जाय। उनकी दशा सुधारी जाय और इन पुराने स्कूलों में सारा सामान साज-सज्जा का होना चाहिये और मास्टरों की कमी नहीं होनी चाहिये। असल बात यह है कि हमारे जितने पुराने स्कूल हैं उनकी इतनी हालत खराब है कि मैं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टूटे हुये स्कूलों की एक फेहरिस्त बना कर ले आई हूं। मेरे क्षेत्र में ऐसे स्कूल हैं जिनमें बरसात के तीन-चार महीने तक बालक पढ़ने नहीं जाते हैं। जूनियर हाई स्कूल तक तीन-चार महीने बन्द पड़े रहते हैं। उन स्कूलों की मरम्मत और साज-सज्जा का प्रबन्ध होना चाहिये। अगर पुराने स्कूल गिरते गये और नये स्कूल आप खोलते गये तो हम जहां के तहां रह जायेंगे।

दूसरी बात यह है कि आज शिक्षा प्रणाली में बहुत दोष निकाले जाते हैं। कहा जाता है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। हमारे बच्चे आधे से ज्यादा फेल होते हैं। यह सब दोष इसी कारण हैं, कि हमारी प्रारम्भिक शिक्षा अच्छी नहीं हो पाती है। दूसरे, एक चीज यह कि हमारे अध्यापकगण पूरा मन लगाकर अध्यापन कार्य कर नहीं पाते हैं। उनका वेतन-क्रम इतना कम है कि जीवन व्यतीत करने के लिये मनुष्य को जितनी आवश्यकता होती है, उतना पैसा उनके पास नहीं है। अगर मनुष्य अपने खाने पीने की समस्या में उलझा रहेगा, अगर उसके पास अपने बच्चों के दवा-दारू, शादी विवाह के लिये पैसा नहीं होगा तो वह क्या पढ़ायेगा? ४०, ५० या ८० रुपये पाने वाले मास्टर बच्चों को क्या पढ़ायेंगे? लड़कियों की शादी में ही हजारों रुपया दहेज देना पड़ता है। वह इतना परेशान रहता है कि बच्चों की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं। वह इसी कोशिश में रहता है कि दो चार ट्यूशन ही मिल जायं जिससे दस बीस रुपया पैदा कर ले या दो चार बीघे खेत जोत ले तो पेट पालन हो जाय। जब तक, अध्यापक निश्चित हो कर बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देगा तब तक हमारी प्रारम्भिक शिक्षा अच्छी नहीं हो सकती है।

इसके अतिरिक्त वेतन-क्रम में बड़ी असमानता है। गवर्नमेन्ट और प्राइवेट स्कूलों के वेतन में बड़ा अन्तर है। मैं सरकार की तकलीफों को समझती हूं लेकिन हम दूसरी तरफ कटौती करें यानी जो बहुत तन्ख्वाहें पाते हैं, उनसे काट कर उनकी तंनख्वाहों को बढ़ायें। मास्टरों की तनख्वाहें ऐसी हैं कि चपरासियों के बराबर भी नहीं हैं। जो अध्यापकगण मनुष्य का निर्माण करते हैं उनकी तनख्वाह एक चपरासी के बराबर भी न हो, इस पर मंत्री जी ध्यान दें।

तीसरी बात यह है कि क्लास में बालक बालिकाओं की संख्या कम हो क्योंकि मास्टर अपना अटेंशन हर बच्चे पर नहीं दे पाता है। मास्टर से और कक्षा के हर बच्चे से सम्पर्क नहीं हो पाता है।

चौथी बात यह है कि स्कूलों में गार्डियन्स और अध्यापकों की महीने में कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिये ताकि माता-पिता को यह पता रहे कि हमारे बच्चे में यह कमी है, और वह उसको सुधारने की कोशिश कर सकें। अनुशासनहीनता का हमारे यहां बड़ा भारी प्रश्न मौजूद है। उसको दूर करने के लिये माता पिता और अध्यापकों में सम्पर्क होना चाहिये और वह तभी सम्भव है जब कि माता पिता और अध्यापक कभी-कभी मिल सकें। फारेन कन्ट्रीज में इस तरह की मीटिंग्स हुआ करती हैं। गार्डियन्स और टीचर्स की मीटिंग हुआ

करती हैं । विश्वविद्यालयों की बातें या उन बच्चों के फेल होने की बातें कही गईं। आपने तो लाल बत्ती अभी से जला दी.....

श्री उपाध्यक्ष--समय अब नहीं रह गया है ।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी--तो मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं कि उन्होंने बालिकाओं के लिये ८वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा कर दी है । लेकिन कैसे वह इस योजना को पूरा करेंगे यह हमारी समझ में नहीं आता है । लड़कियों और लड़कों के स्कूलों में इतना अन्तर है कि अगर लड़कों के कहीं पर दो सौ या ढाई सौ स्कूल हैं तो लड़कियों के दस बीस स्कूल हैं । मैंने आंकड़े इसके देखे नहीं हैं, यानी पता नहीं दसगुना पन्द्रह गुना या बीस गुना कितना अन्तर है, लेकिन इस पुस्तिका के पढ़ने से यह पता चला कि बहुत ज्यादा अन्तर है। तो किस तरह से निःशुल्क शिक्षा करने के बाद माननीय मन्त्री जी हमारी बालिकाओं को पढ़ायेंगे, यह हमारी समझ में नहीं आता है। इसके लिये ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के स्कूल खोले जाने चाहिये और ज्यादा से ज्यादा उनको सहूलियतें दी जानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त। माननीय होरीलाल यादव, आप पांच मिनट बोलेंगे और उसके बाद मुन्शी टीकाराम पांच मिनट लेंगे। फिर माननीय चन्द्रजीत यादव जवाब देंगे ।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--समय की कमी के कारण मैं बहुत विस्तार में न जाकर केवल अपने जिले की समस्याओं पर ही महदूद रहना चाहता हूं ।

मान्यवर, आज शिक्षा संस्थाओं और छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ शिक्षा स्तर में भी बहुत बड़ी तब्दीली आयी है । शिक्षा का ज्यों-ज्यों प्रसार होता गया वैसे वैसे उसका स्तर भी नीचे गिरता गया और असफल विद्यार्थियों की तादाद भी पूर्व अनुपात से बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई । उसका कारण यही है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स खुलते चले जा रहे हैं उनके अन्दर जो अध्यापक रखेजाते हैं उनकी सेवाओं की कोई समुचित गारन्टी नहीं रहती है और उनके जो प्रबन्धक होते हैं वह अनियमित तरीके से उनको निकाल देते हैं । इस कारण वह पूरे मन से वहां काम नहीं कर पाते हैं । यह सरकार इन संस्थाओं को अनुदान भी देती है लेकिन अपने फैसलों को उन पर लागू कराने में अपने को असमर्थ पाती है । जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मान्यवर, वहां पर एक जमुना प्रसाद गर्ल्स इन्टर कालेज है जहां एक हमारी बहन जी पढ़ाती थीं उनको अनियमित तरीके से निकाल दिया गया । उन्होंने अपनी दरख्वास्त, अपनी अपील विभाग में की। महीनों पड़ी रही, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । दर्जनों रिप्रिजेन्टेशन देने के बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई । आखिर में जब मैंने एक प्रश्न के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो उनके मामले पर आठ नौ महीने बाद सुनवाई हुई और उनको बहाल किया गया । प्रबन्धक को यह आदेश दिया गया कि आप इनको नौकर रखें और इतने दिनों की बकाया तन्ख्वाह भी इनको दें । लेकिन मान्यवर, आज तक भी उनको न नौकर ही रखा गया और न बकाया तन्ख्वाह ही उनको दी गई । यह हर जिले में जो विद्यालय निरीक्षक लोग रहते हैं वह इसलिये रखे जाते हैं कि वह अध्यापकों के हितों की रक्षा कर सकें । लेकिन मालम ऐसा पड़ता है कि वह भी प्रबन्धकों के साथ में एक पार्टी बन जाते हैं और इन आदेशों के पालन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता । मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस बहन की तनख्वाह दिलाई जाय और जो अनुदान उस संस्था को दिया जाता है उसमें से काटकर के उनको भुगतान किया जाय ।

इसके साथ ही साथ यह भी है कि जिले में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो जनता द्वारा संचालित होते हैं उनको मान्यता (रेकग्नीशन) देने में भी सरकार की तरफ से बड़ी भारी पार्टीबन्दी का इस्तेमाल किया जाता है । अगर वह स्कूल सरकारी दल के लोगों द्वारा संचालित नहीं हैं तो उनको स्थायी मान्यता नहीं मिलती है । हमारे क्षेत्र में और हमारे जिले में कम से कम

[श्री होरीलाल यादव]

आधे दर्जन ऐसे स्कूल हैं कि जो पिछले दस वर्षों से बराबर अच्छी तरह से चल रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या भी वहां बहुत काफी है, सभी तरह का प्रबंध भी वहां हो गया है, लेकिन आज तक स्थायी मान्यता सरकार उन्हें नहीं दे सकी। दूसरे, जो स्कूल वहां पर उनके मुकाबिले में सरकार की पार्टी के लोगों द्वारा संचालित हो रहे हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिये इन स्कूलों को मान्यता नहीं दी जा रही है ताकि उनको अनुदान न मिल सके और वे टूट जायं और जो स्कूल उनके दल के लोगों द्वारा चलाये जा रहे हैं वह चल सकें। ऐसी हालत में शिक्षा का प्रसार ठीक तरह से नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि ऐसे जो स्कूल कई वर्षों से अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बिना किसी पार्टीबन्दी के आधार पर कुछ सोचे हुए, उनको मान्यता मिलनी चाहिये और उनको भी वही सहूलियतें मिलनी चाहिये जो और संस्थाओं को मिलती हैं। मुझे एक बात यह भी कहनी है कि जो प्राइमरी स्कूलों की इमारतें हैं उनके लिये यह तरीका सरकार का है कि गांव पंचायतें कुछ रुपया लगाकार इमारतें बनाना शुरू कर दें तो सरकार उनको सहायता देती है। मेरे इलाके में कुछ स्कूलों के लिये जिला बोर्ड ने इस शर्त पर सहायता दो हजार रुपये देना स्वीकार किया। एक पंचायत ने ७-८ सौ रुपया लगा कर अपनी तरफ से इमारत बनाना शुरू किया। जब रुपया जिला परिषद् से मांगा गया तो टालमटोल किया गया और बीसों चक्कर लगाने के बाद जब सारे एतराज (आब्जेक्शंस) पूरे हो गये तो कह दिया कि फाइल गायब हो गयी। यह मेरे इलाके में सुरती पंचायत का वाकया है, माननीय मंत्री जी नोट कर लें। आज उसकी फाइल नहीं मिल रही है। माननीय मंत्री जी कृपया इस तरफ अवश्य देखें।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—मान्यवर, सिर्फ पांच मिनट हैं और मुझे पांच बातें ही कहनी भी हैं इतने में। पहली तो यह कि गांव के स्कूलों का समय, १० बजे दिन से ४ बजे तक का बदल दिया जाय और प्रातः ७ बजे से ११ बजे सुबह और २ बजे से ५ बजे शाम तक रखा जाय। आज क्या होता है कि ११ बजे तक मास्टर आये, दोपहर को १ घंटे की छुट्टी और फिर सोये और फिर ४ बजे समय खत्म। इसके अलावा देहातों में १० बजे काफी दिन चढ़ जाता है और गरमी काफी हो जाती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि पहले जैसा था वैसा ही अब देहातों में स्कूलों का समय पढ़ाई का कर दिया जाय।

दूसरी बात, बच्चों पर किताबों का बहुत बड़ा बोझ लाद दिया गया है और वह भी बार-बार तब्दील की जाती हैं। छोटे बच्चों की रीडर का दाम १० आने और शुरू में ही लिखा क्या है? "नानी आयी, पानी लायी"। मैंने बच्चों से पूछा "न" कैसा होता है तो उसने कहा कि "न" बाद को बताया जायगा। जब सारी किताब पढ़ लेगा तब। नतीजा यह है कि बच्चों को कुछ नहीं आता। पुराने ढंग पर आ जाओ, पहले 'अ, आ' पढ़ाओ।

इसके अतिरिक्त वहां क्या होता है। मिट्टी से खिलौना बन रहा है, सूत कताई सीख रहे हैं, चर्मकारी उनको सिखाई जा रही है, लेकिन यह तो बता दिया जाय कि चर्मकारी सीखकर कितने लोग उस पेशे की तरफ गये? सब नौकरी की तरफ भागते हैं। आपका सारा रुपया बेकार जाता है।

मेरी ९ बीघा जमीन खुद जूनियर हाई स्कूल कलरा (गलडिया) में लगी हुई है, लेकिन उस खेत में कोई हल चलाने वाले का इन्तजाम नहीं है। ६ सौ रुपया लगाकर बैलों की जोड़ी खरीदी हुई है। उन्हीं लड़कों को बैलों को खिलाना पड़ता है। अब वह छुट्टी में घर जायें या पढ़कर जानवरों को खिलावें? जब किसान जंगल से लौटता है और लड़का स्कूल में १२ बजे निराई करने जाता है तो उसका बाप कहता है कि हम तो घर चले और तुम निरावनी करने चले। यह दोपहर का वक्त है, बीमार हो जाओगे। तो मैं कहता हूं कि शहरों में खेती का काम सिखाइये। गांवों में तो ७५ फीसदी खेती जानते हैं, वहां कुछ और सिखाओ तो अच्छा है।

वक्त चूंकि खत्म हो रहा है इसलिये यह बात भी मैं कह दूं कि देहाती शिक्षा पर खर्च कर रहे हो ८ फीसदी और शहरी शिक्षा पर १५ फीसदी। शहरों में ८ लाख विद्यार्थी तो उच्चतर

माध्यमिक शिक्षा पाते हैं और ३७ लाख में २९ लाख देहातों में बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइमरी में । तो मैं कहता हूं कि देहातों में प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा जो ६ फीसदी है उसको दुरुस्त करो, नहीं तो वहां असन्तोष बढ़ता रहेगा ।

इसके अतिरिक्त जैसे पटवारियों के लिये आदेश है कि वह गांवों में ही बसकर रहें उसी तरह से मास्टरों के लिये भी होना चाहिये कि मास्टर भी गांव में बसकर रहें । मास्टर बाहर से आता है, कुछ देर इधर उधर घूमा करता है, सोता है और फिर ४ बजे की ड्यूटी करके घर चला जाता है । उसे बच्चों से क्या प्रेम ? इस सूरत में आप यह पांचों बातें जरूर याद रखें और इस पर कार्यवाही को अमल में जरूर लाया जाये वरना इस तरह से स्कूल तो अब पढ़ाई के लिये बेकार हो गये हैं और सिवाय इसके कि आप रुपया बरबाद करें और इसका नतीजा कुछ होने वाला नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है और इस विवाद में हिस्सा लेकर जिन्होंने अपनी राय प्रदान की है । इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुये मैंने शिक्षा जगत की मूल समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बगैर किसी भेद भाव के चाहे इस तरफ के माननीय सदस्य रहे हों या उस तरफ बैठने वाले रहे हों, सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे प्रदेश में जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, जो वर्तमान शिक्षा नीति है वह दोषपूर्ण है और उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है । इस बात को सभी लोग मानते हैं कि पिछले १२, १३ वर्षों में सरकार के प्रयास के बावजूद, शिक्षा विभाग में जो गति आनी चाहिये, उसका नितान्त अभाव रहा है ।

हमारी शिक्षा प्रणाली में देश ने जिन मान्यताओं को स्वीकार कर लिया है और उस उद्देश्य और लक्ष्य की यदि प्राप्ति नहीं हो रही है तो यह निर्विवाद है कि कहीं न कहीं इसके अन्दर दोष जरूर है और वह दोष काफी गंभीर है और सरकार भी उससे सचेत है । इसी कारण सरकार कभी कभी किसी कमीशन का निर्माण करती है । इसी प्रकार से माननीय मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि एक कमेटी निर्माण वह करने जा रहे हैं जो बेसिक शिक्षा के संबंध में अपनी रिपोर्ट देगी । जब उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के आयोग को भंग किया था तो उस समय भी यह कहा गया था कि एक दूसरी कमेटी का निर्माण किया जायगा जो इस पर विचार करेगी । इसी समय एक विश्वविद्यालय आयोग का भी निर्माण किया गया है । लेकिन जो बुनियादी कमजोरी है उसको यह सरकार पकड़ नहीं पाती है । यही कारण है कि कभी सरकार यूनिवर्सिटी स्तर पर, कभी प्राइमरी शिक्षा के स्तर पर और कभी सेकेन्डरी एजुकेशन के स्तर पर कमेटी के निर्माण की घोषणा करती है । यही साकार की कमजोरियों का प्रतीक है ।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

अपने समाज के लिये इस बदलते हुये युग में जिन मान्यताओं को हमने स्वीकार किया है आज उन तमाम बातों का ध्यान रखते हुये सरकार को ऐसे आयोग का निर्माण करना चाहिये जो किसी एक स्तर पर छानबीन न करे बल्कि प्राइमरी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय के स्तर तक, हमारी शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिये, हमारी शिक्षा का समन्वय कैसे होना चाहिये, उन मान्यताओं को देखते हुये सामाजिक जीवन से उस शिक्षा के संबंध का क्या स्वरूप होना चाहिये, इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दे ।

मैं चाहता हूं कि उसके अन्दर ऐसे लोग रखे जायं जो संविधान में स्वीकृत मान्यताओं की जानकारी रखते हों । उसके अन्दर विशेषज्ञ रखे जायं, जैसे कि राधाकृष्णन् कमीशन के अन्दर रखे गये थे, और जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के थे । ऐसे लोग भी उसमें रखे जायं जो समाजवाद के पंडित रहे हों और जिन्होंने समाजवादी मुल्कों की शिक्षा प्रणाली का प्रयोग देखा हो जहां पर वे कमजोरी से ऊपर उठे हैं । मुझे अफसोस है कि नवलकिशोर जी और अवधेश प्रताप सिंह जी

[श्री चन्द्रजीत यादव]

ने मेरे विषय में एक बात कही कि मैंने जो बात कही वह ठीक तो है और मर्ज भी पकड़ा है, लेकिन उन्होंने बतलाया कि इससे रेजीमेन्टेशन होगा जो कि कम्युनिस्ट कंट्री के अन्दर हुआ करता है । आज यह नारा आउट आफ डेट हो गया है । कम्युनिस्टों ने अपनी शिक्षा प्रणाली से, अपनी व्यवस्था से आज सारी दुनियां में इस बात को सिद्ध कर दिया है कि आज वह व्यवस्था, वह पद्धति सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था और सर्वश्रेष्ठ पद्धति है । आज उसके ऊपर विवाद की जरूरत नहीं है । अगर सोशलिस्ट मुल्कों के अन्दर वहां के बालकों को सारी सुविधायें प्राप्त होती हैं, वहां के स्कूलों के अन्दर पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की सारी सुविधायें सुलभ होती हैं, अगर वहां के विद्यालयों से निकले हुये विद्यार्थियों के अन्दर मान्यता, प्रेम और राष्ट्रप्रेम पूरित होता है, अगर वहां से निकले हुये विद्यार्थी साहित्य के अंदर, विज्ञान के अन्दर दुनिया से सबसे अधिक प्रगति करते हैं तो इसे अगर आप रेजिमेंटेशन समझते हैं तो समझें, लेकिन मैं समझता हू कि यह रेजिमेंटेशन आप के विचारों में आ गया है । उनमें स्थायित्व आ गया है । जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको आपको खुली आंखों से देखना चाहिये ।

माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि कम्युनिस्ट मुल्क हो तो यह हो सकता है, लेकिन हमारे देश में जितनी मुख्तलिफ पार्टियां हैं, इतने मुख्तलिफ लोग हैं, अपनी-अपनी विचार-धारायें रखते हैं, उसमें क्या हम ऐसा कोई आधार बना सकते हैं ? मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि आप अपनी शिक्षा का आधार उस विचारधारा को बनाइये जिसे हमारे देश ने, संविधान ने स्वीकार किया है, राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सेक्यूलर आउट-लुक हमारी शिक्षा प्रणाली का है ? यह आधार हमारी शिक्षा प्रणाली का बन सकता है या नहीं ? आज के निकले हुए विद्यार्थियों का आउट लुक सेक्युलर नहीं होता । आज प्रदेश में सांप्रदायिकता बड़े जोर से फैल रही है । आज भले ही हम इसके लिये किन्हीं पार्टियों को बैन कर दें, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, संविधान की मान्यताओं को चुनौती देने वाले जो लोग हैं उन पर आप भले ही बैन लगा दें, लेकिन बुनियादी तौर से जरूरत है कि आप बच्चों की शिक्षा दीक्षा इस ढंग से करायें कि उनका आउट-लुक ही सेक्युलर हो जाय । केवल बैन लगाने से यह विष जो फैल रहा है वह मिटेगा नहीं । मुस्लिम लीग और जनसंघ के साथ गठबंधन करने से यह मामला हल नहीं होगा । इसलिये हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

दूसरे, इस बात को सभी ने स्वीकार किया कि बावजूद सरकार के प्रयास के हमारे प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में जो गति है वह चिन्ता का विषय है । मैंने शुरू में कहा था कि देश में हमारा १६ वां स्थान है और १९५१ में हम जहां थे वहीं पड़े हुए हैं । हमारी आबादी बढ़ी है, लेकिन शिक्षा की गति नहीं बढ़ रही है । मैं कहूंगा कि सरकार को निरक्षरता मिटाने के लिये वार स्केल पर प्रयत्न करना चाहिये और इसके लिये पूरे प्रदेश में एक मूवमेंट करना चाहिये । अगर हमें अपने देश और समाज को बनाना है तो यही करना होगा । हमारे प्रदेश में जो प्रतिक्रिया-वादी नीतियां बढ़ती हैं, पनपती हैं वे निरक्षर लोगों में ही फैलती है, उनमें फैलती है जिनमें शिक्षा का अभाव होता है, गतिशीलता नहीं होती । तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने को इस बदलते हुए संसार के अनुरूप बनायें, आवश्यकता इस बात की है कि जनता में साक्षरता हो और इसके लिये मेरा सुझाव है कि जो स्कूल में दो तीन महीने की छुट्टी होती है उनका उपयोग किया जाय । इसके लिये भी एग्जामिनेशन में नम्बर मिलने चाहिये कि वे कितने लोगों को इस समय में जाकर साक्षर बनाते हैं । एक पिछड़े हुए देश में, जिसमें साधनों की कमी है और साधन मिलने वाले भी जल्दी नहीं हैं, अगर ऐसे कदम उठाये जाते हैं तो वह बुरा नहीं है । जनता की इच्छा के विरुद्ध यह सरकार रोज १०० काम करती है, निरन्तर टैक्सेज लगाती है, जनता जिस बात को चाहती थी उसके खिलाफ कानून बनाया है और बनाती रही है, और उसमें जनता की इच्छा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन एक काम जिसमें देश का, राष्ट्र का, समाज का कल्याण होने वाला है उसमें रेजिमेंटेशन की, इंपोजीशन की बात आ जाती है । मैं समझता हूं कि इस संकीर्ण विचार धारा से हमें ऊपर उठना चाहिये ।

दूसरी बात मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि कल ही उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ का एक सम्मेलन यहां हुआ था । उसने कहा था कि सरकार की शिक्षा नीति दोषपूर्ण है । यह जो शिक्षा जगत में हलचल मची हुई है, मायूसी और निराशा छायी हुई है वह सरकार की गलत नीतियों के कारण है । इस सदन में चारों तरफ से कहा गया, विद्यार्थियों की तरफ से कहा गया, अध्यापकों की तरफ से कहा गया, लेकिन वह बात सरकार अपनी प्रतिष्ठा की बात बना देती है । उस पर विचार करना नहीं चाहती ।

श्रीमन्, जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं । सरकार ने इसके लिये ६ या साढ़े ६ लाख रुपये की ग्राण्ट देने का प्राविजन बजट में किया है । ग्रान्ट दी जाय, यह अच्छी बात है, किन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि स्वतंत्रता से पूर्व यही पब्लिक स्कूल्स स्वतंत्रता आन्दोलन के जमाने में देशद्रोही एलीमेंट पैदा करने के अड्डे बने हुये थे । प्रतिक्रियावादी तत्वों के अड्डे बने हुये थे । आज भी वहां जो हमारी संस्कृति है उसकी शिक्षा नहीं दी जाती । आज आपने वहां पर अनिवार्य रूप से भारतीय इतिहास की शिक्षा देने के लिये आदेश दिये हैं, किन्तु अभी तक वहां हमारे इतिहास तक की शिक्षा नहीं दी जाती थी । जब सरकार उनको ग्राण्ट देने जा रही है और उनको ऐसे आदेश दिये हैं कि वहां भारतीय इतिहास की शिक्षा दी जाय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यह भी देखें कि वहां पर उन आदेशों का ठीक तरह से पालन हो भी रहा है या नहीं । इन स्कूलों के निकले हुये बच्चे भारतीय समाज की जरूरी बातों तक को नहीं जानते । वे उसकी माखोल उड़ाते हैं । सरकार जब उनको अनुदान देती है तो उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि वह देखे कि जिस पृष्ठभूमि में उसको सहायता दी जा रही है उसकी पूर्ति कहां तक होती है या नहीं ?

अंत में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं और वह यह कि हमारे प्रदेश के अन्दर आपने हरिजनों को कुछ सुविधायें दी हैं । उनको फीस नहीं देनी पड़ती । लेकिन सही मानी में वे शिक्षा नहीं पा रहे हैं । उसका कारण यह है कि जब उनका बच्चा ८ साल को हो जाता है तो वे यह समझते हैं कि अगर मजदूरी करेगा तो कम से कम ८ आना रोज पैदा करके लायेगा और इस लालच के कारण वे अपने बच्चों को नहीं पढा पाते । सरकार को चाहिये कि वह जातीयता या धर्म को अलग रख कर जितने भी बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति दे तथा अन्य सुविधायें भी दे जिससे कि सही मानी में वे पढ़ सकें और हमारे प्रदेश तथा देश का भला हो सके । ऐसा करने पर ही हम अपने प्रदेश का फायदा कर सकते हैं ।

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया और अपने सुझाव दिये । मैं उनका अनुगृहीत हूं न केवल एक शिष्टाचार के नाते, परन्तु दिल से, और जो उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिये उनका मैं स्वागत करता हूं ।

जो आलोचनायें की गयी हैं, उनके बारे में भी मैं दो शब्द कहूंगा । मुझे इस बात की खुशी है कि इस विवाद में, इस अनुदान के संबंध में, जो भी भाषण दिये गये हैं, वे काफी उच्च स्तर के रहे हैं और जो भी सुझाव दिये गये हैं वे इस दृष्टि से दिये गये हैं कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें कुछ सुधार हो ।

इस संबंध में सभी माननीय सदस्यों की ओर से इस बात की और ध्यान दिलाया गया कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह कुछ हद तक दूषित है और उन वह नीतियों तथा नियमों के अनुकूल नहीं है जिसका जिक्र हमारे संविधान में किया गया है । हमारे मित्र, माननीय गोविन्द सहाय जी ने बतलाया, यादव जी ने भी कहा, कि कुछ हद तक हमारी शिक्षा सोशलिस्टिक पैटर्न के आधार पर नहीं है, यानी वह समाज को आगे ले जाने वाली, सामाजिक व्यवस्था कायम करने वाली नीति के आधार पर नहीं है । बेसिक एजूकेशन के बारे में मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्यों का क्या खयाल है । मुझे यह भी ठीक तौर से मालूम नहीं कि माननीय सदस्यों को, जो हमारे प्रदेश में बेसिक एजूकेशन की प्रथा चल रही है, उसका पूरा परिचय भी है या नहीं ।

[आचार्य जुगलकिशोर]

बेसिक एजूकेशन की शुरूआत एक क्रान्तिकारी समय पर हुई । आजादी प्राप्त करने के बाद हमारे देश की यह कोशिश रही कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस ढांचे की हो कि हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वह समाज में जाकर समाज के एक उपयोगी सदस्य बन सकें । हमारी बेसिक एजूकेशन के द्वारा इस बात की कोशिश की गई है कि बच्चों को पुस्तकों के बजाय क्राफ्ट और कृषि के जरिये शिक्षा दी जाय जिससे वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनका विकास ठीक ढंग से हो सके । ऐसे नियम बनाये गये हैं कि विद्यार्थी लोगों और अध्यापकों का संबंध किसानों के जीवन से होना चाहिये जिससे उनको मालूम हो कि बेसिक एजूकेशन क्या है जिससे आगे जाकर वह समाज की सेवा कर सकें । समाज से विद्यार्थी का सम्बंध होना चाहिये । पहली प्रणाली से समाज का कोई संबंध नहीं था । बच्चों को पुस्तकों की शिक्षा दी जाती थी, पुस्तकों का ज्ञान दिया जाता था । आज हमारी नीति यह है कि पुस्तकों के द्वारा नहीं, बल्कि क्राफ्ट और कृषि के द्वारा शिक्षा दें जिससे कि उनको समाज और समाज की समस्याओं का परिचय हो, और न केवल परिचय हो, बल्कि छात्र जीवन में उस समाज की सेवा कर सकें । इसलिये यह कहना गलत है कि हम कोई लक्ष्य को सामने रख कर नहीं चल रहे हैं ।

मैं यह भी बतलाना जरूरी समझता हूं कि बेसिक एजूकेशन को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है । मैंने जैसा कल अपने भाषण में कहा था, हमारे प्रान्त में ३८ हजार बेसिक स्कूल हैं और २३–२४ हजार मुझे ठीक आंकड़े याद नहीं है---बेसिक स्कूल अगले ५ वर्ष के बीच में खोले जायेंगे ।

श्री प्रतापसिंह---क्वेश्चन ।

आचार्य जुगलकिशोर---क्वेश्चन का सवाल नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या बेसिक स्कूल क्राफ्ट से चलाये जाते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---बेसिक स्कूल क्या होते हैं, यह तो माननीय सदस्य अगर गांव में जाकर देखेंगे तो पता चल जायगा कि किस चीज की शिक्षा दी जाती है । मैं मानता हूं बेसिक एजूकेशन के तरीके में जो कमियां हैं, लेकिन इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि हम उस नीति को नहीं अपनाते हैं, बल्कि साधनों के अभाव के कारण, शिक्षकों के अभाव के कारण हम उस एजूकेशन को उस स्तर पर नहीं ले जा सके है जिस पर जाना चाहिये और जिसकी आशा सब करते है । इसलिये यह कहना कि हमारे यहां बेसिक एजूकेशन नहीं है, या हमने उस नीति को नहीं अपनाया है, यह उचित नहीं है । मेरा इस वक्त जो इशारा है वह उन सदस्यों की तरफ है, जिन्होंने यह कहा है कि हमने अभी तक अपनी शिक्षा की नीति में कोई ऐसे परिवर्तन नहीं किये हैं जिससे हमको यह मालूम हो कि हम उस दिशा की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि संविधान में है । तो हम उस बात का उत्तर देने के लिये यह कह रहे हैं ।

इस बेसिक एजूकेशन को प्रोत्साहन देने के लिये, जैसा कि मैंने कहा, ३८ हजार स्कूल खोले गये हैं और उनके अध्यापकों के लिये नार्मल ट्रेनिंग स्कूल और ट्रेनिंग कालिज खोले गये हैं और खोले जा रहे हैं, जहां पर टीचर्स को जो बेसिक स्कूल्स में पढ़ायेंगे, उनको खास किस्म की शिक्षा दी जाती है जिससे बेसिक एजूकेशन के आधार पर बच्चों को पढ़ा सकें ।

इसी तरीके से बच्चों के लिये लाइब्रेरीज या और ऐसे साधन या एड्स जिनकी एजूकेशन के लिये जरूरत होती है उसके लिये हर एक स्कूल को १०० रुपया साल में दिया जाता है, जिससे वे अपनी जरूरियात के मुताबिक चीजें खरीद सकते हैं । उनके जरिये बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं । इसी तरह से सीनियर बेसिक स्कूलों को यद्यपि हम अभी बेसिक आधार पर पूरी तरह से नहीं ला सके हैं तो भी बहुत से स्कूलों में, खासकर गांवों में, हमने एग्रीकल्चर का विषय शुरू किया है और उसके लिये १० एकड़ जमीन हर स्कूल के लिये जनता ने दानरूप

में दी है और उसके लिये ३३ या ३४ लाख रुपया सरकार की तरफ से भी समय-समय पर सामग्री इत्यादि खरीदने के लिये दिया गया है । जूनियर स्कूलों को भी बेसिक पद्धति के आधार पर चलाने की कोशिश की जा रही है । ३०,००० बेसिक जूनियर स्कूल खोले जायेंगे । सीनियर बेसिक स्कूल इस साल १,१२२ खोलने का खयाल है, इस पंच-वर्षीय योजना में । यह कोशिश की जा रही है कि स्कूलों को इस तरीके से चलाया जाय जिससे हमारे बालक बालिकायें समाज में जाकर उपयोगी बन सकें । यह कहना कि हमने शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं किया है, भूल है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को अभी पूरी जानकारी नहीं है और इसी कारण वे ऐसी बात कह रहे हैं । यह मैं मानता हूं कि जितना हम कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा किया जा सकता है और किया जाना चाहिये, लेकिन जितने हमारे साधन हैं उतना ही तो हम कर सकते हैं ।

दूसरा सवाल सेकेन्डरी एजूकेशन के बारे में उठाया गया है । इसमें भी, यद्यपि जिसे हम पोस्ट-बेसिक एजूकेशन कहते है, उसे अपने प्रदेश में कायम नहीं कर सके हैं, लेकिन बहुत हद तक हमने सेकिन्डरी स्कूलों में भी अलग-अलग विषयों के कोर्स रखे हैं, जैसे क्राफ्ट्स एग्रीकल्चर, जिन्हें सीखकर हमारे बच्चे स्वावलम्बी बन सकते हैं । बहुत जगहों पर ऐसे मल्टी-परपज स्कूल हैं और विभिन्न विषयों को लेकर विद्यार्थी फायदा उठा रहे हैं । सेकेन्डरी स्कूलों के टीचर्स के लिये गवर्नमेन्ट की तरफ से कंस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज लखनऊ में है और उसमें ट्रेनिंग दी जा रही है ।

सेकेन्डरी एजूकेशन की स्कीम आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर है जिसे हम अपना रहे हैं । इसी तरह की सिफारिश मुदालियार कमेटी ने भी की है और अन्य कमेटियों ने भी ऐसे विचार रखें है । मैं यह तो नहीं कह सकता कि हम पूरी तरह से उनकी सिफारिशों में कामयाब हुए हैं परन्तु मैं समझता हूं कि बहुत से लड़के इस शिक्षा से फायदा उठा रहे हैं और २, ४ वर्षों के बाद स्कूलों से निकल कर स्वावलम्बी बन सकेंगे । मैं मानता हूं कि कुछ कमियां उसमें है, जिनका कारण यह है कि हमारे पास साधन नहीं है ।

दूसरी बात यह कही गयी कि हमारी एजूकेशन की प्रणाली बहुत खराब है । खराब इसलिये बतायी जाती है कि बहुत से विद्यार्थी फेल होते हैं । मैं मानता हूं कि यह बड़े दुख की बात है कि हाईस्कूल और इन्टरमीडियेट में लड़के इतनी बड़ी संख्या में फेल होते हैं । इसका कारण यह है कि हमारे पास स्कूलों में साधन नहीं है और बच्चों के पास पुस्तकें भी नहीं हैं जिनके जरिये से बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दी जा सके । परन्तु इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं सुधार करने की । इसके बारे में भी कई कमेटीज कायम हैं । जो ट्रेनिंग कालेजेज है उनमें गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने अनुदान दे रखा है कि वे विचार कर इस बात की सिफारिश करें कि वह कौन सा तरीका हो सकता है जिसमें हम वेस्टेज को रोक सकते हैं तथा एग्जामिनेशन्स का क्या तरीका हो । ये दो तीन जो ऐग्जामिनेशन्स होते हैं और उनमें जो वेस्टेज होता है उसको किस प्रकार से दूर किया जाय, इस चीज को विचारा जा रहा है । गवर्नमेन्ट इस खराबी को दूर करने की कोशिश कर रही है ।

टेक्स्ट बुक्स के बारे में भी कहा गया । एक विचारधारा तो यह थी कि इनको नैशनलाइज कर लिया जाय और दूसरी विचारधारा यह थी कि उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । प्राइमरी स्टेज की जितनी पुस्तकें पाठशालाओं में पढ़ाई जाती हैं वे सब गवर्नमेन्ट की तरफ से निर्धारित हैं । केवल उनको प्राइवेट प्रेसेज से छपवाते है । उनमें गवर्नमेन्ट की तरफ से यह देखा जाता है कि उनमें अच्छी से अच्छी चीजें हों जिनको बच्चे सीख सकें और वे उनके लिये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुकूल हों और उनके द्वारा वे ज्ञान प्राप्त कर सकें ।

[आचार्य जुगलकिशोर]

जहां तक जूनियर कक्षाएं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का ताल्लुक है, गवर्नमेन्ट ने कुछ पुस्तकों को एप्रूव कर दिया है, कुछ गवर्नमेन्ट द्वारा निर्धारित हैं उनमें जो भी किताबें स्कूल या वहां के अध्यापक पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते हैं। इस प्रकार सेकेन्डरी लेविल पर भी हम इस बात की कोशिश करते है कि हम उनको बतला सकें कि उनको क्या पढ़ाना है। लेकिन सेकेन्डरी स्टेज और यूनिवर्सिटी स्टेज के लिये हम इस बात के पक्ष में नहीं है कि हम केवल कुछ ही किताबों को प्रेस्क्राइब कर दें कि बच्चे उनको ही पढ़ें, क्योंकि हम चाहते है कि जितना जितना लड़के आगे पढ़ें उनको अधिक से अधिक आजादी पुस्तकों के पढ़ने की होनी चाहिये। इसमें स्कूलों और अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहते हैं। आज हम किताबों को नैशनेलाइज भी करना चाहें तो बहुत मुश्किल हो जायगी, लेकिन जो लिस्ट गवर्नमेन्ट ऐप्रूव करती है उसमें अवश्य यह देखती है कि वह उच्च स्तर की हों। उनमें से स्कूल और अध्यापक जो पुस्तकें चाहें उनको अपना सकते हैं।

इन्टरमिडियेट ऐक्ट के बारे में भी कहा गया। हमारी यह बहुत दिनों की कोशिश रही है और इसके बारे में कई दफा एलान भी हो चुका है कि हम काम्प्रीहेंसिव ऐक्ट लाना चाहते हैं, लेकिन कई कारण ऐसे हैं कि उसको हम नहीं ला सके हैं। वह बिल तैयार है। मैं समझता हूं कि इस साल तो हम उसको नहीं ला सकेंगे लेकिन जल्दी ही उसको हम ले आना चाहते हैं। इंटरमीडिएट ऐक्ट के उस संशोधन के बारे में कि स्कूल मैनेजमेन्ट की ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेशीनरी क्या हो, कुछ संशोधन हुआ है और मेरे खयाल से उसमें जो कुछ कमियां रह गयी हैं और जो हमें विभाग से मालूम पड़ा कि इसमें कुछ खराबियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही हैं। और मैं समझता हूं कि उस संबंध में कोई न कोई संशोधन इस सदन के सामने इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन तक आ सकेगा।

दूसरी आलोचना ग्रांट इन एड सिस्टम के बारे में हुई। यह तो माननीय सदस्यों को सुन कर और जान कर खुशी होगी कि अगले ५ वर्ष के भीतर, वैसे खयाल तो यह है कि अगले दो वर्ष के भीतर, कोई भी ऐसा स्कूल हमारे यहां नहीं रहेगा-सेकेन्डरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल-जो कि अनुदान की लिस्ट में न आ जाय। बड़ी शिकायतें होती है और उन शिकायतों का कुछ आधार भी होता है, यद्यपि बहुत कुछ ना जानकारी के कारण भी होती हैं। बहुत शिकयतें ऐसी हैं जो कई साल से चल रही हैं कि कई स्कूल ऐसे हैं जिनको अनुदान नहीं मिलता। मैं मानता हूं कि उनमें कुछ खराबी होंगी और कोई कारण ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उनको नहीं मिला हो, लेकिन हमारी कोशिश है और जैसा कि विभाग की रिपोर्ट है, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जिसको कि नियम के अनुसार अनुदान न दिया जाय। वह नियम जैसा कि माननीय सदस्यों को शायद मालूम होगा, यह है कि जितना खर्चा रहता है स्कूल का उसका आधा या जो आमदनी होती है और जो खर्चा होता है उसमें जितना डिफरेंस रहता है उसकी पूर्ति गवर्नमेन्ट कर दे अपने अनुदान के जरिये ; इस तरीके से स्कूलों को अनुदान दिया जाता है। अभी तक गवर्नमेन्ट के पास इतना धन बजट में नहीं था जिसे वह हर स्कूल को दे सके, लेकिन अब अगले बजट के लिये इस पर विचार कर रहे हैं और खयाल यह है कि प्रदेश के उन सभी स्कूलों को अनुदान प्राप्त हो जायगा जो कि मौजूद हैं।

सेकेंडरी स्कूलों के टीचर्स के महंगाई भत्ते की भी काफी चर्चा की गयी और उसके बारे में बाहर भी काफी चर्चा होती रही है। इस सिलसिले में माध्यमिक शिक्षा के टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से भी एक डेपुटेशन मुझ से मिला था और उनसे मेरी बातचीत हुई। हमारी मजबूरियां हैं जिनको वजह से आज हम उनकी जितनी मांगें है उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कुछ फीगर्स इकट्ठे किये हैं जिनसे मालूम पड़ जायगा कि हमारे सामने क्या कठिनाइयां हैं। २ करोड़ ३१ लाख रुपये की हमें जरूरत पड़ेगी इसको पूरा करने के लिये

पांच वर्ष में। यह भी कहा गया कि सरकार इसको दे सकती है जब कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने भी इसके लिये कहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने हमारे लिये जो सीलिंग निर्धारित की है उस सीलिंग में से ही निकालना पड़ेगा। इस तरह से करीब करीब ३ करोड़ ४८ लाख ४६ हजार रु० हमें अपने सीलिंग से देना पड़ेगा। ठीक है कि वह ५० परसेन्ट देने को तैयार है, लेकिन क्या आप इसके लिये तैयार हैं कि प्राइमरी एजूकेशन के लिये जो १० करोड़ रुपया रखा गया है उसमें से निकाल कर टीचरों के वेतन में वृद्धि न करके सेकेन्डरी स्कूल के टीचरों को महंगाई भत्ता दे सकें? हमारी उनके साथ पूरी सहानुभति है और हम जानते हैं कि उनको काफी परेशानियां हैं लेकिन मजबूरियां भी ऐसी कुछ होती हैं। सबसे ज्यादा मजबूरी जो हमारी है वह प्राइमरी टीचर्स की वेतन वृद्धि और उनके भत्ते की है। हमने इस साल ४ रुपए की वृद्धि की है, लेकिन वह काफी नहीं है, अगर हम उनको भी दें कि जिनकी संख्या लाखों में है। उनको हम देने लगें तो १७-१८ करोड़ रुपया हमें खर्च करने को चाहिये और सवाल होगा कि सेकिन्डरी स्कूल टीचर्स को अपनी सीलिंग में कुछ कम कर के दें और सवाल होगा कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स जिनका वेतन केवल ५० रुपया है उनको हम नहीं दे सके। तो कुछ हद तक यह उनके प्रति अन्याय सा होगा। उनको भी परेशानी है. लेकिन यह सब जानते हैं कि प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स को उनसे भी अधिक परेशानी और दिक्कत है, उनके कोई साधन भी नहीं हैं जैसे किताबें लिखकर या ट्यूशन से कोई आय होती हो या परीक्षा फीस की आय होती हो, उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं है। उनके पास कोई साधन इस प्रकार किसी नैतिक आय करने के नहीं हैं।

मैंने कल भी माननीय सदस्यों को ध्यान दिलाया था कि हमारी कोशिश इसी पर है कि प्राइमरी एजूकेशन को बढ़ाया जाय और हमारा खास तौर से लड़कियों की शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान गया है। इसकी इस समय प्रदेश में बहुत आवश्यकता है क्योंकि जो कन्यायें आज देहात में रहती हैं उन्हीं को आगे चल कर समाज की बहुत सी जिम्मेदारियों को सम्हालना होगा। अगर हमने उनकी शिक्षा का प्रबन्ध इस समय ठोक से न किया तो वह माताओं की जो जिम्मेदारियां हैं उन पर जब आगे आयेंगी उसको पूरी तरह से न निभा सकेगीं। इसलिये हमारी इस बात की कोशिश है कि लड़कियों की शिक्षा के लिये आठवीं जमाअत तक की लड़कियों के लिये उन जो १५,००० की आबादी से कम के शहर या कस्बे हैं या गांव हैं, वहां उन आठवीं क्लास तक की लड़कियों उन को निःशुल्क शिक्षा दी जायगी। ६,४६५ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खोले जायंगे जहां पर कि खास तौर से लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध होगा।

कहीं-कहीं पर सम्मिलित स्कूल जो लड़के लड़कियों दोनों के हैं वहां भी लड़कियां पढ़ती हैं लेकिन फिर भी कोशिश है कि कुछ स्कूल केवल कन्याओं के लिये ही खोले जायं और उनकी संख्या बढ़ाई जाय। वहां पर टीचरों की जरूर दिक्कत है। वह गांवों में जाना नहीं चाहतीं क्योंकि वहां रहने का प्रबन्ध ठीक नहीं रहता। इस लिये कोशिश की गई है कि उनको फ्री रेजीडेंशियल क्वार्टर्स का प्रबन्ध किया जाय। प्राइमरी स्कूलों में जहां पर कि लड़के लड़कियों साथ पढ़ते है वहां लोग अक्सर लड़कियों को भेजना पसन्द नहीं करते। वहां पर स्कूल मदर्स का प्रबन्ध किया जायगा जो लड़कियों को ले जायेंगी और उन पर निगरानी रखेंगी और वहीं बैठी रहेगी। यह वहीं होगा जहां कि लड़के लड़कियां साथ पढ़ते होंगे। वहां की अध्यापिकाओं को गांव में रहने का अलाउन्स भी दिया जायगा और उनकी ट्रेनिंग के लिये गांवों में ही २२५ ट्रेनिंग स्कूल भी खोले जायंगे जहां पर कि अध्यापिकाओं को शिक्षा दी जा सकेगी। वहां पर इन अध्यापिकाओं को होस्टल अकामोडेशन भी दी जायगी जहां पर कि गवर्नमेन्ट के स्कूल होंगे। लड़कियों को काफी संख्या में स्टाइपेंड और स्कालर्शिप देने का भी प्रबन्ध किया गया है। इसके अलावा मेरिट स्कालर्शिप, जो गरीब विद्यार्थी हैं,

[आचार्य जुगलकिशोर]

होशियार हैं और टेलेन्टेड हैं उनके लिये इस बात की कोशिश की गई है कि अगले पांच वर्ष में ९ हजार ३२ ऐसे विद्यार्थियों को, जो कुछ दिया जा रहा है उसके अलावा, स्कालर्शिप दी जाय। इसके अलावा ९८५ और स्कालर्शिप हैं और कुछ किताबें खरीदने के लिये भी अनुदान दिया जायगा जिससे कि वह किताबें भी खरीद सकें। गांवों में आम तौर से, जैसा कि सभी को मालूम है, हमारे ग्राम निवासी अपनी कन्याओं के पढ़ाने की अहमियत को न समझते हुए उन पर खर्च करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये उनको प्रोत्साहन देने के लिये यह फैसला किया गया है कि उन्हें किताबें और स्कालर्शिप दिये जायं।

एक बात और कह दूं। मेडीकल फैसीलिटीज के बारे में यह पूछा गया कि क्या मेडिकल फैसीलिटीज टीचर्स को दी जायंगी? सिद्धान्त के। रूप में हमने उसे मान लिया है, लेकिन व्यावहारिक रूप देने के लिये कई विभागों से पत्र-व्यवहार करना होता है, इस वजह से उसे कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। तो मेडीकल फैसीलिटीज की जो मांग है उसको हम थोड़े ही अर्से में पूरी कर सकेंगे।

एक बात की तरफ और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। ऐडल्ट एजूकेशन के बारे में कुछ चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कोई बड़ी भारी स्कीम हो, वह हमें नहीं मालूम। एक स्कीम चली थी, वह असफल रही, किन्तु हम इस बात को महसूस करते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा का कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिये। जैसा कि एक सुझाव आया है कि हमारे विद्यार्थी जो छुट्टियों में खाली रहते हैं उनका उपयोग किया जाय, इस संबंध में मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी सामाजिक सेवा होगी। जो विद्यार्थी हैं, अनएम्प्लायड भी रहते हैं, वह अगर इस तरफ कुछ ध्यान दें तो बड़ी भारी सेवा वह देश की कर सकते हैं। उन ग्रामवासियों को जो कि अशिक्षित हैं अगर अक्षर ज्ञान करा दें तो वह बड़ी भारी सेवा होगी और उनके सम्पर्क में आकर वहां के जीवन का परिचय विद्यार्थियों को प्राप्त हो जाएगा।

आज इल्लिट्रेसी की एक समस्या है। १७, १८ फीसदी ही व्यक्ति हमारे यहां के शिक्षा प्राप्त हैं या ऐसे हैं कि जिनको अक्षर ज्ञान है। यह बहुत कम है। अगर इस समस्या को केवल गवर्नमेन्ट के द्वारा ही हल करना चाहेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसलिये इसमें विद्यार्थियों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। गवर्नमेन्ट इसके बारे में कुछ न कुछ सहायता दे सकती है। किन्तु यह वालेन्टरी काम है और मैं आशा करता हूं कि हमारे नवयुवकगण जो यूनीवर्सिटीज में पढ़ते हैं उसकी तरफ ध्यान देकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।

एक सवाल जिसका जिक्र शायद इस अनुदान के सिलसिले में नहीं आया, लेकिन बजट स्पीच के दौरान में एक प्रश्न उठाया गया था, मैं उस वक्त उपस्थित नहीं था इसलिये जवाब न दे सका, वह उन किताबों के बारे में था जो कि बेसिक स्कूल में लायब्रेरीज खोली जाती हैं और जिनके लिये गवर्नमेन्ट कुछ धन देती है। कुछ जो एड दी जाती है स्कूल में, जैसा कि मैंने जिक्र किया १०० रुपये की, उसमें से २० रुपये लायब्रेरीज के लिये होता है ताकि अच्छी किताबें आ सकें। उस संबंध में यह शिकायत की गई, मैं समझता हूं दुबे जी ने की, कि इसमें बहुत गड़बड़ी हुई है। मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। इस तरह के अनुदान देने का सिलसिला हमारे यहां ५८-५९ से शुरू हुआ है। ५८-५९ में एक कमेटी बनाई गई। एक मैगजीन है 'जीवन शिक्षा' बनारस से निकलती है और ५८-५९ में ३३ हजार स्कूलों को अनिवार्य रूप से लेने के लिये आदेश दिया था, १४ रुपये तक की किताबें अनिवार्य रूप से खरीदने के लिये आदेश दिये गये हैं। उन्होंने कहा था कि जिला बोर्ड या अन्तरिम जिला परिषद् खरीदा करे स्कूलों के लिये। हमारा यह खयाल था कि हम स्कूलों में अपने छोटे बच्चों को ऐसी पुस्तकें दें जो उनके लिये उपयोगी हों और जो बेसिक सिस्टम पर आधारित हों। तो उसके लिये इस बात की आवश्यकता है कि हम ऐसी पुस्तकों को चुनें जो इस उद्देश्य को पूरा कर सकें।

हमारे प्रदेश में बहुत कम ऐसे प्रकाशक हैं जो विशेष तौर से बच्चों की पुस्तकें निकालते हों जो कि बुनियादी तालीम के आधार पर लिखी जाती हों। इसलिये इस किताब को लिया गया। ३५ हजार पहले ली गयी थीं और १६, १७ हजार इस साल भी ली गयी हैं। अन्य दो मेगजीन जो इस प्रदेश में ही छपती हैं उनको भी लिया गया है। बाकी १४ रुपये की जो पुस्तकें हैं वे एक कमेटी द्वारा निश्चित होती हैं और अनिवार्य रूप से जो हमने रखा तो उसमें कोई हानि नहीं है। अगर जिले के स्तर पर हम रखते तो मुमकिन था कि जिलों में जो प्रकाशन निकलते हैं वे उपयोगी न हों और उनको लेने की प्रवृत्ति हो जाय। यह जो अनुदान रखा गया है इसीलिये रखा गया ताकि अच्छी से अच्छी पुस्तकें बच्चों को मिल सकें। सर्वोदय साहित्य प्रकाशन को ही ज्यादा आर्डर दिया गया है। मेगजीन १ लाख रुपये की और किताबें १ लाख २० हजार की ली जायंगी।

यह बात कही गयी कि यह एक व्यक्ति के द्वारा संस्था चलाई जाती है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि पब्लिशर की रोजी चले। जो किताबें यह संस्था निकालती हैं वह बहुत अच्छी हैं। एक कमेटी है जिसमें अक्षय कुमार कर्ण, श्रीमती बख्शी, प्रिन्सिपल नारी शिक्षा निकेतन, सावित्री श्याम एम० एल० सी० और तीन व्यक्ति हमारे विभाग के हैं। एक मिस्टर प्रसाद हैं बेसिक ट्रेनिंग कालेज के प्रिन्सिपल, एक हमारे विभाग के अनुसचिव और तीसरे इस विभाग के ओ० एस० डी०। यह कमेटी किताबों को छांटती है। जो कुछ किया गया है वह ठीक सोच समझ कर किया गया है। मैंने मुनासिब यह समझा कि माननीय सदस्यों के सामने सब बातें स्पष्ट कर दूं। यह चीज मेरे ही जमाने में हुई है और मुझे इसमें कोई भी खेद नहीं है कि कोई गड़बड़ी इसमें हुई है। मैंने पूरे तौर से सोच-समझ कर जो समिति की सिफारिश थी उसे स्वीकृति दी है। माननीय सदस्यों के सामने जो बातें गलतफहमी की कही गयी हैं उनको दूर करना मैंने अपना कर्तव्य समझा।

एक बात सेकिंडरी एजूकेशन कमीशन के बारे में कही गयी। हमारे नेकराम शर्मा तथा एक दो सदस्यों ने कहा कि सेकेंडरी एजूकेशन कमीशन को क्यों आपने खत्म कर दिया? उस सम्बन्ध में काफी रिपोर्ट्स मेरे पास आ चुकी हैं। हम उन रिपोर्ट्स के आधार पर, उन पर विचार करके जल्दी से जल्दी सेकेंडरी एजूकेशन के सिलसिले में कार्यवाही करना चाहते हैं और जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना चाहते हैं और जो सुविधायें देना चाहते हैं सेकेंडरी एजूकेशन को आगे बढ़ाने के लिये, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दी जायं। लेकिन ३३ व्यक्तियों का एक कमीशन था और टर्म्स आफ रेफरेंस इतने लम्बे थे कि शायद दो या तीन साल तक वह उस काम को न कर पाता। जैसा कि मैंने कहा, सेकेंडरी एजूकेशन कमीशन एक अच्छे खयाल से बनाया गया था, लेकिन हमने सोचा कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान में उसके पहले या दूसरे साल ही उसकी कुछ सिफारिशों को लागू कर दें। वैसे सिफारिशों की हमारे पास कमी नहीं है, हमारे सामने मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट है, डिपार्टमेंटल कमेटीज की रिपोर्ट है और भी कई कमेटीज की रिपोर्ट्स हैं। तो सिफारिशों की कमी नहीं है। कमी अगर है तो उनको इम्प्लीमेंट करने की है और वह भी धन के अभाव के कारण।

इंटरमीडियेट ऐक्ट के बारे में भी मैंने कहा कि उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में यह भी था कि इंटरमीडियेट ऐक्ट में भी कुछ संशोधन किया जाय। उसके लिये मैंने कहा कि एक बिल हमारे पास तैयार है। माननीय सदस्यों के सामने वह आयेगा और कुछ अंश में वह जल्दी ही आयेगा जिससे कि उस ऐक्ट में जो कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सेकेंडरी एजूकेशन कमीशन को खत्म करने का कोई यह मतलब नहीं है कि जो हमारे पहले नेतागण थे उनका हमने अनादर किया जैसा कि हमारे नेकराम जी ने कुछ थोड़ा सा कहा। हां, अगर कोई जरूरत आ पड़ी जिसमें कि हम समझेंगे कि पब्लिक से राय लेनी चाहिये तो वह कमेटी भी हम बना सकते हैं। उसमें कुछ आफ़िशयल्स और नानआफ़िशयल्स रहेंगे जो जल्दी से हमारे सामने सिफारिशें रख सकें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--उसमें मेम्बर्स को रखने का क्राइटेरियन क्या होगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--योग्यता के मुताबिक देखा जायगा। हमारी तो कोशिश यही होगी, अब किसी की दृष्टि में वे योग्य न हों तो दूसरी बात है। बहरहाल, हमारी कोशिश यही होगी।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भाषण को बड़ी शान्ति से सुना और जो सुझाव उन्होंने रखे हैं मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे और जहां तक व्यावहारिक होगा उनको अमल में लाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष--अब मैं पहले कटौती का प्रस्ताव ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है--प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा नीति दोषपूर्ण है; फलस्वरूप विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण और समाजवादी दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं होता।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--शिक्षा के अन्तर्गत--लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर-१९, ३६,०५,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३ अप्रैल, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८६ पर)

सूची

क्रम-संख्या	जिलों के नाम	क्रम-संख्या	जिलों के नाम
१	देहरादून	२२	वाराणसी
२	सहारनपुर	२३	जौनपुर
३	मेरठ	२४	गाजीपुर
४	मुजफ्फरनगर	२५	बलिया
५	बुलन्दशहर	२६	गोरखपुर
६	अलीगढ़	२७	बस्ती
७	मथुरा	२८	आजमगढ़
८	मैनपुरी	२९	देवरिया
९	एटा	३०	नैनीताल
१०	बरेली	३१	पिथौरागढ़
११	बिजनौर	३२	लखनऊ
१२	पीलीभीत	३३	उन्नाव
१३	रामपुर	३४	आगरा
१४	इटावा	३५	हरदोई
१५	फर्रुखाबाद	३६	रायबरेली
१६	कानपुर	३७	खीरी
१७	फतेहपुर	३८	सीतापुर
१८	इलाहाबाद	३९	फैजाबाद
१९	झांसी	४०	गोंडा
२०	जालौन	४१	सुल्तानपुर
२१	बांदा	४२	बाराबंकी

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९१ पर)

सूची

नाम व्यक्ति, संस्था व विभाग जिन पर संघ का रुपया बकाया है	बकाया की धनराशि	वसूली के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही
	रु० न० पै०	
१—श्री अतीउल्ला, भट्ठा ठेकेदार तथा संचालक मंडल, हरचन्दपुर।	१७,९९४.१४	सालिसी कार्यवाही की जा चुकी है। अभी मामले में निर्णय नहीं हुआ है।
२—श्री खचेरसिंह, भट्ठा ठेकेदार और संघ का संचालक मंडल	२१,२७२.२२	" "
३—श्री केदारसिंह, भट्ठा ठेकेदार व संघ का संचालक मंडल।	७,४१२.३६	" "
४—श्री ब्रह्मदत्त, भट्ठा मुनीम ..	५२०.९०	" "
५—संघ का संचालक मंडल ..	१,२००.६२	इस रुपये की जिम्मेदारी पहले श्री दयाराम ठेकेदार पर रखी गई थी और उसके विरुद्ध डिग्री भी हो गई थी, लेकिन अपील में वह जिम्मेदारी से बरी कर दिया गया। अब संचालक मंडल पर सालिसी कार्यवाही की गई है। अभी फैसला नहीं हुआ।
६—नलकूप विभाग, इटावा ..	५८६.५६	जिला नियोजन अधिकारी इटावा के आदेशानुसार ईंट दी गई थी पर मूल्य अभी तक नहीं मिला है। नलकूप विभाग इटावा को नोटिस दिया गया है।
७—सहकारी बीज भंडार, सहायल, जिला इटावा।	८.८७	यह रकम शीघ्र ही मिल जाने को है।
८—प्रारम्भिक सहकारी समितियों से ..	२५०.५०	यह विलेज गाइड फंड का रुपया है। इस वर्ष समितियों से प्राप्त हो जायगा।
९—श्री श्यामलाल	१०.००	यह रकम इस वर्ष उनसे मिल जायगी।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१७ एल० ए०—१९६१—८४५।